खण्ड-221, अंक-1
बुधवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1883
(29 मार्च, 1961 ई0)

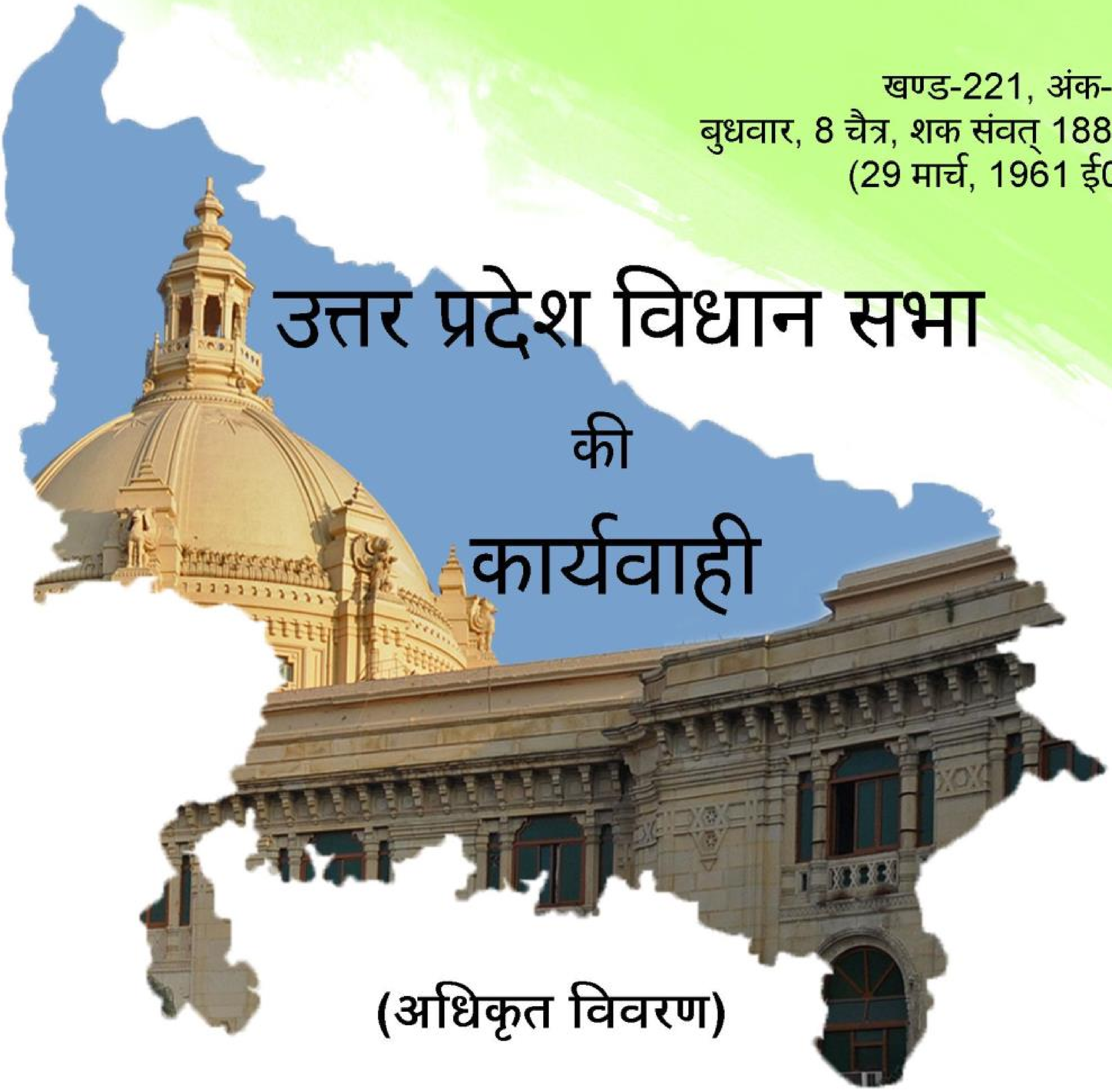

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 221 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

२९ मार्च, १९६१

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३०
विधान भवन पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग (विस्तृत वक्तव्य स्थगित)	३०–३२
नियम ५२ के अन्तर्गत जिला नैनीताल की खाम इस्टेट में काश्तकारों की अलाटशुदा जमीन के छिन जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	३२–३४
६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न १२ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न का शोधित उत्तर	३४
१९६१–६२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (समाप्त)	३४–८५
नत्थियां	८६–९५

---

३० मार्च, १९६१

उपस्थित सदस्य	९७–१०१
प्रश्नोत्तर	१०१–१२९
श्री मोहनलाल गौतम के "नेशनल हेरल्ड" में छपे भाषण में अशुद्धियां ..	१२९
नियम ५२ के अन्तर्गत कम्पनी बाग, सहारनपुर के कर्मचारी यूनियन के मंत्री, श्री के० आर० वर्मा द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	१२९–१३०
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के सम्बन्ध में प्रार्थना ..	१३०
डाकुओं द्वारा जगम्मनपुर (उरई) के बाजार से पकड़े गये व्यक्ति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१३०–१३४
विधान भवन पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१३४–१३९
भूमि संरक्षण मण्डल के निर्वाचनार्थ सूचना	१३९
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित) ..	१३९–२०५
नत्थियां	२०६–२१५

---

३१ मार्च, १९६१

उपस्थित सदस्य	२१७–२२१
प्रश्नोत्तर	२२१–२३२
श्री राजनारायण के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई)	२३३–२३४

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई) . .	२३४
कानपुर में आग लगने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग . .	२३४
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के सम्बन्ध में प्रार्थना . .	२३४
१९६१–६२ के लिये मन्त्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों, प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के निर्वाचनार्थ कार्यक्रम . .	२३४–२३५
उत्तर प्रदेश लाभप्रद विषयक संयुक्त समिति के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	२३५
१० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न ४२ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न का शोधित उत्तर	२३६
अन्तरिम जिला परिषद् के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग . .	२३६–२३७
१९६१–६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—बृहत् जोतकर (स्वीकृत)	२३७
अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) तथा अनुदान संख्या ३७—दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत)	२३७–२९४
नस्थियां	२९५–२९६

१ अप्रैल, १९६१

उपस्थित सदस्य	२९७–३०१
प्रश्नोत्तर	३०१–३०५
'आल इंडिया अहमक संघ' की बहराइच में स्थापना के संबंध में जानकारी की मांग	३०५–३०६
नियम ५२ के अन्तर्गत जिला शाहजहांपुर के मुहल्ला मुहम्मद जलालनगर में डाका पड़ने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	३०६
सम्बद्ध साहित्य के समय पर न मिलने के कारण शिक्षानुदान के आज न लिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना	३०७
१९६१–६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३१—सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	३०७–३३९
अनुदान संख्या ४३—समाज कल्याण (स्वीकृत)	३३९
अनुदान संख्या २०—शिक्षा (जारी)	३३९–३६९
नियम ५० के अन्तर्गत होने वाले विवाद का स्थगन	३६९

३ अप्रैल, १९६१

उपस्थित सदस्य	३७१–३७४
प्रश्नोत्तर	३७५–३९६
प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति	३९६

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका नियमावली के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३९६
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३९६
उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	३९६
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	३९७
बहेड़ी (जिला बरेली) चीनी मिल में मजदूरों की हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	३९७
मथुरा जिले के भूरीसिंह कांस्टेबिल को थानेदार रकाबगंज द्वारा गोली से मारे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३९७–४००
कानपुर में आग लगने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	४००–४०३
भूमि-संरक्षण मंडल के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा ..	४०३
कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन की मीटिंग स्थगित होने के बारे में सूचना	४०३–४०४
१९६१–६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २०—शिक्षा (स्वीकृत)	४०४–४५२
नत्थियां	४५३–४५४

---

४ अप्रैल, १९६१

उपस्थित सदस्य	४५५–४५९
प्रश्नोत्तर	४५९–४९६
बस्ती जिले के कुदरहा के किसान मेला में महिलाओं को छेड़ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग (जारी)	४९७
नियम ५२ के अन्तर्गत कम्पनी बाग, सहारनपुर के कर्मचारी यूनियन के मंत्री, श्री के० आर० वर्मा द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	४९७–४९९
नियम ५२ के अन्तर्गत जिला शाहजहांपुर के मुहल्ला मुहम्मद जलालनगर में डाका पड़ने के सम्बन्ध में वक्तव्य	४९९–५०१
बस्ती जिले के कुदरहा के किसान मेला में महिलाओं को छेड़ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	५०१
१९६१–६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १८—पुलिस (जारी)	५०२–५५१
नत्थियां	५५२–५६१

---

५ अप्रैल, १९६१

उपस्थित सदस्य	५६३–५६७
प्रश्नोत्तर	५६७–५८७

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम ५२ के अन्तर्गत लोक महत्त्व के प्रश्न	५८७
कतिपय समितियों के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा ..	५८७–५९०
१९६१–६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १८––पुलिस (स्वीकृत)	५९०–६४४
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग के भंग करने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत विवाद (जारी)	६४४–६५७
नत्थियां	६५८–६५९

६ अप्रैल, १९६१

उपस्थित सदस्य	६६१–६६५
प्रश्नोत्तर	६६५–६९७
प्रदेश के आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों के विद्यार्थियों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	६९७
जन-संख्या में वृद्धि होने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	६९७–६९८
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	६९८
१९६१–६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १०––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या ११––सिंचाई अधिष्ठान और अनुदान संख्या ४६––सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	६९८–७५५
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग भंग करने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत विवाद (स्थगित)	७५५–७५६
नत्थियां	७५७–७७७

७ अप्रैल, १९६१

उपस्थित सदस्य	७७९–७८३
प्रश्नोत्तर	७८३–८०२
अनुसूचित जातियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व जांच समिति का प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	८०२–८०३
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ प्रश्नों की सूचनाएं	८०३
बहेड़ी (जिला बरेली) चीनी मिल में मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	८०३–८०६
१९६१–६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ४९––सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) ..	८०६–८०७
अनुदान संख्या ३३––सार्वजनिक निर्माण-कार्य, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३४––संचार साधनों का सुधार तथा अनुदान संख्या ३५––सार्वजनिक निर्माण-कार्य––अधिष्ठान (जारी) ..	८०७–८५६

विषय	पृष्ठ-संख्या
जिला लखनऊ में बाढ़-ग्रस्त इलाके के किसानों को मालगुजारी में छूट न देने तथा मकानों की मरम्मत के लिये तकावी न दिये जाने से संबंधित २३ मार्च, १९६१ के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न १९–२० के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद	८५६–८६२
नत्थियां	८६३–८६८

८ अप्रैल, १९६१

उपस्थित सदस्य	८६९–८७३
प्रश्नोत्तर	८७३–८७८
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	८७८
न्याय शाखा व कार्यकारिणी के पृथक्करण को समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	८७८–८७९
पीछे बैठने वाले सदस्यों को पेंसिल देने के सम्बन्ध में श्री टीकाराम पुजारी की मांग	८७९
बस्ती जिले के कुदरहा के किसान मेला में महिलाओं को छेड़ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	८७९–८८०
५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न १८ व १९ से संबद्ध अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का शोधन	८८१
५ अप्रैल, १९६१ के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ व ४ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	८८२
१९६१–६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार तथा अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	८८२–९४१
नत्थियां	९४२–९४४

बिहार मदरसा शिक्षा सभा

शासन

राज्यपाल

डाक्टर बूरूगुल रामकृष्ण राव

मन्त्रि परिषद्

मंत्री (जो मंत्रि-मंडल के सदस्य हैं)

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान परिषद् सदस्य, मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, नियोजन, उद्योग, विद्युत् शक्ति सूचना, खाद्य तथा रसद, स्वास्थ्य एवं हरिजन कल्याण मन्त्री।

श्री हुकुम सिंह बिसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, न्याय, माल और सहायता तथा पुनर्वासन मन्त्री।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, गृह तथा कृषि मन्त्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री।

आचार्य जुगलकिशोर, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री।

श्री हरगोविन्दसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान परिषद् सदस्य, वित्त मन्त्री।

श्रीमती सुचेता कृपालानी, एम० ए०, विधान परिषद् सदस्य, सामूहिक योजनायें, ग्राम और लघु उद्योग तथा श्रम।

मंत्री (जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

डाक्टर सीताराम, एम०एस०-सी०, पी०-एच० डी०, विधान सभा सदस्य, आबकारी मन्त्री।

श्री मंगलाप्रसाद, विधान सभा सदस्य, सहकारिता तथा संसदीय कार्य मन्त्री।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा सदस्य, परिवहन मन्त्री।

श्री राममूर्ति, विधान सभा सदस्य, सिंचाई मन्त्री।

श्री कैलाशप्रकाश, विधान सभा सदस्य, स्वायत्त शासन मंत्री।

श्री अलगूराय शास्त्री, विधान परिषद् सदस्य, अर्थ और संख्या तथा वन मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उपमंत्री

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी, विधान सभा सदस्य, हरिजन सहायक उप-मन्त्री ।
श्री रऊफ जाफरी, विधान सभा सदस्य, सूचना उप-मन्त्री ।
श्री शांतिप्रपन्न शर्मा, विधान सभा सदस्य, संसदीय विषयक उप-मन्त्री ।
श्रीमती प्रकाशवती सूद, विधान सभा सदस्य, समाज कल्याण उप-मन्त्री ।
श्री रामस्वरूप यादव, विधान सभा सदस्य, शिक्षा उप-मन्त्री ।
श्री वसी नकवी, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उप-मन्त्री ।
श्री धर्मसिंह, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उप-मन्त्री ।
श्री उदयशंकर, विधान सभा सदस्य, राजस्व उप-मन्त्री ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव

डाक्टर रामनारायण पांडेय, विधान परिषद् सदस्य ।

परिवहन मंत्री के सभा सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान सभा सदस्य ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

R.A.
3031

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	अक्षयवरसिंह, श्री ..	.. पिपराइच
२	अजीज इमाम, श्री ..	.. कर्तित
३	अतीकुलरहमान, श्री	.. नजीबाबाद
४	अनन्तराम वर्मा, श्री	.. अलीगढ़
५	अब्दुल रऊफ लारी, श्री	.. विनायकपुर
६	अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री	.. कोपागंज
७	अब्दुस्समी, श्री ..	.. बरौंसा
८	अभयराम यादव, श्री	.. जसवंतनगर
९	अमरनाथ, श्री ..	.. महराजगंज
१०	अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	.. मिर्जापुर
११	अमोलादेवी, श्रीमती	.. अठेहा
१२	अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री	.. सलेमपुर (पूर्व)
१३	अली जर्रार जाफरी, श्री	.. उतरौला
१४	अली जहीर, श्री सैयद	.. लखनऊ शहर (पश्चिम)
१५	अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर	.. मिसरिख
१६	अवधेशचन्द्रसिंह, श्री	.. भोजपुर
१७	अवधेशप्रताप सिंह, श्री	.. बीकापुर (पूर्व)
१८	असलम खां, श्री ..	.. रामपुर
१९	अहमद बख्श, श्री ..	.. जानसठ
२०	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	.. झांसी
२१	आत्माराम पांडेय, श्री	.. सैदपुर
२२	आदिराम सिंघल, श्री	आगराशहर
२३	आनन्दब्रह्म शाह, श्री	.. राबर्ट्स गंज
२४	आर्थर सी० ग्राइस, श्री	.. नाम निर्देशित (आँग्ल भारतीय)
२५	इन्दुभूषण गुप्त, श्री	.. सगरी
२६	इरतजा हुसैन, श्री ..	.. सियाना
२७	इस्तफा हुसैन, श्री ..	.. गोरखपुर
२८	उग्रसेन, श्री ..	.. सलेमपुर (पश्चिम)
२९	उदयशंकर दुबे, श्री ..	.. बस्ती
३०	उबैदुर्रहमान, श्री ..	.. बांसी (पूर्व)
३१	उमाशंकर शुक्ल, श्री	.. कानपुर शहर
३२	उल्फतसिंह, श्री ..	.. सहसवान
३३	ऊदल, श्री ..	.. कोलासला
३४	एस० अहमद हसन, श्री	.. कानपुर शहर
३५	ओंकारनाथ, श्री ..	.. चुनार
३६	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	.. शाहाबाद
३७	कमरुद्दीन, श्री ..	.. बुधना
३८	कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी	.. करछना
३९	कमलापति त्रिपाठी, श्री	.. चन्दौली

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
४०	कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले ..	पुवायां
४१	कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छन्नन गुरू	इलाहाबाद शहर (दक्षिण)
४२	कल्याणराय, श्री	शाहाबाद
४३	कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री ..	महाइच
४४	कालीचरण अग्रवाल, श्री ..	कासगंज
४५	काशीप्रसाद पांडेय, श्री ..	कादीपुर
४६	किशनसिंह, श्री	ठाकुरद्वारा
४७	कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	सुल्तानपुर
४८	केशभान राय, श्री	मगहर
४९	केशव पांडेय, श्री	मनीराम
५०	केशवराम, श्री	बिसौली
५१	कैलाशकुमार सिंह, श्री ..	इस्लामनगर
५२	कैलाशनारायण गुप्त, श्री ..	इलाहाबाद शहर (उत्तर)
५३	कैलाशप्रकाश, श्री ..	मेरठ शहर
५४	कैलाशवती, श्रीमती	छिल्लूपुर
५५	कोतवालसिंह भदौरिया, श्री ..	छिबरामऊ
५६	कृपाशंकर, श्री	नगर
५७	खजानसिंह, चौधरी	उन्नाव
५८	खमानीसिंह, डाक्टर	मुरादाबाद (देहात)
५९	खयालीराम, श्री	मोहनलालगंज
६०	खुशीराम, श्री	पिथौरागढ़
६१	खूबसिंह, श्री	धामपुर
६२	गंगाधर जाटव, श्री	एतमादपुर
६३	गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा) ..	गोंडा (दक्षिण)
६४	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा) ..	एटा
६५	गंगाप्रसाद सिंह, श्री	रसरा
६६	गजेंद्रसिंह, श्री	बिधुना
६७	गज्जूराम, श्री	ललितपुर
६८	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री ..	बांसगांव
६९	गनेशचन्द काछी, श्री ..	भोगांव
७०	गनेशीलाल चौधरी, श्री ..	बिस्वाँ
७१	गयाप्रसाद, श्री	कुंडा
७२	गयाबख्शसिंह, श्री	इसौली
७३	गयूर अली खां, श्री	भवन
७४	गरीबदास, श्री	कालपी
७५	गिरधारीलाल, श्री	धामपुर
७६	गुप्तारसिंह, श्री	सरेनी
७७	गुरुप्रसादसिंह, श्री	मुसाफिरखाना
७८	गुलाबसिंह, श्री	मसूरी
७९	गेंदादेवी, श्रीमती	खलीलाबाद
८०	गेंदासिंह, श्री	पडरौना (पूर्व)
८१	गोकुलप्रसाद, श्री	चायल

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
८२	गोपीकृष्ण आजाद, श्री	नारायनी
८३	गोविन्दनारायण तिवारी, श्री	जालौन
८४	गोविन्द सहाय, श्री	नगीना
८५	गोविन्दसिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
८६	गौरीराम गुप्त, श्री	फरेंदा (पश्चिम)
८७	गौरीशंकर राय, श्री	बलिया
८८	घनश्याम डिमरी, श्री	बद्रीनाथ
८९	घासीराम जाटव, श्री	भरथना
९०	चन्द्रजीत यादव, श्री	मोहम्मदाबाद गोहाना
९१	चन्द्रदेव, श्री	पडरौना (उत्तर)
९२	चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री	निजामाबाद
९३	चन्द्रभानु गुप्त, श्री	रानीखेत (दक्षिण)
९४	चन्द्रसिंह रावत, श्री	पौड़ी
९५	चन्द्रहास मिश्र, श्री	बिलग्राम
९६	चन्द्रावती, श्रीमती	बिजनौर
९७	चन्द्रिकाप्रसाद, श्री	बछरावां
९८	चरणसिंह, श्री	कोटना
९९	चित्तरसिंह निरंजन, श्री	कौंच
१००	चिरंजीलाल जाटव, श्री	जलेसर
१०१	छत्तरसिंह, श्री	खुर्जा
१०२	छत्रपति अम्बेश, श्री	आगरा शहर
१०३	छेदीलाल, श्री	श्रीनगर
१०४	छोटेलाल पालीवाल, श्री	सिरहपुरा
१०५	जंगबहादुर वर्मा, श्री	हैदरगढ़
१०६	जगदीशनारायण, श्री	बिलारी
१०७	जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री	मोहम्मदी
१०८	जगदीशप्रसाद, श्री	हसनपुर
१०९	जगदीशशरण अग्रवाल, श्री	बरेली शहर
११०	जगन्नाथ, चौधरी	सिकन्दरपुर
१११	जगन्नाथप्रसाद, श्री	धौरेहरा
११२	जगन्नाथ लहरी, श्री	फिरोजाबाद
११३	जगपतिसिंह, श्री	करवी
११४	जगमोहनसिंह नेगी, श्री	गंगा सलाण
११५	जगवीरसिंह, श्री	अगोटा
११६	जमुनासिंह, श्री	गुन्नौर
११७	जयगोपाल, डाक्टर	हरौरा
११८	जयदेवसिंह आर्य, श्री	घिरोर
११९	जयराम वर्मा, श्री	टांडा
१२०	जरगाम हैदर, श्री सैयद	बहराइच (उत्तर)
१२१	जवाहरलाल, श्री	मंझनपुर
१२२	जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	कानपुर शहर
१२३	जागेश्वर, श्री	किशनपुर
१२४	जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री	कांठ

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१२५	जुगलकिशोर, आचार्य ..	.. गोवर्धन
१२६	जोखई, श्री ..	.. मेजा
१२७	ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री	.. घाटमपुर
१२८	झारखंडेराय, श्री ..	.. घोसी
१२९	टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री	.. खैराबाद
१३०	टीकाराम, श्री ..	.. बदायूं
१३१	टीकाराम पुजारी, श्री	.. सादाबाद
१३२	डूंगरसिंह, श्री ..	.. राठ
१३३	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	.. सिधौली
१३४	तारादेवी, डाक्टर ..	.. मड़ियाहूं
१३५	तिरमलसिंह, श्री ..	.. सहावर
१३६	तेजबहादुर, श्री ..	.. लालगंज
१३७	तेजासिंह, श्री ..	.. गाजियाबाद
१३८	त्रिलोकीसिंह, श्री ..	.. लखनऊ शहर (पूर्व)
१३९	दत्त, श्री एस० जी०	.. कानपुर शहर
१४०	दर्शनसिंह, श्री	.. शाहजहांपुर
१४१	दशरथप्रसाद, श्री ..	.. बलरामपुर
१४२	दाताराम चौधरी, श्री..	.. नकुड़
१४३	दीनदयालु करुण, श्री	.. बलरामपुर
१४४	दीनदयालु शर्मा, श्री	.. अनूपशहर
१४५	दीनदयालु शास्त्री, श्री	.. रुड़की
१४६	दीपंकर, आचार्य ..	.. बड़ौत
१४७	दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री	.. देवरिया (दक्षिण)
१४८	दुर्योधन, श्री ..	.. महाराजगंज
१४९	देवकीनन्दन विभव, श्री	.. आगरा शहर
१५०	देवदत्तसिंह, श्री ..	.. टप्पल
१५१	देवनारायण भारतीय, श्री	.. जमौर
१५२	देवराम, श्री	.. शादियाबाद
१५३	देवीप्रसाद मिश्र, श्री	.. अकबरपुर
१५४	द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	.. मुजफ्फरनगर
१५५	द्वारिकाप्रसाद, श्री ..	.. कन्नौज
१५६	द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री	.. फरेन्दा (पूर्व)
१५७	धनीराम, श्री ..	.. लालगंज
१५८	धनुषधारी पांडेय, श्री	.. महुली
१५९	धरमपाल सिंह, श्री	.. तुलसीपुर
१६०	धर्मदत्त वैद्य, श्री ..	.. सिरौली
१६१	धर्मसिंह, श्री ..	.. अनूपशहर
१६२	नत्थाराम रावत, श्री	.. बाराबंकी
१६३	नत्थूसिंह, श्री (बरेली)	.. फरीदपुर
१६४	नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)	.. करहल
१६५	नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	.. हाथरस
१६६	नन्दराम, श्री ..	.. कुण्डा

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१६७	नरदेवसिंह दतियानवी, श्री	.. चांदपुर
१६८	नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री	.. केदारनाथ
१६९	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	.. पिथौरागढ़
१७०	नवलकिशोर, श्री ..	.. आंवला
१७१	नागेश्वरप्रसाद, श्री ..	.. गरवारा
१७२	नारायणदत्ततिवारी, श्री	.. नैनीताल
१७३	नारायणदास पासी, श्री	.. बीकापुर (पश्चिम)
१७४	निरंजनसिंह, श्री ..	.. पीलीभीत
१७५	नेकराम शर्मा, श्री ..	.. अतरौली
१७६	पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री	.. अतरौलिया
१७७	पब्बरराम, श्री ..	.. गाजीपुर
१७८	परमानन्द सिनहा, श्री	.. सोरांव (पश्चिम)
१७९	परमेश्वरदीन वर्मा, श्री	.. पुर्वा
१८०	पहलवानसिंह, चौधरी	.. बान्दा
१८१	प्रकाशवती सूद, श्रीमती.	.. मेरठ (छावनी)
१८२	प्रतापबहादुरसिंह, श्री	.. फखरपुर
१८३	प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री	.. लहरपुर
१८४	प्रतापसिंह, श्री ..	.. टनकपुर
१८५	प्रभावती मिश्र, श्रीमती	.. लम्भुआ
१८६	प्रभुदयाल, श्री ..	.. बानगंगा (पश्चिम)
१८७	फतेहसिंह राणा, श्री	.. सरधना
१८८	बंशीधर शुक्ल, श्री ..	.. श्रीनगर
१८९	बदलूराम, श्री ..	.. बहराइच (दक्षिण)
१९०	बलदेवसिंह, श्री ..	.. महदेवा
१९१	बलदेवसिंह आर्य, श्री	.. शाहाबाद
१९२	बसन्तलाल, श्री ..	.. लखनऊ (छावनी)
१९३	बादामसिंह, श्री ..	.. शिकारपुर
१९४	बाबूराम, श्री ..	.. भोजीपुरा
१९५	बाबूलाल कुसुमेश, श्री	.. प्रतापगंज
१९६	बालकराम, श्री ..	.. तिलहर
१९७	बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री	.. डोमरियागंज (दक्षिण)
१९८	बिन्दुमती दास, श्रीमती.	.. प्रतापगंज
१९९	बिशम्बरसिंह, श्री ..	.. हस्तिनापुर
२००	बिहारीलाल, श्री ..	.. बीसलपुर
२०१	बुलाकीराम, श्री ..	.. हरदोई
२०२	बुद्धीलाल, श्री ..	.. मानपारा
२०३	बुद्धीसिंह, श्री ..	.. बहजोई
२०४	बृजबासी लाल, श्री	.. बीकापुर (पश्चिम)
२०५	बृजरानी मिश्र, श्रीमती	.. बिल्हौर
२०६	बेचनराम, श्री ..	.. ज्ञानपुर
२०७	बेचनराम गुप्त, श्री	.. ज्ञानपुर
२०८	बेनीबाई, श्रीमती . ..	.. मऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२०९	बैजूराम, श्री ..	.. सिधौली
२१०	ब्रजनारायण तिवारी, श्री	.. पडरौना (पश्चिम)
२११	ब्रजभूषणशरण, श्री	.. देहरादून
२१२	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	.. कानपुर शहर
२१३	भगवती प्रसाद दुबे, श्री	.. भावापुर
२१४	भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	.. प्रतापगढ़ (दक्षिण)
२१५	भगवतीसिंह बिशारद, श्री	.. भगवन्तगनर
२१६	भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री	.. बाराबंकी
२१७	भजनलाल, श्री ..	.. औरैया
२१८	भीखालाल, श्री ..	.. हसनगंज
२१९	भीमसेन, श्री ..	.. खुर्जा
२२०	भुवनेशभूषण शर्मा, श्री	.. इटावा
२२१	भूपकिशोर, श्री ..	.. अलीगंज
२२२	मंगलाप्रसाद, श्री ..	.. मेजा
२२३	मंजूरुलनबी, श्री ..	.. सहारनपुर
२२४	मथुराप्रसाद पांडेय, श्री	.. नौगढ़
२२५	मदनगोपाल वैद्य, श्री	.. अमीसन
२२६	मदन पांडेय, श्री ..	.. तिलपुर
२२७	मदनमोहन, श्री ..	.. फैजाबाद
२२८	मन्नालाल, श्री ..	.. मोहमदी
२२९	मलखानसिंह, श्री ..	. सिकन्दराराव
२३०	मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)	.. मैनपुरी
२३१	महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)	.. दसना
२३२	महमूद अली खां, श्री (रामपुर)	.. स्वार टांडा
२३३	महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)	.. मुजफ्फराबाद
२३४	महमूद हुसैन खां, श्री	.. सम्भल
२३५	महादेवप्रसाद, श्री ..	.. फखरपुर
२३६	महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री	.. केवाई
२३७	महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री	.. लखनऊ शहर (मध्य)
२३८	महीलाल, श्री ..	.. बिलारी
२३९	महेंद्ररिपुदमनसिंह, राजा	.. बाह
२४०	महेशसिंह, श्री ..	.. हरदोई
२४१	माताप्रसाद, श्री ..	.. शाहगंज
२४२	मान्धातासिंह, श्री ..	.. कोपाचीत
२४३	मिहरबानसिंह, श्री ..	.. भरथना
२४४	मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री	.. रुदौली
२४५	मुक्तिनाथ राय, श्री	.. गोपालपुर
२४६	मुजफ्फर हसन, श्री ..	.. चायल
२४७	मुनीन्द्रपालसिंह, श्री	.. बीसल
२४८	मुबारकअली खां, श्री	.. उसेहट
२४९	मुरलीधर, श्री ..	.. माहुल
२५०	मुरलीधर कुरील, श्री	.. बिल्हौर

सत्यमेव जयते

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
२५१	मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री	.. सफीपुर
२५२	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	.. वाराणसी शहर (उत्तर)
२५३	मुहम्मद फारुक चिश्ती, श्री	.. देवरिया (उत्तर)
२५४	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	.. बानगंगा (पूर्व)
२५५	मुहम्मद हुसैन, श्री ..	.. बरेली छावनी
२५६	मूलचन्द, श्री ..	.. मिसरिख
२५७	मोतीलाल अवस्थी, श्री	.. कानपुर (देहात)
२५८	मोहनलाल, श्री ..	.. महोबा
२५९	मोहनलाल गौतम, श्री	.. कोयल
२६०	मोहनलाल वर्मा, श्री	.. संडीला
२६१	मोहनसिंह मेहता, श्री	.. दानपुर
२६२	यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री	.. रायबरेली (उत्तर)
२६३	यमुनासिंह, श्री ..	.. शादियाबाद
२६४	यशपालसिंह, श्री ..	.. देवबन्द
२६५	यशोदा देवी, श्रीमती	.. बांसगांव
२६६	यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा	.. जौनपुर
२६७	रऊफ जाफरी, श्री ..	.. मछलीशहर
२६८	रघुनाथसहाय यादव, श्री	.. किशनपुर
२६९	रघुरनतेज बहादुर सिंह, श्री उपनाम लाल साहब ..	.. सादुल्लानगर
२७०	रघुराजसिंह चौधरी, श्री	.. बुलन्दशहर
२७१	रघुवीरराम, श्री ..	.. मोहम्मदाबाद
२७२	रघुवीरसिंह, श्री (एटा)	.. जलेसर
२७३	रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)	.. बागपत
२७४	रणबहादुरसिंह, श्री	.. हरैया (पश्चिम)
२७५	रमाकांतसिंह, श्री ..	.. अमेठी
२७६	रामनाथ खैरा, श्री ..	.. ललितपुर
२७७	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री ..	.. बरसाथी
२७८	राघवराम पांडेय, श्री	.. गोंडा (दक्षिण)
२७९	राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री	.. मनकापुर
२८०	राजकिशोर राव, श्री	.. इकौना
२८१	राजदेव उपाध्याय, श्री	.. सिधुवाजोबना
२८२	राजनारायण, श्री ..	.. कसवरसरकारी
२८३	राजनारायणसिंह, श्री	.. अहरौरा
२८४	राजबिहारी सिंह, श्री	.. कसंवर राजा
२८५	राजाराम शर्मा, श्री	.. खलीलाबाद
२८६	राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती	.. डोमरियागंज (उत्तर)
२८७	राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती	.. मौदहा
२८८	राजेन्द्रदत्त, श्री ..	.. शिकारपुर
२८९	राजेन्द्रसिंह, श्री ..	.. गोंडवा
२९०	राजेन्द्रसिंह यादव, श्री	.. शमसाबाद
२९१	रामअधार तिवारी, श्री	.. प्रतापगढ़ (उत्तर)

लोक सभा सचिवालय

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
२९२	राम अभिलाख, श्री ..	.. गोंडा (उत्तर)
२९३	रामकिंकर, श्री ..	.. पट्टी
२९४	रामकुमार वैद्य, श्री	.. अमरोहा
२९५	रामकृष्ण जैसवार, श्री	.. कंतित
२९६	रामकृष्ण सारस्वत, श्री	.. फर्रुखाबाद
२९७	रामचन्द्र उनियाल, श्री	.. रवाईं
२९८	रामचन्द्र विकल, श्री	.. सिकन्दराबाद
२९९	रामजीलाल सहायक, श्री	.. सरधना
३००	रामजीसहाय, श्री ..	.. सिलहट
३०१	रामदास आर्य, श्री ..	.. जानसठ
३०२	रामदीन, श्री ..	.. करहल
३०३	रामदुलारे मिश्र, श्री	.. अकबरपुर
३०४	रामनाथ पाठक, श्री	.. दोआबा
३०५	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	.. सुरहुरपुर
३०६	रामपाल त्रिवेदी, श्री	.. मलीहाबाद
३०७	रामप्रसाद, श्री ..	.. सलोन
३०८	रामप्रसाद देशमुख, श्री	.. कोयल
३०९	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	.. लैंसडाउन
३१०	रामबली, श्री ..	.. मुसाफिरखाना
३११	राममूर्ति, श्री ..	.. बहेड़ी
३१२	रामरतनप्रसाद, श्री	.. रसरा
३१३	रामरती देवी, श्रीमती	.. अकबरपुर
३१४	रामलक्षण तिवारी, श्री	.. बांसडीह (पूर्व)
३१५	रामलखन, श्री (वाराणसी)	.. चन्दौली
३१६	रामलखन मिश्र, श्री	.. बांसी (पश्चिम)
३१७	रामलखन सिंह, श्री	.. रारी
३१८	रामलाल, श्री ..	.. नगर
३१९	रामवचन यादव, श्री	.. माहुल
३२०	रामशरण यादव, श्री	.. मोहनलालगंज
३२१	रामसनेही भारतीय, श्री	.. बबेरू
३२२	राम समझावन, श्री ..	.. केराकत
३२३	रामसिंह चौहान, श्री वैद्य	.. एतमादपुर
३२४	रामसुन्दर पांडेय, श्री	.. नत्थूपुर
३२५	रामसूरत प्रसाद, श्री	.. पिपराइच
३२६	रामस्वरूप यादव, श्री	.. जसराना
३२७	रामस्वरूप वर्मा, श्री	.. भोगनीपुर
३२८	रामहेत सिंह, श्री ..	.. छाता
३२९	रामायणराय, श्री ..	.. पडरौना (दक्षिण)
३३०	रामेश्वरप्रसाद, श्री ..	.. बछरावां
३३१	रुकनुद्दीन खां, श्री ..	.. कोंहडौर
३३२	रूमसिंह, श्री ..	.. खेरा बजेहरा
३३३	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	.. काशीपुर
३३४	लक्ष्मणराव कदम, श्री	.. गरोठा

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
३३५	लक्ष्मीनारायण, श्री	.. पहाड़पुर
३३६	लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री	.. फतेहाबाद
३३७	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	.. माट
३३८	लायकसिंह, चौधरी	.. शिकोहाबाद
३३९	लाल बहादुर, श्री ..	.. शिवपुर
३४०	लालबहादुर सिंह, श्री	.. केराकत
३४१	लुत्फ अली खां, श्री ..	.. हापुड़
३४२	लोकनाथ सिंह, श्री ..	.. कटेहर
३४३	बजरंगबिहारीलाल रावत,	.. हैदरगढ़
३४४	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	.. जमानिया
३४५	वसी नकवी, श्री ..	.. रोखा
३४६	वासुदेव दीक्षित, श्री	.. खागा
३४७	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	.. मोदीनगर
३४८	विजयशंकर सिंह, श्री	.. मुहम्मदाबाद
३४९	विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती	.. शाहाबाद
३५०	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती	.. देवप्रयाग
३५१	विशाल सिंह, श्री ..	.. भिटौली
३५२	विश्राम राय, श्री ..	.. आजमगढ़
३५३	विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	.. करांद
३५४	विश्वेश्वरानन्द, स्वामी	.. फतेहपुर-सीकरी
३५५	वीरसेन, श्री ..	.. हापुड़
३५६	वीरेन्द्र वर्मा, श्री ..	.. कैराना
३५७	वीरेन्द्रशाह, राजा ..	.. कालपी
३५८	व्रजगोपाल सक्सेना, श्री	.. महोबा
३५९	व्रजविहारी मेहरोत्रा,	.. घाटमपुर
३६०	शंकरलाल, श्री ..	.. कादीपुर
३६१	शकुन्तला देवी, श्रीमती	.. हरौरा
३६२	शब्बीर हसन, श्री .	.. खजुहा
३६३	शम्सल इस्लाम, श्री	.. निधपुर
३६४	शम्भू दयाल, श्री ..	.. संडीला
३६५	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	.. हरद्वार
३६६	शिवगोपाल तिवारी ..	.. सफीपुर
३६७	शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)	.. सिधुवाजोबना
३६८	शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)	.. खीरी
३६९	शिवमंगलसिंह, श्री	.. बांसडीह (पश्चिम)
३७०	शिवमूर्ति सिंह, श्री	.. फूलपुर
३७१	शिवराज बली सिंह, श्री	.. फतेहपुर
३७२	शिवराज बहादुर, श्री	.. नवाबगंज
३७३	शिवराज सिंह यादव, श्री	.. बिसौली
३७४	शिव राम, श्री ..	.. अफजलगढ़
३७५	शिवराम पांडेय, श्री	.. डेरापुर
३७६	शिववचन राव, श्री	.. सलेमपुर (दक्षिण)
३७७	शिवशंकरसिंह, श्री	.. डलमऊ

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
३७८	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री ..	इकौना
३७९	शीतला प्रसाद, श्री ..	तरबगंज
३८०	शोभनाथ, श्री	राबर्ट्सगंज
३८१	श्याममनोहर मिश्र, श्री ..	लखनऊ (छावनी)
३८२	श्यामलाल, श्री	माट
३८३	श्यामलाल यादव, श्री	मुगलसराय
३८४	श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी ..	किथोर
३८५	श्रीकृष्णगोयल, श्री ..	उझानी
३८६	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री ..	खैरागढ़
३८७	श्रीनाथ, श्री	मोहम्मदाबाद गोहना
३८८	श्रीनाथ भार्गव, श्री	मथुरा
३८९	श्रीनिवास, श्री	गांगिरी
३९०	श्रीपाल सिंह, कुंवर ..	शाहगंज
३९१	संग्रामसिंह, श्री	सोरांव (पूर्व)
३९२	सईद अहमद अन्सारी, श्री ..	ज्वालापुर
३९३	सजीवनलाल, श्री	हसनगंज
३९४	सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती ..	दादरी
३९५	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	वाराणसी शहर (दक्षिण)
३९६	सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती ..	सरजू
३९७	सियादुलारी, श्रीमती ..	करवी
३९८	सीताराम, डाक्टर	सिलहट
३९९	सीताराम शुक्ल, श्री ..	हरैया (पूर्व)
४००	सुक्खनलाल, श्री	हसनपुर
४०१	सुखरानी, श्रीमती	फतेहपुर
४०२	सुखराम दास, श्री	टांडा
४०३	सुखलाल, श्री	औरैया
४०४	सुखीराम भारतीय, श्री ..	फूलपुर
४०५	सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री ..	मऊ
४०६	सुनीता चौहान, श्रीमती ..	सलोन
४०७	सुन्दरलाल, श्री	फरीदपुर
४०८	सुरथबहादुर शाह, श्री ..	निघासन
४०९	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री ..	हमीरपुर
४१०	सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार ..	पुवायां
४११	सुरेशप्रकाश सिंह, श्री ..	बिसवां
४१२	सुल्तान आलम खां, श्री ..	कायमगंज
४१३	सूरतचन्द्र रमोला, श्री ..	टेहरी
४१४	सूर्यबली पांडेय, श्री ..	हाटा
४१५	सोहनलाल धुसिय, श्री ..	बांसी (पूर्व)
४१६	हमीदुल्ला खां, श्री	चारदा
४१७	हरकेशबहादुर, श्री	पट्टी
४१८	हरदयाल सिंह, श्री ..	जलालाबाद
४१९	हरदयालसिंह पिपल, श्री ..	हाथरस
४२०	हरदेव सिंह, श्री	देवबन्द

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
४२१	हरिदत्त कांडपाल, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
४२२	हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर
४२३	हरिश्चन्द्र सिंह, श्री ..	..	दातागंज
४२४	हरिहरबख्श सिंह, श्री	..	पाली
४२५	हरीसिंह, श्री ..	..	किथौर
४२६	हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री	..	मुरादाबाद शहर
४२७	हिम्मत सिंह, श्री ..	..	डिबाई
४२८	हुकुमसिंह विसेन, श्री	..	कैसरगंज
४२९	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	..	मंझनपुर
४३०	होरीलाल यादव, श्री	..	कन्नौज
४३१	(रिक्त) ..	..	इगलास

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

विधान सभा सचिवालय पटना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री रामनारायण त्रिपाठी, बी० एस-सी० ।

सचिव, विधान मंडल

श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

कमेटी आफिसर

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

अधीक्षक

श्री अहीन्द्रनाथ मित्र ।

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।

श्री गिरधारीलाल, बी० ए० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा मुजेश्वर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

132568

बुधवार, २९ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्मारामगोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५८

अक्षयवरसिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजाहुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराम, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवतीसूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथूराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकली, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री

रानारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्री
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दरपांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
ब्रजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर,
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री

सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र सिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीम (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २९ मार्च, १९६१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न
भारत–पाकिस्तान रेल लिंक समझौता

**१---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित), श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) तथा श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---क्या यह सही है कि भारत सरकार के रेल मंत्री या भारत सरकार ने प्रादेशिक सरकार को कोई पत्र लिखा है जिसमें भारत–पाकिस्तान रेल लिंक समझौते पर प्रादेशिक सरकार से राय मांगी गई है ? यदि हां, तो प्रादेशिक सरकार ने भारत सरकार को क्या राय दी ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---जी हां, इस संबंध में भारत सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है परन्तु उसका विवरण देना जनहित में उचित न होगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह रेल लिंक हो जाने पर जब हजारों पाकिस्तान के नागरिक यहां से पास होंगे तो क्या उनके आने-जाने को सरकार छिपा सकेगी जो उनके बारे में न बताना जनहित में समझती है ?

श्री अध्यक्ष---वे यह थोड़े ही कहते हैं कि इजाजत दे दी। वे तो कहते हैं कि बातचीत क्या हो रही है यह बताना जनहित में नहीं होगा।

श्री अवधेश प्रतापसिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय में सदन की राय लेना उचित समझेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---सदन की राय और सदन के विचार का थोड़ा बहुत सरकार को पता रहता है और उसी का प्रतिनिधित्व जब समय आता है तो सरकार करने की चेष्टा करती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला [illegible])---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सरकार ने जो राय केन्द्रीय सरकार को दी है उसका बताना जनहित में इसलिये नहीं है कि वह राय जनहित के विरुद्ध है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---इस पर अभी विचार हो रहा है । जब कुछ निश्चित हो जायगा तब बात आयेगी, अभी तो कोई बात है नहीं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने सदन की राय को किस प्रकार जान लिया, कोई बैठक की थी या किसी और तरीके से जान लिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सदन की राय सदन के सदस्यों से बातचीत करने में और कभी-कभी यहां बहुत से विषयों के सम्बन्ध में जो विचार सदन के लोग व्यक्त करते हैं उनसे अनुमान कर लिया जाता है और उसी के अनुसार उसको नापतौल कर जो सरकार को फिर निर्णय लेने होते हैं, वह लेती है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न के ऊपर सदन की राय उन्होंने कब और किस प्रकार जानी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सदन के सदस्य तो अक्सर मिला करते हैं और उस विषय में बातचीत होती रहती है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या यह मान लिया जाय कि माननीय मुख्य मंत्री ने यह माना है कि यह सदन भारत-पाकिस्तान रेल लिंक होने के विरोध में है ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री अवधेशप्रतापसिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपोजीशन के किसी मेम्बर से भी इस विषय पर वार्तालाप या विचार विनिमय हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अपोजिशन के मेम्बर्स के बहुत से विचार सरकार को विदित हैं और समय-समय पर वे विचार बहुत से विषयों पर व्यक्त होते हैं । सरकार उनसे नतीजा निकाल कर समझ सकती है कि सदन के सदस्य क्या चाहते हैं। इस विषय में कोई खास बात किसी अपोजिशन के सदस्य से नहीं हुई ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विरोधी दल के सदस्यों की राय किसी ज्योतिषी के द्वारा जान ली है या निश्चित रूप से इस विषय पर किसी विरोधी दल के सदस्य या नेता से उन्होंने चर्चा भी की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---पाकिस्तान से क्या रवैया होना चाहिये, क्या बात होनी चाहिये, किस तरह से होनी चाहिये इस पर समय-समय पर जो सदन के सदस्य हैं और विरोधी दल में भी हैं वे भी इस सदन के बाहर अपनी रायें व्यक्त किया करते हैं और उससे भी सरकार के पास जानकारी रहती है और लोगों के विचार समय-समय पर आते रहते हैं व्यक्ति विशेष के नहीं, लेकिन समुदाय के संकलित रूप से विचार आते रहते हैं ।

पंचायत निरीक्षकों की नियुक्ति

****२--श्रीमती सुनीता चौहान** (जिला रायबरेली)---पंचायत निरीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में १३ मार्च ,१९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८-१० के उत्तरों के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या १९४९ में लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत पंचायत राज निरीक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति P.S.C. द्वारा ले ली गई थी ? यदि हां, तो दिनांक २४ सितम्बर, १९५५ में नियुक्त १४ पंचायतराज निरीक्षक की स्वीकृति P.S.C. द्वारा किन कारणों से नहीं ली गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---जी हां, जो नियुक्तियां सितम्बर, १९५५ में हुईं वह भी P. S. C. द्वारा स्वीकृत सूची में से थीं किन्तु उस सूची को बने हुए एक वर्ष से अधिक की अवधि हो गई थी । अतः यह विषय आयोग के विचाराधीन है ।

**३—श्रीमती सुनीता चौहान—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १४ पंचायतराज निरीक्षकों को नियुक्ति-पत्र देते समय यह भी जिक्र किया गया था कि एक वर्ष पश्चात् नियुक्ति होने के कारण सेवाओं में स्थायित्व नहीं रहेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—इनके नियुक्ति-पत्रों में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इनके पद अस्थायी हैं और इनकी सेवायें बिना सूचना समाप्त की जा सकती हैं ।

श्रीमती सुनीता चौहान—क्या सरकार बतायगी कि इन १४ इंस्पेक्टरों की नियुक्ति अवधि के भीतर क्यों नहीं की जा सकी ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रश्न यह है कि नियुक्ति उस समय होती है जब स्थान रिक्त होते हैं। १९५३ में पब्लिक सर्विस कमीशन से यह कहा गया था कि वह एक सूची बनाकर भेज दे । उस समय पहले वाले व्यक्तियों के लिये २८ पद रिक्त थे, किन्तु साधारणतया ऐसा भी करते हैं कि जब कमीशन से कोई सूची मांगते हैं तो यह भी निवेदन कर दिया जाता है कि इसके अतिरिक्त भी सूची बनाकर भेज दें जिससे यदि इस दौरान में पद रिक्त हों तो उस अतिरिक्त सूची में से उन पदों पर नियुक्ति कर दी जाय । अतः इन २८ पदों के लिये तथा २० अतिरिक्त सूची में आयोग ने नाम भेज दिये । जो २८ पद रिक्त थे उनमें नियुक्ति हुई थी । बाकी में जो पद रिक्त हुये उन पदों पर इस अतिरिक्त सूची में से नियुक्तियां की गयीं ।

श्रीमती सुनीता चौहान—क्या सरकार बतायेगी कि इन लोगों को नियुक्तिपत्र देते समय यह दर्शाया गया था कि तुम्हारा एप्वाइंटमेंट अतिरिक्त सूची के आधार पर हो रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं । इस बात की कोई आवश्यकता नहीं थी कि उनसे कहा जाय कि आपकी नियुक्ति "बी" सूची के अनुसार हो रही है, किन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह पद अस्थायी हैं और जो नियुक्ति-पत्र है उसका मैं कुछ अंश पढ़ देना चाहता हूं कि "पंचायत निरीक्षकों के उपरोक्त अस्थायी पद विभाग के पंचायत निरीक्षकों के नियोजन विभाग में डेपूटेशन के कारण रिक्त हैं और इस प्रकार इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों पर वहां अस्थायी पदों के प्रतिबन्ध लागू होंगे। वहां संबंधित व्यक्ति की सेवायें, संबंधित निरीक्षक के नियोजन विभाग से वापस आने पर बिना किसी पूर्व सूचना के भी समाप्त की जा सकती है।"

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या मंत्री जी बतायेगें कि इन १४ इंस्पेक्टरों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये साक्षात्कार के लिये आयोग ने बुलाया है, यदि हां तो कब ?

श्री कैलाशप्रकाश—जहां तक मेरी सूचना है, वह यह है कि जब आयोग को लिखा गया तो वह सहमत हो गया था कि उनको साक्षात्कार के लिये बुला ले और सम्भवतः १५ मार्च को उन्होंने बुलाया ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी बतायेगें कि अतिरिक्त सूची में से कितने आदमी आज तक नियुक्त हो सके हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—कोई निश्चित संख्या तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसमें १७ की नियुक्ति हो गई थी, जिनमें से कुछ लोग विभाग में नहीं हैं और यह १४ लोग हैं ।

श्रीमती सुनीता चौहान—क्या सरकार बतायेगी कि जब १९४९ में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एप्रूव्ड इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के पहले स्वीकृति ले ली गई थी तो इन इंस्पेक्टरों के लिये स्वीकृति क्यों नहीं ले ली गई ?

श्री कैलाशप्रकाश--क्षमा कीजिये, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। यह तो आयोग को १९५३ में सूची भेजने के लिये लिखा गया था और १९४९ का तो प्रश्न ही नहीं है। १९५३ में जो स्थान रिक्त थे उनके लिये लिया गया था और आयोग ने सूची बनाकर १९५४ में भेजी थी और इन निरीक्षकों की जिनका मसला प्रश्न में है, १९५५ में नियुक्ति हुई थी।

श्रीमती सुनीता चौहान--माननीय ऊदल जी के प्रश्न में सरकार का यह उत्तर गया था कि १९४९ में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एप्रूव्ड व्यक्तियों की नियुक्ति के पहले स्वीकृति ले ली गई थी। उसी के आधार पर मैं जानना चाहूंगी कि जो १४ इंस्पेक्टर्स नियुक्त किये गये हैं उनको यह मालूम हुआ है २ मई १९५८ को कि उनकी नियुक्ति स्थायी नहीं है इसकी स्वीकृति सरकार ने क्या पब्लिक सर्विस कमीशन से नियुक्ति के पूर्व ले ली थी ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, स्थायी पद होते हैं और अस्थायी पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्ति हो जाती है। किन्तु इसमें सौभाग्य वश ऐसी बात थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की आयी हुई सूची थी और जब १९५५ में वह अस्थायी पद रिक्त हुए तो बजाय इसके कि कहीं बाहर से नियुक्ति की जाती जो पब्लिक सर्विस कमीशन से अतिरिक्त सूची आयी हुई थी उसमें से नियुक्ति कर दी गयी। उससे पहले उनकी स्वीकृति लेने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वे अस्थायी पद थे। जब नियुक्ति करनी हुई अस्थायी रूप से नियुक्ति कर ली गयी।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब १४ इंस्पक्टरों को आयोग ने परीक्षा हेतु बुलाया है, तो जो स्थान रिक्त होंगे उन पर दूसरी नियुक्ति कर ली जायगी, या यह लोग लौटकर आयेंगे तो अपने पदों पर काम करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--यह तो अभी काम कर ही रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा कीप्र किया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न।]

वाइल्ड बर्ड्स ऐण्ड ऐनीमल प्रोटेक्शन ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमे

*१--**श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाइल्ड बर्ड्स ऐन्ड ऐनिमल प्रोटेक्शन (यू० पी) (एमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १९३४ (यू० पी० ऐक्ट १३, १९३४) की धारा ३-ए के अन्तर्गत निम्नलिखित जिलों के थानों में ३१ अगस्त, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९६० तक पुलिस द्वारा कितने मुकदमों का चालान किया गया और कितनों को दंडित किया गया--

(१) जिला लखनऊ, थाना चौक, हजरतगंज व कैसरबाग,
(२) जिला गोंडा, थाना सादुल्लानगर, मनकापुर व तरबगंज,
(३) जिला बहराइच, थाना पयागपुर,
(४) जिला फैजाबाद, थाना फैजाबाद कोतवाली ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)--वांछित सूचना इस प्रकार है:--

(१) जिला लखनऊ--थाना हजरतगंज व कैसरबाग से इस अवधि में कोई मुकदमा नहीं भेजा गया न चालान किया गया। थाना चौक से अक्तूबर, १९६० में दो व्यक्तियों की गिरफ्तार करके अदालत में भेजा गया। यह मामला अदालत के विचाराधीन है।

(२) जिला गोंडा थाना सादुल्लापुरनगर, मनकापुर व तरबगंज में कोई मुकदमा इस अवधि में नहीं भजा गया न चालान किया गया।

(३) जिला बहराइच थाना पयागपुर से एक मुकदमा जिसमें ४ व्यक्ति शामिल थे अदालत भेजा गया और हरएक पर अदालत से जुर्माना हुआ।

(४) जिला फैजाबाद थाना फैजाबाद कोतवाली में कोई मुकदमा इस अवधि में नहीं भेजा गया और न चालान किया गया।

[२९ मार्च, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—२—**श्री मदन पाण्डेय** (जिला गोरखपुर)—[२७ मार्च, १९६१ को प्रश्न ३–४ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*३—**श्री मदन पाण्डेय**—[हटा दिया गया।]

*४—६—**श्री ऊदल**—[२३ मार्च, १९६१ को प्रश्न ९—११ के अन्तर्गत उत्तर दये गये।]

*७—८—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—[२३ मार्च, १९६१ को प्रश्न १२–१३ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*९—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[२३ मार्च, १९६१ को प्रश्न १४ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

जंगली मवेशियों को पकड़ने पर विचार

*१०—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जंगली गायों व बछड़ों से क्षेत्रीय फसलों के बचाव के लिये गोरखपुर के कमिश्नर ने अपने जनवरी, १९६० के दौरे के सिलसिले में कोई सुझाव वन विभाग को दिया है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां।

इस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि इसी बीच में जंगली मवेशियों को पकड़ने की एक योजना सरकार के विचाराधीन थी। उस योजना के निर्णय के समय कमिश्नर के सुझाव पर भी विचार किया जायगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कमिश्नर ने इस विषय में क्या सुझाव दिय थे?

श्री अलगूराय शास्त्री—कमिश्नर ने मोटे तौर पर यह बताया कि यह जो इस तरह के पशु हैं उनको गांव वालों को पकड़न का अधिकार दिया जाय जैसे कंट्रैक्टर्स को यह अधिकार दिया जाता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कंट्रैक्टर्स को पकड़ने की वह इजाजत देते हैं तो गांव सभाओं को अख्तियार देने में क्या दिक्कत पेश हो रही है?

श्री अलगूराय शास्त्री—मैंने यह नहीं कहा कि उनको अधिकार देने का बहुत विरोध है। उनके सुझाव और सरकार की जो योजना है वह विचाराधीन है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—इस योजना पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा?

श्री अलगू राय शास्त्री—बड़ी तेजी से विचार हो रहा है, जल्दी हो जायेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इस विषय में सरकार के विचाराधीन जो योजना है, क्या माननीय मंत्री जी उसकी कोई मोटी रूप-रेखा सदन के समक्ष रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—अभी विचार कर रहे हैं तो कैसे रखेंगे ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस योजना में यह भी है कि जो गोरखपुर में जंगली जानवरों के लिये गोसदन बनाया जायगा उसमें देवरिया जिले के भी जंगली पशु ला कर रखे जायेंगे ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि पहले एक ही जिला था, गोरखपुर और देवरिया।

श्री गौरीशंकर राय—वन मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जंगली जानवरों को पकड़ने की कोई योजना है उस योजना के अनुसार कमिश्नर साहब के सुझाव पर गौर नहीं हुआ, तो क्या मंत्री जी गाय और बछड़ों को भी जंगली जानवरों में समझते हैं जिनका कि इसमें जिक्र है ? अगर वह जंगली जानवर नहीं हैं तो फिर उस योजना से और इस सुझाव से क्या सम्बन्ध है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—सवाल यह है कि जैसा प्रश्न में कहा गया है वह तो जंगली गायों और बछड़ों की बात है। सारे सुझाव उसी से सम्बन्धित हैं और आसानी से उसको मंजूर कर लेने से कठिनाइयां पैदा होंगी। उन पशुओं के डिस्पोजल का प्रश्न जटिल है। इसलिये पूरे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह किसानों से सम्बन्धित चीज है और दो साल हो गये कमिश्नर साहब को अपना सुझाव दिये हुए, पिछल साल यह कहा गया था कि कांट्रैक्टरों का ठेका खत्म होते ही ग्राम-सभाओं को दे दिया जाय और अब कहा जा रहा है कि विचार हो रहा है। किसान वहां बरबाद हो रहा है, इसलिये इस पर माननीय मंत्री जी जल्दी विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—मैंने तो निवेदन कर दिया कि बहुत शीघ्रता से विचार करके इस पर ऐक्शन लिया जायगा।

फरेंदा तहसील में पोह नाले की जमीन पर बोरों धान की खेती

*११—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग द्वारा गोरखपुर की फरेंदा तहसील में पोह नाले की जमीन किसानों को बोरों धान की खेती करने के लिये दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी जमीन दी जाती है और उसका क्या लगान किस हिसाब से लिया जाता है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां।

गत तीन वर्षों में बोरों की खेती के लिये निम्नलिखित भूमि दी गई :—

सन्					एकड़
१९५८	..	..	..	..	५१.६६
१९५९	..	..	..	..	८४.३९
१९६०	..	..	..	..	७७.०१

इस भूमि का लगान १२.५० रुपया प्रति एकड़ एक फसल के लिये वसूल किया जाता है।

*१२—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त प्रबन्ध से सरकार को गत ३ वर्षों में अलग-अलग क्या आय हुई है?

श्री अलगूराय शास्त्री—इस प्रबन्ध से गत तीन वर्षों में सरकार को निम्नलिखित आय हुई :—

सन्					आय
					रु० न०पै०
१९५८	..	..	..	..	६४५.७८
१९५९	..	..	..	..	१०५४.९१
१९६०	..	..	..	..	९६२.६४

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि यह जो भूमि संलग्न सूची में दी गई है वह इतनी ही भूमि नहीं है, बल्कि सैकड़ों एकड़ भूमि ऐसी है जिसको कि वन विभाग वाले किसानों को देते हैं और जिसका पैसा गबन कर लेते हैं?

श्री अलगूराय शास्त्री—इस सम्बन्ध में तो सूचना मिलने पर बता सकता हूं। इस समय जो प्रश्न का उत्तर है वह मेरे पास नहीं है।

श्री बलदेवसिंह—लारी साहब ने बताया कि सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी है कि जो वन विभाग वाले उठा देते हैं और उसका लगान अपने आप खा जाते हैं तो इस बारे में जैसा कि उन्होंने कहा कि क्या सरकार जांच करायेगी, तो क्या दिक्कत सरकार को इसको सूचना मानकर इसकी जांच करा लेने में है जिससे कि सरकार की आमदनी में घाटा न हो?

श्री अलगूराय शास्त्री—श्री लारी जी ने और माननीय बलदेव सिंह ने जो बातें कहीं हैं इस समय उन्हीं के आधार पर जांच करा लेने की बात तो नहीं हो सकती, किन्तु जो बातें उनके मुंह से निकली हैं मैं उन पर काफी महत्व दूंगा और देखूंगा कि सही बात क्या है?

सूचना विभाग में गड़बड़ियां

*१३—श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंग कि सरकार को सूचना विभाग में कुछ गड़बड़ियों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इन गड़बड़ियों की जांच कराने का आदेश दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार के पास समय समय पर सरकारी विभागों के बारे में बहुत सी लिखित तथा मौखिक सूचनायें आती रहती हैं। सरकार उनकी सूचनायें स्वतः देख-रेख करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी जांच भी करती है। सूचना विभाग भी ऐसी सूचनाओं से अछता नहीं है, परन्तु जांच के लिये कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

*१४—श्री मदन पाण्डेय (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त जांच किसके द्वारा कराई जा रही है तथा क्या सरकार उक्त जांच के परिणामों को सदन के सम्मुख रखने पर विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

वन रोपण योजना

*१५—श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन लगाने की योजना जो कि प्रदेशीय स्तर पर बनाई गई है उसके ऐस्टीमेट तैयार करने के समय जो रकम स्वीकार की जाती है वह किस आधार पर स्वीकार की जाती है? वृक्षों की गिनती पर या एकड़ों के हिसाब से रकबे पर?

श्री अलगूराय शास्त्री—वन लगाने की योजना के ऐस्टीमेट रकबे के अनुसार मंजूर किये जाते हैं। केवल कुमाऊं में फलदार वृक्ष लगाने की योजना में ऐस्टीमेट वृक्षों की गिनती के अनुसार स्वीकार किये जाते हैं।

*१६—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यथा स्थिति वन रोपण में प्रति वृक्ष या प्रति एकड़ कितना खर्च बैठता है?

श्री अलगूराय शास्त्री—वन रोपण का खर्चा प्रति एकड़ हर स्थान के लिये भिन्न-भिन्न होता है जोकि भूमि की स्थिति तथा वन लगाने के विशेष विधि पर निर्भर होता है। विभिन्न स्थानों में प्लान्टेशन लगाने की दरें नत्थी शुदा सूची "अ" में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठमे ८६–८७ पर)

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टेहरी गढ़वाल में १०० रुपये से १५० रुपये तक इस तालिका में दिया गया है और दक्षिणी वृत्त में ७० रुपये से ८० रुपये तक दिया गया, मुख्यालय में वृत्त में ८० से ८५ रुपये तक दिया गया है और कुमायूं में १२० से १६० रुपये तक प्रति एकड़ दिया गया है तो क्या कारण है कि खीरी जिले में ४०० रुपया प्रति एकड़ खर्च हुआ? वह कौन सी प्रक्रिया है कि जिसके कारण इतना ज्यादा खर्च हुआ?

श्री अलगूराय शास्त्री—कुछ तो जमीन के ऊपर खर्च निर्भर करता है। फिर कहीं वृक्ष मिल जाते हैं, कहीं-नहीं मिलते। इसके अतिरिक्त और भी कई फैक्टर हैं और उन पर ही भिन्न-भिन्न स्थानों पर अलग-अलग हिसाब से खर्च पड़ता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि खीरी जिले में जितना भी प्लान्टेशन हुआ है, वहां की जमीन ऐसी है कि खेती बिना सिंचाई के होती है? यदि हां, तो उस जगह जहां बिना पानी के अन्न हो जाता हो, प्लान्टेशन के लिये ४०० रुपया प्रति एकड़ खर्च हुआ और पहाड़ी स्थानों में उसके मुकाबले में १/४ से कम खर्च हुआ, इसका कारण क्या है?

श्री अध्यक्ष—आप कम करना चाहते हैं?

श्री शिवप्रसाद नागर—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि वहां अन्य स्थानों पर १००, ७०, ८० और ८५ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च हुआ है, लेकिन खीरी में, जहां जमीन मुलायम है और बिना सिंचाई के ही अन्न पैदा होता है, वन लगाने में ४०० रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च हुआ है। तो यह अधिक खर्च जमीन को तोड़ने में हुआ है या और कौन-सा कारण है कि जिसकी वजह से यह चौगुना, पांचगुना खर्च बैठा प्रदेश के अन्य भागों के मुकाबले में?

श्री अलगूराय शास्त्री—श्रीमन्, मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि जानबूझ कर खर्च ज्यादा करने की चेष्टा नहीं की गयी है। वहां की परिस्थितियों के कारण ही इस प्रकार के हाई रेट्स हैं।

श्री गौरीशंकर राय—कृपया वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस खर्च के बढ़ने घटने में बहुत से फैक्टर काम करते हैं, तो क्या खर्च बढ़ने का एक यह भी फैक्टर है कि जो इस्टीमेट बनाते हैं और खर्च करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन के अलग-अलग होने से भी क्या यह खर्च बढ़ जाया करता है?

श्री अलगूराय शास्त्री—मैं नहीं समझता कि उसमें इस तरह का कोई मोटिव है कि जानबूझ कर ज्यादा एस्टीमेट बना दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—वह समझते हैं कि खीरी जिले के मजदूर बहुत कीमती होंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कभी इस तरह की जांच करायी कि ४०० रुपया प्रति एकड़ जो व्यय हुआ है वह सही है, अधिक नहीं है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--मैंने इसकी कोई विशेष जांच तो नहीं करायी है, किन्तु यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो जांच करा लूंगा।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो भूमि प्रबन्धक वृत्त में विधि हुई है प्लान्टेशन की, उसमें लिखा है कि बोआई की विधि से यदि बीज बोया जाय तो ६५ रुपया प्रति एकड़ खर्च पड़ेगा और रोप कर के मिट्टी के गोलों के साथ यदि प्लान्टेशन किया जाय तो ८५ रुपया प्रति एकड़ खर्च होगा और टोकरियों द्वारा पौधे ले जा कर यदि प्लान्टेशन किया जाय तो १०१ रुपया प्रति एकड़ खर्च पड़ेगा। तो इसके अलावा चौथी कौन से प्रकार की विधि है जिसमें यह ४०० रुपया प्रति एकड़ खर्च हुआ है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--इस समय मैं आफ हैड तो नहीं बतला सकता कि वह कौन सी विधि है जिससे इतना ज्यादा खर्च हुआ है, लेकिन इसकी भी जांच इसके साथ हो जायगी।

सीतापुर में बिजली के खम्भों की चोरी

*१७--**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर के विद्युत विभाग की ओर से अगस्त, १९६१ में जन्माष्टमी के दिन बिजली के खंभों की चोरी जाने की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई थी ? यदि हां, तो कितने खंभे चोरी गये थे और उस चोरी की जांच का परिणाम क्या हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--जी हां।

९० पौंड रेल के करीब ४ फुट लम्बे ३६ टुकड़े बालू में दब जाने के कारण लापता हो गये थे। वे सब टुकड़े फिर मिल गये।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो २० खंभे चार चार फिट के चोरी चले गये थे और जिनके लिये जन्माष्टमी के दिन पुलिस में रिपोर्ट लिखायी गयी थी, जब यह मालूम हुआ कि वहां के कर्मचारी ही इसमें इंनवाल्व होंगे तो बड़े-बड़े गर्डर्स २० और २५ फुट के चार-चार फिट के काटे गये और वह चोरी पूरी की गयी, क्या इसकी सूचना मंत्री जी को है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--बात ऐसी नहीं है। बात यह थी कि पावर हाउस के पास मैदान में कुछ खंभे पड़े हुए थे और जो वहां का असिस्टेंट स्टोर कीपर था वह छुट्टी पर चला गया था। इसी बीच में नैमिषारण्य से ट्रकों में कुछ बालू आयी और वह बालू जहां खंभे पड़े हुए थे वहीं डाल दी गयी जिसके कारण वह उसमें दब गये। जब वह स्टोर कीपर छुट्टी से वापस आया तो उसने उन खंभों को वहां पर नहीं पाया और उसकी रिपोर्ट उसने पुलिस में लिखा दी। उसके बाद जब वह बालू वहां से हट गयी, तो वहां पर वह खंभे मिले। जो स्टोर कीपर था उसको यह चेतावनी दे दी गयी है कि उसको इतनी जल्दी में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, यह बताया गया कि जहां पर लकड़ी के टुकड़े पड़े थे वहां पर बालू डाल दी गयी। अगर यह मान लिया जाय कि उसी स्थान पर बालू डाल दी गयी तो स्टोर कीपर को तो मालूम होगा कि उसने कहां पर उन खंभों को रखा था। ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे दूसरे व्यक्ति के द्वारा कि यह बात सही नहीं है, बल्कि बाद को इस चीज को मैनिपुलेट करने के लिये ऐसा कर लिया गया है जवाब देने के लिये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--लकड़ी के टुकड़े तो थे नहीं, लोहे के थे। बात यह थी कि बालू उसी स्थान पर डाली गई थी। चूंकि वहां पर काफी बड़ा मैदान था इसीलिये कुछ भ्रम हो गया था स्थान के बारे में और पता नहीं लग सका था।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कितने ट्रक बालू पड़ी थी जो यह खम्भे दब गये और दिखाई नहीं पड़े ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—मेरे पास सूचना यह है कि बहुत काफी ट्रक बालू के थे । वह कितने थे, इसकी सूचना नहीं है ।

हरिजन कल्याण अधिकारी

*१८—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल जिला हरिजन कल्याण अधिकारी कितने हैं उनमें से हरिजन कितने हैं और पिछड़ी हुई जातियों के कितने हैं ?

हरिजन सहायक उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—कुल ५२ हैं। उनमें से १५ हरिजन और ३ पिछड़ी हुई जातियों के हैं ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि भविष्य में जो भी जिला हरिजन कल्याण अधिकारी हों वह हरिजन या पिछड़ी हुई जाति के ही हों और जब वे उनमें से योग्य व्यक्ति न मिले तभी दूसरे व्यक्ति लिये जायें ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—न तो ऐसा मुनासिब है, न हो ही सकता है और न कोई ऐसे आदेश हैं ।

बचत योजनाएं

*१९—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बचत के हेतु कौन-कौन सी योजनायें सरकार कार्यान्वित कर रही है तथा कौन कौन योजनायें उसके विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—विभिन्न विभागों के व्यय की मदों का सूक्ष्म निरीक्षण किया जा रहा है और जहां कहीं सम्भव हो सकता है, बचत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अब तक निम्नलिखित उपाय किये जा चुके हैं :—

१—मंत्रियों, विधान सभा के अध्यक्ष, विधान परिषद् के सभापति, उप-मंत्रियों तथा सभा सचिवों के वेतन में कमी कर दी गई है ।

२—सरकार के सदस्यों के निवास-स्थानों तथा परिवहन पर प्रासंगिक व्यय में कमी कर दी गई है।

३—प्रवर वर्ग, कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कई पदों पर नियुक्ति स्थगित कर दी गई है ।

४—कई पदों का ग्रेड कम कर दिया गया है ।

५—निर्णय किया गया है कि सरकार के सदस्यों को छोटी मोटर गाड़ियों तथा छोटे निवास स्थान दिये जायें ।

६—यात्रिक भत्ते पर होने वाले व्यय में कमी करने के हेतु यात्रिक भत्ता सम्बन्धी नियमों में संशोधन किये गये हैं ।

७—कार्यालय भवन निर्माण के कुछ कार्य छोड़ दिये गये हैं ।

राजघाट के निकट राप्ती पर पुल निर्माण में विलम्ब

*२०—**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि गोरखपुर के निकट राजघाट में राप्ती नदी पर निर्माण होने वाले पुल के निर्माण में आवश्यक उपकरण उपलब्ध न होने से विलम्ब हो रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी हां ।

सूचना विभाग में अंग्रेजी में कार्य होने की शिकायत

*२१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूचना विभाग के उच्च अधिकारी विभाग में अंग्रेजी में काम करने पर जोर दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार नें क्या सूचना विभाग को अंग्रेजी में काम करने का कोई आदेश दिया है? यदि हां, तो कब और उसका क्या कारण था ?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—जी नहीं ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—श्रीमन् उत्तर मिला है कि "जी नहीं" । तो मैं जानना यह चाहता हूं कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है या सरकार ने कोई आदेश नहीं दिये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—सरकार को ऐसी इत्तिला भी नहीं है और न ही कोई ऐसे आदेश हैं । काम वहां जिस प्रकार पहले हिन्दी में होता था उसी प्रकार अब भी होता है ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि २१ फरवरी, १९६१, को नवजीवन समाचार पत्र में सूचना विभाग के बारे में अंग्रेजी से संबंधित एक लेख निकला था ? यदि वह असत्य था, तो सूचना विभाग ने उसका प्रतिवाद क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । आपको यह प्रश्न लिख कर भेजना चाहिये ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उनको जानकारी है कि इस सदन में यह उत्तर देने के बावजूद कि सूचना विभाग का सारा काम हिन्दी में होता है, अभी हाल ही में सूचना विभाग से अंग्रेजी में आदेश गये हुये हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप स्पष्ट बात नहीं कहते, गोल कहते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—अध्यक्ष महोदय, सूचना विभाग से आर्डर्स (आदेश) अंग्रेजी में गये हैं, इसकी हमें जानकारी है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जानकारी सरकार को भी है ?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने अर्ज किया कि सूचना विभाग का काम जैसे पहले होता था उसी तरह से हिन्दी में हो रहा है । यह मुमकिन है कि कोई चीज कभी अंग्रेजी में चली गई हो, लेकिन ऐसे कोई आदेश नहीं हैं कि हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में काम हो ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को मानकर कि इस प्रकार का प्रचार समाचार-पत्रों में हुआ है और जो कि उनके जवाब से गलत है, ऐसे समाचार का प्रतिवाद कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये आप लिखकर चिट्ठी मंत्री जी को भेज दीजिये ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान समाचार-पत्रों में इस शिकायत की ओर गया है कि सूचना विभाग का काम अंग्रेजी में होने लगा है । अगर गया है तो क्या उस शिकायत की जांच की और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री रऊफ जाफरी—जहां तक इसका सम्बन्ध है कि ऐसी शिकायत छपी है मैंने उसे देखा नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य कहते हैं तो जरूर इसको दिखलवा लेंगे और अगर जरूरत हुई तो उसका प्रतिवाद भी छपेगा ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला बस्ती में छटनी

*२२—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बस्ती के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विभाग के कर्मचारियों को २८ फरवरी, १९६१ से नौकरी से हटाने की नोटिस दी है ? यदि हां, तो क्यों और उन कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां । उनकी नौकरी की मंजूरी २८ फरवरी, १९६१ को समाप्त होने व कार्य की कमी के कारण उन्हें नोटिस दी गई । ऐसे कर्मचारियों की संख्या ३० है ।

पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के संबंध में केन्द्र का आदेश

*२३—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या हरिजन कल्याण विभाग को कोई इस तरह का आदेश इस वर्ष में पिछड़े वर्ग के छात्रों के सम्बन्ध में दिया गया है कि जिनका परीक्षा फल ६० फीसदी से कम हो उन्हें छात्रवृत्ति न दी जाय ? यदि हां, तो इस तरह का आदेश देने का क्या कारण है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—राज्य सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, परन्तु धनाभाव के कारण भारत सरकार के ऐसे आदेश हैं कि इस प्रकार के आधार निर्धारित किये जावें ।

*२४—श्री ऊदल—क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये उन पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति देने पर विचार करेगी जिनका परीक्षाफल ५० फीसदी से ६० फीसदी तक है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी नहीं ।

श्री ऊदल—राज्य सरकार ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन भारत सरकार ने इस तरह का आदेश दिया है इसलिये क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्षों में तो ४० फीसदी तक जिन छात्रों को नम्बर मिले थे उनको सरकार ने छात्रवृत्ति भी दी थी, लेकिन इस साल के आदश स जिन छात्रों को सुविधा नहीं मिल पा रही है उनकी कठिनाई को दूर करने के लिये कोई दूसरा कदम उठाया जायगा ?

डाक्टर जवहारलाल रोहतगी—सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट का आदेल यह है कि हरिजनों को मेट्रीकुलेशन के बाद सबको दिया जाता है और उसके बाद अगर रुपया बचता है तो बैकवर्ड क्लासेज को दिया जाता है, लेकिन उनको मेरिट के हिसाब से दिया जाता है । ५०—६० फीसदी नम्बर की कोई बात नहीं है, अगर नीचे भी नम्बर हों तब भी दिया जा सकता है और गरीबी की हालत में भी दिया जा सकता है । बहरहाल कायदा यही है कि हरिजनों को सबको दिया जायगा और बैकवर्ड क्लासेज को मेरिट पर दिया जायगा ।

श्री ऊदल—क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि आने वाले वर्षों में ४० फीसदी तक नम्बर पाने वाले छात्रों को जो पिछड़े वर्ग के हों उनको भी यह सुविधा प्राप्त होती रहे ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—यह मुमकिन नहीं है । रुपया फालतू होगा तो इससे कम में भी हो सकता है, लेकिन अगर रुपया नहीं होगा तो कैसे होगा ?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि अभी हाल ही में प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो पिछड़े वर्ग या बैकवर्ड जाति के छात्र फेल हो जायं उनको भी लगातार छात्रवृत्ति दी जाय, इसलिये, क्या सरकार उचित समझेगी कि इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांग लें ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—ऐसी कोई खबर नहीं है । जो फेल हो जाते हैं उनको तो दिया ही नहीं जाता, चाहे शैड्यूल्ड कास्ट के हों या बैकवर्ड क्लास के ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—जब केन्द्रीय सरकार से छात्रवृत्ति दी जाती थी ५५ फीसदी वालों तक को तो प्रदेशीय सरकार क्यों नहीं देती है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—शैड्यूल्ड कास्ट के छात्रों को देने के बाद जब रुपया बचता है तब बैकवर्ड क्लासेज को मैरिट पर दिया जाता है ।

जिला सूचना अधिकारियों का स्थायित्व

*२५—**श्री कैलाशनारायण गुप्त** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सूचना अधिकारियों के पदों को स्थाई करने के सम्बन्ध में सरकार को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की सिफारिशें कब प्राप्त हुई हैं और सरकार उन्हें कब कार्यान्वित करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला सूचना अधिकारियों के पदों को स्थाई करने से लोक सेवा आयोग का कोई सम्बन्ध नहीं है । हां, जो व्यक्ति उन पदों पर कार्य कर रहे हैं उन्हें स्थाई करने से लोक सेवा आयोग का संबंध है । जिला सूचना अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग की सिफारिशें जनवरी, १९६० में प्राप्त हुई थीं जो अभी सरकार के विचारा धीन हैं ।

भीरा-पलिया स्टेशनों के बीच शारदा का पुल चौड़ा करने पर अनुमानित व्यय

*२६—**श्री छेदीलाल** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में भीरा पलिया स्टेशनों के बीच जो शारदा नदी का पुल चौड़ा करके बस ट्रक मोटरों के निकलने का बनाया जाने वाला है उसका बनाना कब शुरू किया जायगा और कितने वर्षों में बन कर तैयार होगा ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—इस रेल के पुल पर सड़क (Road decking) बनाने का काम तथा उसका पूरा करना भारत सरकार से संबंधित है ।

*२७—**श्री छेदीलाल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस पुल के चौड़ा करने में कितना रुपया किस मद में खर्च होने का अनुमान है ?

श्री धर्मसिंह—वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८८ पर)

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल की पूर्व योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई पत्र व्यवहार हुआ है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**श्री धर्मसिंह**—केन्द्रीय सरकार से इस बारे में लिखा पढ़ी होती रही है । उनकी २ शर्तों को मानकर प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इत्तला करनी है ।

श्री बालक राम (जिला शाहजहांपुर)—वे दो शर्तें कौन-कौन सी है ।

श्री धर्मसिंह—स्टेट गवर्नमेन्ट मेंटीनेन्स इत्यादि का खर्चा बर्दाश्त करे और सड़क (road decking) के तोड़ने के खर्च को बरदास्त करने के लिये स्टेट गवर्नमेन्ट तैयार है या नहीं । दोनों में २७,९०७ और ७,००० रुपये के इम्पलीकेशन्स हैं ।

---

†३ मई, १९६१ को दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी को पता है कि लखीमपुर से पलिया तक दोनों ओर करोड़ों रुपया खर्च करके वर्षों से सड़क बनी पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिमाइंडर भेजकर पुल शीघ्र बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---सरकार तो पूरे तरीके से कोशिश करती ही रही है ।

नैनीताल व पीलीभीत जिला परिषदों द्वारा सड़कों के निर्माण के लिये सिफारिशें तथा सितारगंज खटीमा सड़क का निर्माण

*२८---**श्री प्रतापसिंह**---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल व पीलीभीत के अन्तरिम जिला परिषदों ने अपनी हाल की बैठकों में किन-किन सड़कों को बनवाने की सिफारिश सरकार के पास भेजी है ?

श्री धर्म सिंह---तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्माण हेतु अन्तरिम जिला परिषद् नैनीताल व पीलीभीत द्वारा सिफारिश की गई सड़कों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८९ पर)

*२९---**श्री प्रतापसिंह**---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितारगंज-खटीमा, (सड़क जिला नैनीताल) कब तक पूरी हो जायगी और इसको कब पूरा हो जाना चाहिये था ?

श्री धर्मसिंह---इस सड़क का पूर्ण होना सिंचाई विभाग के दयोहा (Deoha) बैराज के निर्माण पर निर्भर है । आशा की जाती है कि इस सड़क का निर्माण कार्य तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में पूर्ण हो जायेगा ।

श्री प्रतापसिंह---इस बात को देखते हुये कि मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है, यह बताने की कृपा करेंगे कि उस सड़क को कब तक पूरा हो जाना चाहिये था ?

श्री धर्मसिंह---सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान में हो जानी चाहिये थी ।

श्री प्रतापसिंह---इस बात को देखते हुये कि मैं आज ही वहां से लौट कर आया हूं और वहां पर बैरेज ६ महीने पहले बन चुका था, वहां अफसरों की मोटरें चल रही हैं, इसकी जांच करेंगे कि सन् ५२ की प्रथम पंचवर्षीय योजना की यह सड़क आज तक नहीं बन पाई है ?

श्री धर्मसिंह---यह ठीक हो सकता है । लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा दयोहा नदी पर बांध एवं बैरेज का निर्माण कार्य हो रहा है । एम्बैंकमेंट का काम विचाराधीन है । इनके पूरे होने पर यह काम लिया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह---जिला नैनीताल की अन्तरिम जिला परिषद् ने सर्वसम्मति से १५ सड़कें प्रस्तावित करके और पीलीभीत ने ११ सड़कें प्रस्तावित करके सरकार के पास भेजी हैं, तो इनमें से कौन-कौन सी सड़कें सरकार तृतीय योजना में लेने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल---हर जिले की सड़कों को स्टार एण्ड ग्रिड फार्मूला के अनुसार देखा जायगा और धन की उपलब्धि के अनुसार लिया जायगा तमाम दृष्टिकोणों से प्रायोरिटी के हिसाब से सड़कें ली जायेंगी ।

श्री प्रतापसिंह---हल्द्वानी-टनकपुर, पाडा पानी-धाड़चूला, कालाढूंगी-नैनीताल सड़कें दिल्ली और धारचूला को मिलाती हैं, तो बार्डर की महत्ता को देखते हुये सरकार इनको बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—स्टार एण्ड ग्रिड फार्मूला के अनुसार १२२ मील सड़कें दूसरे प्लान में तैयार हो जानी चाहिये थीं और २९० मील तैयार होंगी। यह फार्मूले से भी अधिक है। तीसरी योजना में भी कुछ कार्य इन सड़कों का चलने की आशा है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*३०—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में कौन-कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो क्रमशः ३, ६, ९ या १२ वर्ष से वहां अस्थाई तौर पर कार्य कर रहे हैं ? उनको स्थाई न करने का क्या कारण है ?

*३१—क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता को इस बीच में वह राजाज्ञा भेजी गई थी जिसके अनुसार यह आदेश दिये गये थे कि फौरन दो-तिहाई कर्मचारी स्थाई कर दिये जायं व ३ वर्ष से ऊपर के पुराने कर्मचारी को स्थाई किया जाय ? अगर हां, तो कब तक तथा उसको कार्यान्वित न करने का क्या कारण है और इसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

श्रीधर्म सिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि वहां कोई ग्रेडेशन लिस्ट आज तक नहीं बनी है ?

श्री धर्म सिंह—इस पर सूचना विभाग से आयी। सरकार ने उससे सन्तुष्ट न होते हुये क्लैरीफिकेशन मांगा है। सूचना आने पर सदन के साये रखी जायेगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—आज तक की प्राप्त सूचना में क्या उस कार्यालय में आजतक ऐसी ग्रेडेशन या सीनीयरिटी लिस्ट रखी ही नहीं गई ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात नहीं है। कितने ही तरह के कर्मचारी हैं, कुछ स्थाई और कुछ अस्थाई हैं। ३ वर्ष से काम करने वालों की सूचना भी मालूम है। ऐसी बात नहीं है कि बिना कायदे-कानून के काम हो रहा है।

बहीखातों के अनुसार वर्ष समाप्ति पर बिक्री कर वसूल करने का सुझाव

*३२—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि सेल्स टैक्स अधिकारी व्यापारियों से सेल्स टैक्स की वसूलयाबी सरकारी वित्तीय वर्ष को आधार मान कर करते हैं जब कि व्यवसायियों के बहीखाते भिन्न-भिन्न महत्वपूर्ण तिथियों जैसे बसंत पंचमी, रामनवमी, विजयादशमी और दीपावली आदि पर्वों पर आधारित होते हैं ?

श्री धर्मसिंह—उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९४८ के अन्तर्गत, व्यापारियों पर टैक्स ३१ मार्च को खत्म होने वाले प्रत्येक वर्ष के विक्रय धन के आधार पर लगाया जाता है।

*३३—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या सरकार ऐसे आदेश देने की कृपा करेगी कि जिस प्रकार इन्कम टैक्स अधिकारी व्यवसायियों के बहीखातों के समय को आधार मान कर इन्कम टैक्स वसूल करते हैं उसी प्रकार सेल्स टैक्स अधिकारी भी व्यपारियों के बही खातों के समयानुसार टैक्स वसूल कर लिया करें ?

श्री धर्मसिंह—विक्रय धन पर कर-निर्धारण-वर्ष के आधार पर टैक्स वसूल करने की मौजूदा प्रणाली बिल्कुल सन्तोषजनक है। अतः इसमें किसी किस्म का भी परिवर्तन करने का सरकार का इरादा नहीं है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—व्यवसायियों के बहीखातों के अनुसार वर्ष समाप्त होने पर उसे आधार मानकर टैक्स वसूल करने के आदेश देने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसलिये कि पहले जब यह प्रणाली थी तो इवेजन बहुत होता था। व्यापारी यह किया करते थे कि अपना कारोबार वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में शुरू करते थे। उस साल का तो सेल्स टैक्स दे देते थे लेकिन उसके बाद दूसरे साल का हिसाब नहीं देते थे। जब फिर कर लगाने का समय आता था तो वह किसी दूसरे के नाम से फर्म को ट्रान्सफर कर देते थे और स्वयं उससे अलग हो जाते थे। इसलिये यह जरूरी रखा गया।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि उस प्रणाली में परिवर्तन कर दिया गया है और व्यापारियों को अब अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है? यदि हां, तो फिर इस प्रणाली पर विचार करने में मन्त्री जी को क्या कठिनाई है?

श्री हरगोविन्दसिंह---इसकी कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती। ३१ मार्च से काम सन्तोषजनक तरीके से चल रहा है,। उसके खिलाफ कोई असन्तोष है, ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास नहीं आया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जब अमेंडिंग बिल लाया गया था तो उस वक्त सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि अब इवेजन नहीं होगा। लेकिन क्या मन्त्री जी अब भी यह मानते हैं कि इवेजन होता है?

श्री हरगोविन्दसिंह---यह पहले की बात है और इसी की वजह से सेल्स टैक्स ऐक्ट में संशोधन कर दिया गया था।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की मांगें

*३४---**श्री प्रतापसिंह**---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १८-१९ फरवरी, १९६१ को उत्तर प्रदेश पी० डब्लू० डी० कर्मचारी यूनियन द्वारा पारित प्रस्तावों की सूचना उनको मिली है?

श्री धर्मसिंह---सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि १८-१९ को जो कांफ्रेंस हुई उसमें इस विभाग के उप-मन्त्री भी उपस्थित थे तथा दूसरे दिन एक डेपूटेशन ने भी उनके सामने उपस्थित होकर अपनी मांगें प्रस्तुत की थीं? यदि हां, तो सूचना किस बात की एकत्र की जा रही है?

श्री धर्मसिंह---माननीय प्रतापसिंह जी ने जो प्रश्न दिया था उसमें १९६१ वे लिखना भूल गये थे। उनसे यह बात मालूम की गई कि वह किस साल का है तब जाकर उसको तलाश किया गया, उसमें कुछ देरी लगी। उसके बाद चीफ इन्जीनियर से भी पूछा गया। उनसे इत्तला आने पर कोई निर्णय लिया जा सकता है और तब इत्तला दी जा सकती है।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, आप जरा मेरे सवाल को पढ़ लें। मिनिस्टर साहब को मैं जवाब देने के लिये कम्पेल नहीं कर सकता, लेकिन जब कोई जवाब दिया जाता है तो वह सही होना चाहिये। मेरा सवाल यह था---"क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १८-१९ फरवरी, १९६१ को उत्तर प्रदेश पी० डब्लू० डी० कर्मचारी यूनियन द्वारा पारित प्रस्तावों की सूचना उनको मिली है?" मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। अब आप ही इसको देख लें।

श्री गिरधारीलाल---मैं समझता हूं कि यह उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। मैं इसको देख लूंगा।

*३५---३७---**श्री सजीवन लाल** (जिला उन्नाव)---[१२ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किय गये]

बुण्देलखंड विकास प्रदर्शनी का आय-व्यय

*३८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में बुन्देलखण्ड विकास प्रदर्शनी समिति, जिसके अध्यक्ष जिलाधीश व जनरल सेक्रेटरी सिटी मैजिस्ट्रेट झांसी हैं, के तत्वाधान में १९६० में आयोजित बुण्देलखण्ड विकास प्रदर्शनी में कितना रुपया किस मद में अलग-अलग व्यय हुआ और कितना रुपया किस मद से प्राप्त हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी—सन् १९६० में आयोजित बुन्देलखण्ड विकास प्रदर्शनी की आय और व्यय का मदवार ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९०-९१पर)

*३९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त विकास प्रदर्शनी के अवसर पर, प्रदर्शनी, संगीत सम्मेलन, सांस्कृतिक सम्मेलन, विकास कार्यों आदि के कितने विज्ञापन किन-किन समाचार-पत्रों को दिये गये और विज्ञापन में कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी—सूचना संलग्न विवरण में है। विज्ञापन पर कुल, १,५५० रुपया व्यय हुआ था।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९०-९१ पर)

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो खर्चे का विवरण दिया है उसमें से ३८,८०४ रुपया संगीत में, १,९९६ सांस्कृतिक कार्यक्रम में, २,५७७ कवि सम्मेलन में, २,५०५ रुपया कव्वाली में, ३,५८ : मुशाइरे में, इस प्रकार से लगभग ५० हजार रुपया बताया गया है। तो उसमें फिल्म तारिकाओं के बाम्बे तथा अन्य स्थानों से बुलाये जाने का बुन्देलखण्ड के विकास से क्या सम्बन्ध था ?

श्री रऊफ जाफरी—यह चीज इसलिये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आयें और अगर वहां आयेंगे तो प्रदर्शनी भी देखेंगे तथा विकास कार्य को जान सकेंगे। यही ताल्लुक होता है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि विकास के नाम पर जो एडवर्टिजमेन्ट्स किये गये हैं, जो विज्ञापन दिये गये हैं वे सिनेमा और बीड़ी के विज्ञापनों को भी मात करने वाले हैं? एवं उसके चन्द शब्द मैं अर्ज कर देना चाहता हूं। बुण्देलखन्ड जिनकी मीठी तानों तथा कानों में एक बोल का रस घोल देने वाली ठुमरियों के लिये बैचैन था, जिनके गायन पर हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आज भी जान देते हैं, मदमस्त समां बांध दिया, अनोखा अन्दाज रखती है, सुन कर आप मदहोश हो जायेंगे, कव्वालियों की मल्लिका जहां भी गई है, एक अजीब और मदमस्त समां बांध दिया.....

श्री अध्यक्ष—यह आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रश्न पूछें।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—मैं अखबार से विज्ञापन के शब्द पढ़ रहा हूं। तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बुन्देलखण्ड विकास के नाम पर इस तरह के विज्ञापन हो रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—एक-एक विज्ञापन सरकार की इजाजत से और उसके एप्रूवल के बाद ही निकाला जाय, ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिये यह बातें की जाती हैं, तो कृपा करके बतलायेंगे कि लोगों को अट्रैक्ट

करने के लिये वे और किन-किन साधनों को काम में लाते हैं और क्या उन साधनों में नृत्य कलाकारिणियों को भी बुलाने की योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार के पास इस प्रकार की शिकायतें आईं जिनका कि वर्णन अभी माननीय सदस्य ने किया है। सरकार ने भविष्य के लिये इस सम्बन्ध में उचित आदेश जारी कर दिया है और जो अधिकारी इस प्रकार के कार्यों में रहते थे, उनके सम्बन्ध में भी सरकार ने कुछ आदेश जारी किया है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बुन्देलखण्ड विकास प्रदर्शनी समिति जिसके अध्यक्ष जिलाधीश व जनरल सेक्रेटरी सिटी मैजिस्ट्रेट हैं, उनके द्वारा यह विज्ञापन दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने जवाब दे दिया है कि सरकार को कोई इसकी जानकारी नहीं है, सरकार ने आदेश दे दिये हैं।

*४०-४२--**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)--[१२ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

रामगंगा पर सांनणा के पुल की आवश्यकता

*४३--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह जिला अल्मोड़ा के दक्षिण-पश्चिम में स्थित सांनणा नामक स्थान पर रामगंगा नदी पर पुल बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री गिरधारी लाल--प्रथम भाग--

जी नहीं।

द्वितीय भाग--

प्रश्न नहीं उठता।

*४४-४६--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--[१२ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

रिहन्द से बिजली देने के लिये ट्रान्समिशन लाइनों का निर्माण

*४७--**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या रिहन्द की बिजली देने के लिये ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक निर्माण हो जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--रिहन्द से बिजली की सप्लाई देने के लिये ट्रान्समिशन लाइनों का निर्माण कार्य प्रगति कर रहा है और आशा है कि लाइन निर्माण का सम्पूर्ण कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायगा।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य कब से शुरू किया गया और इन समस्त ट्रांसमिशन लाइन्स का निर्माण कार्य विभाग द्वारा हो रहा है या निजी कम्पनियों द्वारा भी हो रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--यह जो निर्माण कार्य हो रहा है, वह विभाग द्वारा नहीं हो रहा है बल्कि मद्रास की एक क्राम्पटन इन्जीनियरिंग कम्पनी इस कार्य को कर रही है। जनवरी, १९६० में निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसकी प्रगति ठीक तरह से चल रही है।

श्री गौरीशंकर राय--कम्पनी के साथ जो एग्रीमेन्ट हुआ है उस एग्रीमेन्ट के मुताबिक कब तक काम पूरा हो जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—कोई ऐसा एग्रीमेन्ट नहीं हुआ है कि कब तक काम पूरा होगा लेकिन ऐसा अनुमान है कि यह काम सन् १९६१ के अन्त तक पूरा हो जायगा। इसमें कई लाइनें अलग-अलग हैं, जैसे राबर्ट्सगंज, मुगलसराय कर्मनासा लाइन के अगस्त, ६१ तक पूरा हो जाने की आशा है और राबर्ट्सगंज–मिर्जापुर लाइन नवम्बर, ६१ तक पूरी हो जायगी। इस काम में कई मुश्किलें हैं, कुछ तो लोहे और फारेन एक्सचेंज व तार आदि की बात है, जिनके मिलने में दिक्कत पड़ती है। लेकिन वहां पर तार वगैरह आ गया है और काम बराबर चल रहा है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि रिहन्द डैम चीफ के चीफ इन्जीनियर ने यह ट्रांसमिशन लाइन नहीं बनने दी और वह उसको बहुत दिन तक रोके रहे जब कि रिहन्द डैम में बिजली थी और उनकी कृपा से वह स्थगित होती रही? यदि हां, तो क्या ऐसे चीफ इन्जीनियर के खिलाफ सरकार इन्क्वायरी करायेगी कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बनने दिया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं रोकी गई थी, न बिजली अभी बनने की बात है। मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं और आगे और प्रश्न हैं थोड़ी देर में आप इस विषय में और सुन लेंगे।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह ट्रान्समिशन लाइन जिसके द्वारा बिरला फैक्टरी को बिजली जायगी उसको प्रायरटी देने की बात थी और दूसरी के बाद में बनने की बात है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—बिरला फैक्टरी की तो कुछ बात ही नहीं है, उनसे तो एग्रीमेन्ट है कि वह वहीं से बिजली लेंगे जहां कि वह बनती है, वहां से उनकी फैक्टरी २ मील पर है और वह अपनी लाइन स्वयं बनायेंगे।

औरैया–फफूंद सड़क पर पुल की आवश्यकता

*४८—**श्री भजन लाल** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला इटावा में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औरैया से सैंगर नदी को देवरपुर सरैया के पास पार करती हुई जो सड़क फफूंद अच्छल्दा को गई है उस पर पुल बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*४९—**श्री भजनलाल** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि इस पुल के निर्माण हेतु वहां की जनता ने करीब २५ हजार रुपया इकट्ठा करके सरकार को दिया है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

सुजानगंज–बदलापुर व सुजानगंज शाहगंज सड़कें

*५०—**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जौनपुर जिले की सुजानगंज–बदलापुर या सुजानगंज–शाहगंज को मिलाने वाली सड़क के सर्वे करने का कोई आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक की उसकी क्या प्रगति रही है ?

श्री धर्मसिंह—प्रथम भाग—

जी नहीं।

द्वितीय भाग—

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नागेश्वरप्रसाद--क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि सुजानगंज--बदलापुर रोड के एक भाग--महाराजगंज-बदलापुर की नापजोख हाल में हुई है? यदि हां, तो वह किस विभाग द्वारा हुई है और किस कार्य के लिये हुई है?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, कोई नापजोख हुई है या नहीं, सको देखना होगा।

*५१--**श्री रघुरन तेज बहादुर सिंह**--[स्थगित किया गया।]

लघुचा रोड को पक्की करने की आवश्यकता

*५२--**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खीरी जिले की लघुचारोड को पी० डब्लू० डी० में कब लिया गया है तथा पी० डब्लू० डी० द्वारा कितनी बार उस सड़क को पक्की कराने के लिये योजना बनाई गई और स्थगित कर दी गई?

श्री धर्मसिंह--प्रथम भाग--
१९५७ ई० में।

द्वितीय भाग--
वार्षिक मरम्मत के अतिरिक्त इस सड़क के निर्माण की कोई योजना कभी नहीं बनाई गई।

*५३--**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त सड़क के निर्माण की भविष्य में क्या योजना है?

श्री धर्मसिंह--कुछ नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रश्न ५३ का उत्तर है "कुछ नहीं", और सन् ५२ से यह सड़क ली हुई है और आज तक इस सड़क के पुर्ननिर्माण की कोई जरूरत नहीं हुई जबकि उसपर सरकार की रोडवेज की बसें चलती हैं और उनसे सरकार को आय भी है और फिर भी यह "कुछ नहीं" उत्तर क्यों आया?

श्री धर्मसिंह--जहां तक इस सड़क का सवाल है वह अन्तरिम जिला परिषद् से रखरखाव के लिये ली गई थी और उस पर थोड़ा बहुत कार्य होता भी रहता है, उसका पूरे तरीके से निर्माण नहीं होगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कार्य होगा ही।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क के पुर्ननिर्माण पर सरकार विचार कर रही है?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं, जैसा मैंने अभी कहा थोड़ा बहुत कार्य तो होता ही रहता है और आगे भी थोड़ा बहुत होता रहेगा क्योंकि श्रमदान में भी वह सम्मिलित है और पी० डब्लू० डी० के पास तो वह केवल रखरखाव के लिये है।

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड डिवीजनों की मार्ग निर्माण योजना

*५४--**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुमाऊं और उत्तराखंड डिवीजन के लिये कौन-कौन सी व कितने मील लम्बी, (१) मोटर रोड (२), ब्राइडल रोड, (३) कच्ची पैदल, सड़कें स्वीकृत हीं? उनमें से कितने मील बन चुकी हैं तथा कितने मील बननी शेष हैं तथा कब तक बन जायेंगीं?

श्री धर्मसिंह---प्रथम भाग---वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी तालिका† में दी हुई है।

द्वितीय भाग---इन सड़कों पर शेष कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा।

*५५---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या यह सही है कि उपर्युक्त मार्गों व उन पर पड़ने वाले पुलों का रुपया (lapse) हुआ या (reappropriate) करके दूसरी मद में लगाया गया ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, यह सही है।

*५६---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या यह सही है कि १९५८-५९ में प्रश्नकर्ता के निवेदन पर अल्मोड़ा जिले के (१) बमनस्वाल-महरगांव-कोल व (२) थुवासिमल-गुणादित्य पैदल मार्गों के ऐस्टीमेट बनाये गये ? अगर हां, तो उनको बनाने में सरकार को क्या अड़चनें हैं ?

श्री धर्मसिंह---प्रथम भाग---जी हां।

द्वितीय भाग---तृतीय पंचवर्षीय योजना का सीमित आकार होने के कारण इन मार्गों को इस समय बनवाना सम्भव नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---यह प्रश्न ५५ में जो रुपया है उसमें से कितना लेप्स हो गया और कितना एप्रोप्रियेट किया गया ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

*५७-५९---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**---[आठवें गुरुवार के लिये प्रश्न ९६-९८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नरौली के निकट टोंस नदी पर पुल का निर्माण कार्य

*६०---**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में शहर आजमगढ़ और नरौली के पास टौंस नदी पर पुल बनाने का काम क्यों रोक दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल---पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है।

*६१---**श्री विश्रामराय**---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस पुल पर अब तक कितना काम हो चुका है और कितना व्यय हो चुका है ?

श्री गिरधारीलाल---प्रमथ भाग---कुल कार्य ५० प्रतिशत हो गया है।

द्वितीय भाग---

६ १।२ लाख रुपया।

रिहन्द बांध से संबंधित कार्य

*६२---**श्री झारखण्डेराय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रिहन्द बांध तथा उससे संबंधित कार्यों के पूर्ण होने में कितना विलम्ब है तथा किन-किन भागों में ?

---

† तालिका छापी नहीं गई।

नोट---तारांकित प्रश्न ५६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रिहन्द बांध पर पेन्सटाक फाटक इत्यादि लगाने का काम सितम्बर या अक्तूबर, १९६१ तक खत्म हो सकेगा और प्रायः दिसम्बर, १९६१ तक और दूसरे सिविल कन्स्ट्रक्शन के काम भी समाप्त हो जायेंगे । दिसम्बर, १९६१ तक ही पावर हाउस की पहली दो मशीनों के चलने की आशा की जाती है और बाकी तीन मशीनें उसके एक-एक महीने बाद चालू होने की आशा है ।

टेढी नदी पर दुर्जनपुर घाट का पुल बनाने की प्रार्थना

*६३—**श्री शीतलाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को पता है कि गोंडा जिले में बेलसर-नवाबगंज रोड पर कंकरीट लगभग हो गया है परन्तु टेढ़ी नदी पर दुर्जनपुर घाट का पुल खराब हो जाने से इस महत्वपूर्ण सड़क का उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त पुल के निर्माण की व्यवस्था तीसरी पंचवर्षीय योजना में है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—

जी नहीं, इस घाट पर एक लकड़ी का पुल स्थित है जो कमजोर अवश्य है किन्तु उसके कारण पूरी सड़क की उपयोगिता में कोई विशेष रुकावट नहीं है ।

द्वितीय भाग—

जी नहीं ।

*६४—**श्री शीतलाप्रसाद**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में बेलसर-उमरी-बेगमगंज सड़क (जिला गोंडा) को जो राजकीय बन्ध तक गयी है, सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेकर पक्की कराने की व्यवस्था है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

*६५-६६—**श्री रामदीन**—[हटा दिये गये ।]

देवरिया जिले में हरिजन कल्याणार्थ प्रस्तावित कार्य

*६७—**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में किन-किन तहसीलों में देहाती क्षेत्रों में हरिजन बस्तियों का निर्माण कार्य इस वर्ष हो रहा है और अब तक कितनी बस्तियों का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वर्ष देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में विनोबापुरी देवरिया तहसील में झझवा व महरौनी तथा तहसील हाटा में बलुआ (रामकोला) हरिजन बस्तियों का निर्माण कार्य हो रहा है ।

अब तक देवरिया जिले के गौरी बाजार क्षेत्र में रामपुर, भिटिया, सेरहा व गौरहा में हरिजन बस्तियों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ।

*६८—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या सरकार यह बतायेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तहसील पडरौना तथा हाटा, जिला देवरया में हरिजन कल्याण के लिये कौन-कौन-कौन कार्य प्रस्तावित हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला स्तर पर तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत देवरिया जिले की हाटा और पडरौना तहसीलों में हरिजन कल्याण के लिये निम्नांकित कार्य प्रस्तावित है :—

कार्य	तहसील हाटा	तहसील पडरौना
१—औद्योगिक आस्थान	१	..
२—हरिजन विद्यार्थियों के लिये छात्रावासों की स्थापना ..	२	४
३—कुटीर उद्योग—		
(अ) कुटीर उद्योग—		
औद्योगिक सहकारी समितियों को अनुदान ..	६	९
(ब) कुटीर उद्योग		
व्यक्तिगत अनुदान	१०	१३
४—मेहतरों के लिये गृह निर्माण	१७	२५
५—घरों के निर्माण के लिये भूमि क्रय निमित्त अनुदान ..	३९	५५
६—पेयजल कुओं की संख्या	१८४	२४०
७—हरिजन घरों के निर्माण की संख्या	११	८
८—विमुक्त जातियों के लिये गृह-निर्माण ..	४	६

भीरा-मैलानी सड़क

*६९—**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या अन्तरिम जिला परिषद्, जिला खीरी ने सरकार के पास यह प्रस्ताव पास करके भेजा था कि भीरा से मैलानी तक पक्की सड़क न बनायी जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद् की सिफारिश को स्वीकार न करने के क्या कारण थे तथा उस सड़क के निर्माण करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—

जी नहीं ।

द्वितीय भाग—

प्रश्न ही नहीं उठता ।

निघासन-सिंगाही सड़क का निर्माण

*७०—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में निघासन-सिंगाही रोड जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन बन रही थी उसमें कितने पुल और पुलियों का निर्माण हो चुका है और कितनों का हो रहा है और कितने बनने के लिये बाकी हैं ?

श्री गिरधारीलाल—दो का निर्माण हो चुका है और चार का निर्माण हो रहा है और एक का निर्माण बाकी है ।

*७१—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि लखीमपुर से निघासन-सिंगाही होते हुए बेलराया तक उक्त सड़क जो निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही है उसमें :—

१—किन माइलों में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है,

२—किन माइलों में अब तक केवल ब्रिक सोलिंग हुई है,

३—किन माइलों में अब तक सब-ग्रेड की कुटाई हुई है,

४—किन माइलों में अब तक स्टोन बैलेस्ट की कुटाई हो चुकी है,

५—किन माइलों में अब तक पेंट हो चुका है,

६—किन माइलों में अब तक डबल कोट हो चुका है ?

श्री गिरधारीलाल--

१--सभी मीलों में कार्य आरम्भ हो गया है ।

२--केवल मील २ के फ० ४, मील ५ फ० १ के १/४ फ० और मील ३ फ० ४ के १/२ फर्लांग को छोड़कर सारा कार्य समाप्त हो गया है । (यह भाग पुलों का अपरोच है)

३--५--केवल १ ३/४ फ० को छोड़कर सब मीलों में इन्टर कोट की कुटाई हो चुकी है ।

६--किसी में नहीं ।

*७२--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त सड़क पर पुल-पुलियों और पूरी सड़क के पूर्ण हो जाने में अभी कितने दिन और लगेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--१९६१ ई० के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

हरिजन कल्याण निदेशालय में कर्मचारियों की पदोन्नति

*७३--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपया करेगी कि किस कारण से हरिजन कल्याण निदेशालय में जुलाई, १९५८ में जिन कर्मचारियों की पदोन्नति की गई थी उनको अक्तूबर, १९५८ में ही डाउन ग्रेड किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिन कर्मचारियों की पदोन्नति की गई थी उनको इसलिये डाउन ग्रेड किया गया था कि उनकी पदोन्नति सम्बन्धित सब कर्मचारियों की ज्येष्ठता निश्चित किये बिना ही कर दी गई थी ।

*७४--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३ वर्ष तक उन कर्मचारियों की पदोन्नति क्यों नहीं की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उन कर्मचारियों की पदोन्नति इसलिये नहीं की गई कि उनकी ज्येष्ठता की सूची पर विचार किया जा रहा है जिसमें किन्हीं कठिनाइयों के कारण अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका ।

*७५--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५८ में हरिजन कल्याण निदेशालय में कितने पद स्थायी किये गये और क्या उन पर किसी कर्मचारी को स्थायी किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१९५८ में कर्मचारियों के कोई पद स्थायी नहीं किये गये । इसलिये कारण का प्रश्न नहीं उठता ।

खीरी जिले में वन विभाग में ली गयी कथित भूमि

*७६--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६० में जिला खीरी में कितनी भूमि किस-किस को सरकारी जंगलों में एक्वायर की गई और उसमें कितनी भूमि में जंगल है तथा किसमें कितनें किस चीज के दरख्त लगे हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री--सन् १९६० में वन विभाग द्वारा खीरी जिले में कोई भूमि एक्वायर नहीं की गई । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

मलौनी बांध सुरक्षा योजना

*७७--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसके विचाराधीन गोरखपुर के मलौनी बांध को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाने तथा उसके समीप के नदुआ और बऊआ हुमरी ग्रामों को बाढ़ से बचाने के कोई ठोस योजना है ? यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—

मलौनी बांध को अधिक सुरक्षित बनाने की एक योजना स्टेट फ्लड कंट्रोल बोर्ड द्वारा गत मास स्वीकृत की गई है परन्तु उसमें कथित ग्रामों को बाढ़ से बचाने के लिये कोई आयोजन नहीं है :

द्वितीय भाग—

स्वीकृत योजना पर १०,४७,००० रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

गोरखपुर को कूड़ाघाट विद्युतगृह से बिजली देने का आयोजन

*७८—श्री मदन पाण्डेय—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा नियुक्त रोशनी उप समिति ने झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा शहर की सड़कों पर रोशनी के लिये पर्याप्त बिजली की पूर्ति न किये जाने के कारण पैट्रोमेक्स द्वारा सड़कों पर रोशनी का प्रबन्ध नवम्बर, १९६० में कुछ दिनों तक किया ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त शहर को उसी शहर में स्थित कूड़ाघाट जल-विद्युत गृह से बिजली पूर्ति का प्रबन्ध वह क्यों नहीं कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने कूड़ाघाट विद्युत गृह से ४०० के० वी० ए० बिजली की थोक सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को २० नवम्बर, १९६० से दे दी है । उसके अतिरिक्त विद्युत परिषद् ने १०० के० वी० ए० बिजली की थोक सप्लाई म्युनिसिपल बोर्ड वाटर वर्क्स को भी दी है ।

*७९—श्री मदन पाण्डेय—क्या यह सही है कि झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा संतोषजनक बिजली पूर्ति के विरुद्ध गोरखपुर शहर में नवम्बर, १९६० के तीसरे सप्ताह में सभायें तथा जुलूस भी निकाले गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

सिंगारसिंह ऐण्ड सन्स, लखनऊ की शिकायत

*८०—श्री मदन पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सर्वश्री सिंगार सिंह एन्ड सन्स, लखनऊ ने दिनांक १८ जनवरी, १९६१ को इस सिलसिले में पत्र भेजा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के बहुतेरे बिल अदा करने में देरी की जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां ।

मथुरा जिले में जल विद्युत दर

*८१—श्री कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि मथुरा जनपद में जल-विद्युत का दाम प्रति यूनिट नागरिक क्षेत्र में क्या है तथा ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, क्या दोनों में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मथुरा जिले में जल विद्युत वितरण का कार्य राज्य विद्युत परिषद् पथा तीन अन्य लाइसेन्सधारियों द्वारा होता है जिनकी दरें संलग्न अनुसूची में दी हुई हैं । दरों का निर्धारण ग्रामीण अथवा नागरिक क्षेत्र के आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि प्रत्येक लाइसेन्सधारी की दरें उसके पूरे संभरण क्षेत्र (area of supply) के लिये एक ही हैं ।

अतारांकित प्रश्न

केन्द्र से प्राप्त हरिजन कल्याण अनुदान का व्यय

१—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती) तथा श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हरिजन कल्याण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना-कितना रुपया किस-किस मद में प्रदेश के लिये निर्धारित किया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितना खर्च नहीं किया जा सका था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९२-९४ पर)

२—श्री सोहनलाल धुसिया तथा श्री शिवराजसिंह यादव—क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये उपर्युक्त मद में निर्धारित धनराशि में से अभी कितना रुपया शेष है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान भवन पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के संबंध में नियम ५२ के के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार जो ध्यान आकृष्ट करने वाला विषय है वह प्रतापसिंह जी का है जिसको मैंने स्वीकार किया है । वह यह है "आज प्रतःकाल विधान भवन के शिखर पर लहराते हुए राष्ट्रीय झंडे को फाड़ा गया और फाड़कर उसको वहां से उतार कर उसके चीथड़े चीथड़े किये गये । जिससे सम्पूर्ण प्रदेश का ही नहीं राष्ट्र का अपमान किया गया है, यह कार्य प्रदेशीय सरकार के तैनात पुलिस अधिकारी एवं गुप्तचर विभाग के अधिकारियों के होते हुए भी किया गया जिससे भविष्य के लिये भी एक खतरा पैदा हो गया है । इस विषम परिस्थिति की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।" तो माननीय मुख्य मंत्री जी कोई वक्तव्य देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, अभी मैं जब आया तो मुझे यह सूचना मिली कि एक डिप्टी सेक्रेटरी, जुडीशल डिपार्टमेंट के यहां जो चपरासी है वह वहां गया और उसने राष्ट्रीय झंडे को हटा दिया । पता यह चला है कि कई रोज से उसका दिमाग खराब था । उसको मेडिकल एक्जामिनेशन के लिये भी भेजा गया था । वहां से लौट आया और उसके बाद आकर उसने यह हरकत की और चिल्लाता रहा कि जितने कांग्रेसी झंडे हैं वह सब हटा दिये जायं । उसके बाद वह अपने डिप्टी सेक्रेटरी के यहां गया और कहा कि जाइए हमने आपको माफ कर दिया और यह कह कर वहां से चल दिया, ऐसी सूचना मुझे अभी मिली है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उस कर्मचारी को, जिसका कि नाम अभी लिया गया, सेक्रेटेरिएट के भीतर आने के सरकार के आदेश नहीं थे और जबकि सरकार के गुप्तचर विभाग के और पुलिस के अधिकारी वहां थे तो उनके होते हुए किस तरह से वह पागल वहां पहुंच गया और उसकी नजर राष्ट्रीय झंडे पर ही क्यों गई, माननीय मुख्य मंत्री जी के कमरे पर या कागजों पर नहीं गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है । अभी एक अधिकारी आये और उन्होंने यह सब बताया । मैंने न तो इसकी जांच की है और न जांच करायी है ।

श्री अध्यक्ष---आप जांच कराएंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जांच हो जायगी उसके बाद ज्यादा अधिकारपूर्ण जवाब दे सकूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है। यह किसी पार्टी के झंडे के अपमान का सवाल नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का सवाल है। यह असह्य है और एक बहुत ही अक्षम्य अपराध है। मैं यह नहीं चाहता कि जिसने यह किया है अगर वह पागल है तो उसको सजा दी जाय लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं और आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिये वह ऐसा प्रबन्ध करें कि भविष्य में कोई पागल या सही दिमाग रखनेवाला आदमी भी पागल बन कर इस तरह का अपमान न कर सके। मैं समझता हूं कि वह इस प्रार्थना को स्वीकार करके उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस सम्बन्ध में तो दो रायें हो ही नहीं सकती हैं और सरकार की तरफ से सदा इस बात की चेष्टा रहती है और रहेगी। जो माननीय पालीवाल जी ने कहा, मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि हममें से प्रत्येक को राष्ट्रीय झंडे के प्रति उतना ही आदर है जितना कि किसी भी इस सदन के माननीय सदस्य को है और यदि कोई ऐसी बात होती है जिससे कि उसके गौरव को धक्का लगता है तो अवश्य प्रत्येक व्यक्ति इस बात की कोशिश करेगा कि ऐसी घटना फिर कभी न घटने पावे।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह राष्ट्रीय झंडा जो होता है वह सबसे महत्व की चीज है, वहां पागल चढ़ जाता है और उसका अपमान करता है, उसको फाड़ देता है, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि ऐसी चीज पर वह प्रतिबन्ध लगाये और राष्ट्रीय झंडे की रक्षा के लिये पूरा इंतजाम हो ? एक पागल झंडे को फाड़ दे यह तो बड़े दुःख की बात है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह तथाकथित पागल आदमी जिसने झंडे को फाड़ा, वह पकड़ा गया है, पुलिस कस्टडी में है या छूट गया और छूट गया तो किसने उसको छुड़ाया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैंने बताया कि अभी ५ मिनट पहले ही मुझे इत्तला मिली है। अभी जितनी इत्तला मिली उसकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि अभी वह पकड़ा नहीं गया है। वहां झंडा गिरा कर चला गया।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, वह झंडा जो फाड़ा गया तो.....

श्री अध्यक्ष---आप उस व्यक्ति की नकल न करें। (हंसी)

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर से सम्बन्धित। उन्होंने बताया कि उनको यह पता नहीं कि वह व्यक्ति जिसने झंडे का अपमान किया है, पकड़ा गया है या नहीं। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि वह उसे अब पकड़ कर पागल-खाने में भिजवाने और उचित दंड दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सब उचित कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं अब इस प्रश्न को समाप्त किया जाय। चूंकि मुख्य मंत्री जी अभी इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी करेंगे, थोड़ी बहुत उन्होंने अभी जानकारी हासिल की है, तो उचित यही होगा कि कल के रोज वह पूरी जानकारी हासिल करके, और आगे वह क्या कार्यवाही करना चाहते हैं सुरक्षा की, और अभी जो किस्सा हुआ उसके बारे में क्या कार्यवाही उन्होंने की, इन सब बातों की सूचना कल सदन को कृपा करके दे देंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इस सम्बन्ध में यह है कि मुझे यह जानकारी मिली है कि वह आदमी पकड़ा गया और उसे दोनों सदनों के किसी माननीय सदस्य ने छुड़ाया है। तो मुख्य मंत्री जी यह भी जांच कर लें।

नियम ५२ के अन्तर्गत जिला नैनीताल की खास इस्टेट में काश्तकारों की अलाटशुदा जमीन के छिन जाने के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—दिनांक १० मार्च, १९६१ को श्री प्रताप सिंह द्वारा जिला नैनीताल में वन बन्दोबस्त से सम्बन्धित उत्पन्न परिस्थिति पर दी गई सूचना पर वन मंत्री वक्तव्य देंगे।

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—श्री प्रताप सिंह द्वारा दिये गये लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न के नोटिस से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके कथन के अनुसार नैनीताल जिले के भाभर क्षेत्र में आजकल चालू वन बन्दोबस्त क्रियाओं के कारण बहुत से काश्तकारों को उन जोतों से, जो उन्हें अलाट किये गये हैं, तथा उनके मकानों व चरागाहों से वंचित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप वहां की जनता में भारी असंतोष फैला हुआ है और इससे गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वन बन्दोबस्त क्रियाओं का उद्देश्य किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करना नहीं है। ये कार्यवाहियां वास्तव में न्यायिक कार्यवाहियां (Judicial proceedings) हैं जिनका उद्देश्य सम्बन्धित व्यक्तियों के अधिकारों को वैध आधार पर निर्धारित तथा अभिलिखित करना है ताकि वे अपने वन अधिकारों के वैध रूप से हकदार हो सकें। यह निस्सन्देह सत्य है कि जब सरकार किसी वन को आरक्षित वन बनाने का निश्चय करती है, तो इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी की जाती है। उक्त विज्ञप्ति जारी हो जाने के पश्चात् सम्बन्धित क्षेत्र में या उसके ऊपर न तो कोई अधिकार अर्जित किया जा सकता है और न ऐसे क्षेत्र को कृषि या किसी अन्य प्रयोजन के लिये काट कर साफ किया जा सकता है और वन बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यवाहियां पूर्णतया इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार ही की जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निर्धारित या अभिलिखित किये गये अपने अधिकारों के सम्बन्ध में उनके निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह नियत अपील अधिकारियों के पास अपील कर सकता है। अतएव वन बन्दोबस्त कार्यवाहियों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिये इंडियन फारेस्ट ऐक्ट में पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है। इसलिये किसी भी व्यक्ति को राज्य के किसी भाग में चालू वन बन्दोबस्त क्रियाओं के कारण कोई आशंका नहीं होनी चाहिये। वन बन्दोबस्त का यह कार्य लोक हित की दृष्टि से वन सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये राज्य में आरक्षित वनों की वृद्धि करने के उद्देश्य से किया जा रहा है और इस कार्य पर सरकार द्वारा बहुत बड़ी धनराशियां व्यय की गई हैं। अतएव इन वन बन्दोबस्त क्रियाओं को स्थगित करना उचित नहीं होगा।

स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट से ऐसा मालूम नहीं होता कि नैनीताल जिले में चालू वन बन्दोबस्त कार्य के फलस्वरूप किसी भी व्यक्ति को जेल भेजा गया है। फिर जो कुछ ऐसी घटनायें हुई हैं जिनमें कुछ व्यक्तियों ने रक्षित अथवा आरक्षित वन भूमि पर अनधिकार कब्जा कर लिया था और उन पर उनके अवैध कार्य के लिये इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के अधीन अभियोग चलाया गया है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो कानून को अपने हाथ में ले कर सरकारी भूमि पर अनधिकार कब्जा कर लेते हैं किसी प्रकार की उदारता नहीं दिखाई जा सकती है क्योंकि ऐसी उदारता से दूसरे व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट से यह भी मालम होता है कि भूमि के झगड़ों के १४७ मुकदमों में से १२३ मामलों का निर्णय हो चुका है जिसके फलस्वरूप लगभग २,६८० एकड़ क्षेत्र गांव वालों के ही कब्जे में रहने दिया गया है। किसी भी वन बन्दोबस्त के मामले में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें किसी व्यक्ति को जेल भेजा गया हो, एलाट

R.A 3031

~~13256~~

भूमि से उसे हटाया गया हो या उसे घर से निकाला गया हो अथवा उसे चरागाह की भूमि से वंचित किया गया हो। यदि माननीय सदस्य इस प्रकार के किसी मामले के ब्योरे दें तो उसकी अवश्य जांच कराई जा सकती है।

इस प्रकार इस सम्बन्ध में जो कुछ मैं कह चुका हूं उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि नैनीताल जिले में वन बन्दोबस्त का कार्य जनता की भलाई के लिये किया जा रहा है और इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है कि उक्त बन्दोबस्त की क्रियाओं के कारण किसी व्यक्ति को जेल भेजा गया है या उसे एलाट की गई भूमि, घर या चरागाह की भूमि से वंचित किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य के मन में अब कोई भ्रम नहीं रह गया होगा।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---आपकी इजाजत हो, श्रीमन्, तो यह जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस स्टेटमेंट में कोई तथ्य नहीं है जिसके मानी यह हुए कि मेरा स्टेटमेंट गलत है, मैं दो मिनट निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न पूछिये।

श्री प्रतापसिंह---प्रश्न में वह चीज नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न में आ जायगी।

श्री प्रतापसिंह---माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा कि इस स्टेटमेंट में कोई तथ्य नहीं है तो इस बात को देखते हुए कि आज से चन्द दिन पहले मेरे पास टेलीग्राम वहां के लोगों की तरफ से आया था और मैं असेम्बली का बजट सेशन छोड़ कर दो दिन के लिये वहां गया और देखा कि तहसील खटीमा में गेंडाखाली, उचोलीगोठ, गोड़ाखेड़ा और थालखेड़ा के २५ परिवारों पर आज भी केसेज चल रहे हैं जिसमें गेंडाखाली के दो आदमी जेल भी भेजे गये और ५०, ५० रुपया लोअर कोर्ट से जुर्माना होने के बाद फिर केस चलाया गया और साथ ही २०, १५ साल की एलाटमेंटशुदा जमीन जो थी वह वन विभाग में ली जा रही है तो क्या माननीय मंत्री इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने बता दिया कि अगर कोई केस हो तो आप उनके पास दे दें, वह जांच करायेंगे।

श्री प्रतापसिंह---मैं नाम तो ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---उसके लिये तो वे कह चुके हैं।

श्री प्रतापसिंह---क्या वन मंत्री जी इन्क्वायरी के दौरान में जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उनको रोकने का आदेश देंगे। मंत्री जी ने कहा कि जो किसान लड़े वे जीते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी हैं और अदालत नहीं जा सकते हैं वे जेल की यातनायें भोग रहे हैं। इसलिये क्या सरकार जांच के दौरान में केसेज को रोकने का आदेश देगी ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी भी इजाजत नहीं दे रहा हूं। बात यह है कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिनके पास एलाटेड जमीन थी वह नहीं ली गयी। अनधिकार जिन्होंने कब्जा किया है उनकी ली होगी। आप अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री प्रतापसिंह---इसके माने यह हैं कि जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं वह गलत है। मैंने यहां कसम खायी है।

श्री अध्यक्ष---यह बात नहीं है। जिन केसेज में आपने देखा हो कि अनधिकार चेष्टा नहीं की है फिर भी उन पर मुकदमे चल रहे हैं, अगर आप उनके बारे में प्रश्न करें तो मैं इजाजत दे सकता हूं।

श्री प्रतापसिंह—इस बात को देखते हुए कि जिन लोगों के पास रेवेन्यू विभाग की जमीन दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह साल से कब्जे में थी और जिन पर वह अपनी फसलें पैदा करते थे और जिन पर उनके मकान भी हैं उन पर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको मुल्तवी कराने के मंत्री जी आदेश देंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—माननीय सदस्य की बातों के महत्व को सामने रखते हुए ही, मैं यह निवेदन करता हूं कि जो भी चीजें वे स्पेसिफिक बतायेंगे मैं उसकी जांच कराने को बिलकुल तैयार हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि गढ़वाल, नैनीताल, तराई भाबर के पुराने काबिज खेतों पर भी खूंटे गाड़ दिये गये हैं और तार लगा दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—जवाब दे दिया गया है।

श्री प्रतापसिंह—क्या वन मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जहां पर सेटिलमेंट्स हो रहे हैं वहां स्थानीय अधिकारियों की एन्क्वायरी के आधार पर नहीं बल्कि फारेस्ट संचालक अधिकारी की जांच पर वह सेटिलमेंट करायेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इन्क्वायरी बिलकुल संतोषजनक ढंग से होगी।

६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न १२ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न का शोधित उत्तर

श्री अध्यक्ष—अब ६ सितम्बर, १९६० को विधान सभा के सदस्य आचार्य दीपंकर के तारांकित प्रश्न संख्या १२ से सम्बन्धित माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री अपना शोधन वक्तव्य देंगे।

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, दिनांक ६ सितम्बर, १९६० को श्री आचार्य दीपंकर द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२ के सम्बन्ध में श्री आचार्य दीपंकर ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इसका जो एस्टीमेट है उसमें कितने खर्च का अनुमान किया गया है और कब तक इस पुल के बनने की सम्भावना है" उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "इसमें दो नदियां हैं। एक कृष्णा नदी के लिये ८.७ लाख रुपया लागत लगने का अन्दाजा है और जहां तक हिन्डन का प्रश्न है उसमें साढ़े ५ लाख रुपया लगेगा"।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है :—

> इसमें दो नदियां हैं। एक कृष्णा नदी और दूसरी हिन्डन नदी। दोनों नदियों पर पुलों के निर्माण के लिये कुल ८.७ लाख रुपया लागत लगने का अन्दाजा है और जहां तक केवल हिन्डन का प्रश्न है उसमें साढ़े पांच लाख रुपये लगेंगे।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९५ पर।)

१९६१–६२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद—(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब श्री रामचन्द्र उनियाल अपना भाषण आरम्भ करें।

***श्री रामचन्द्र उनियाल** (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, १९६१–६२ के बजट पर जो विवाद सदन में चल रहा है उस पर मैं अपना विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†२८ मार्च, १९६१ की कार्यवाही से।

अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कि मैं अपना विचार व्यक्त करूं मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस बजट में कुछ ऐसी विशेषतायें हैं, कुछ ऐसे कदम उठाये गये हैं जो काफी अच्छे हैं। जैसे गरीब अध्यापकों की वेतन वृद्धि ४ रुपये की गयी है। इससे उनको कुछ राहत मिलेगी। यद्यपि ४ रुपये प्रतिमास से उनकी समस्या हल नहीं हो सकती कम से कम १०० रु० वेतन होना चाहिये, परन्तु इस तरफ जो कदम उठाया गया है उसके लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से जो अध्यापिकायें गांवों में अध्यापन का काम करती हैं उनको भी भत्ता दिया जायगा। ८वीं श्रेणी तक की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जायगी। उत्तराखंड में जल विद्युत योजना कार्यान्वित हो जायगी, जो कि ५ नगरों में होगी। उत्तर खंड में तीन सेवा योजना कार्यालय स्थापित होंगे। इसी प्रकार हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जो श्रीनगर में डिग्री कालेज खोलने की तजवीज है उसका भी मैं स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री का और सरकार का ध्यान खासकर उस उत्तराखंड डिवीजन की ओर ले जाना चाहता हूं जो अभी पिछले साल बने थे। उस समय हमारे मुख्य मंत्री ने वह घोषणा की थी कि उन जिलों के विकास के लिये जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं, एक नयी तरह की व्यवस्था चालू की जायगी जिससे कि वहां विकास का कार्य तेजी से हो सके। लेकिन एक साल गुजर गया और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जैसी व्यवस्था वहां कायम की गयी है उससे वहां बहुत सी उलझनें पैदा हो गयी हैं। वहां की जनता का तो क्या विकास होगा, हां, वहां कर्मचारियों का एक तांता जरूर लगा हुआ है जिनके बार्डर अलाउन्स का विकास अवश्य हो रहा है। जब वहां पर कोई प्रदर्शिनी वगैरह होती है तो कर्मचारियों के अलावा जन समुदाय बहुत नहीं दिखायी देता।

आज हालत यह है कि वहां जाने के लिये कर्मचारियों में एक होड़ सी लगी हुई है क्योंकि वहां पर जाने वालों को तनख्वाह के अलावा और एलाउन्स दिया जाता है। जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था तो यहां से यह घोषणा की गयी थी कि यहां से योग्य और ऐसे कर्मचारी भेजे जायेंगे जोकि सेवा भावना से काम करने वाले हों। कुछ तो जरूर हैं जो सेवा भावना से काम कर रहे हैं लेकिन ऐसे कर्मचारी भी कुछ कम नहीं हैं जो न जाने किस तरह से वहां पर ट्रांसफर करा लेते हैं और महीने, डेढ़ महीने के बाद उनका फिर ट्रांसफर हो जाता है। उत्तराखंड के आम लोगों को यह उम्मीद हो गयी थी कि अब चूंकि सरकार ने हमारी तरफ भी देखा है इसलिये हमारी भी उन्नति होगी, हमारे लिये भी अच्छी व्यवस्था होगी, हमको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मुझे खेद है कि वहां पर जितना भी विकास का काम हो रहा है वह कुछ संतोषपूर्ण ढंग से नहीं हो रहा है। वहां पर बहुत कुछ भ्रष्टाचार भी फैल रहा है।

सरकार की ओर से यह घोषणा की गयी थी कि वहां के जिलाधीश को विशेष पावर्स दी जायंगी और उनका सम्बन्ध चीफ सेक्रेटरी से डायरेक्ट होगा जोकि वहां के कमिश्नर होंगे और उनका सीधा सम्बन्ध मुख्य मंत्री से होगा। लेकिन आज हालत यह है कि महीनों तक वहां काम लटका पड़ा रहता है। यहां पर एक एडीशनल कमिश्नर नियुक्त किये गये हैं, उन्हीं के यहां बहुत दिन तक मामला पड़ा रहता है और जब तक दिल्ली का एक चक्कर नहीं लग जाता तब तक कोई निर्णय नहीं होता है। तो जो विकास की कल्पना हम कर रहे थे उसमें ये बाधायें पैदा हो गयीं।

इन सब बातों को देखते हुए बुद्धिजीवी लोगों का यह विचार हो रहा है कि जब केन्द्रीय सरकार वहां के विकास के लिये अधिक सहायता दे रही है तो फिर क्यों नहीं सीधे केन्द्रीय सरकार के अधीन इन पर्वतीय क्षेत्रों को रखा जाय ताकि विकास का कार्य वहां पर तेजी से हो सके। आज एक तरफ तो मितव्ययिता की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ इतने अधिक कर्मचारी वहां पर भर दिये गये हैं। एक ही ब्लाक्स हैं एस० डी० यम०, बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, तहसीलदार, नायबतहसीलदार वगैरह वगैरह न जाने कितने लोग भरे पड़े हैं। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि अगर वहां सचमुच विकास करना है तो जो कर्मचारियों का वहां दलबल है उसको व्यावहारिक तौर पर खत्म कीजिये। और ऐसी व्यवस्था की जाय कि अधिक उच्च कर्मचारियो पर जो खर्चा किया जा रहा है वह विकास के लिये खर्च किया जाय।

[श्री रामचन्द्र उनियाल]

अध्यक्ष महोदय, आज खास कर के अध्यापकों के वेतन का प्रश्न हम लोगों के सामने है। हमारे यहां जो अध्यापक पुराने हैं जब कि वहां स्टेट थी उनका वेतन कम है और जो आज नई नियुक्तियां हो रही हैं उनका वेतन अधिक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनके वेतन में एक बड़ी भारी असमानता है। वह एक अलग स्टेट थी और उसकी अलग समस्या थी। मुझे दुख है कि ११/१२ साल उसके मर्ज हुये हो गये लेकिन अभी तक वहां की समस्याओं का निबटारा नहीं हो सका है। वहां के अध्यापक वर्ग पीड़ित हैं और बार बार लिखा पढ़ी कर रहे है लेकिन कोई विचार नहीं हो सका है। मैं समझता हूं कि इस दिशा में सरकार विचार करे जो कि कई साल से अध्यापक काम कर रहे हैं उनके वेतन में वृद्धि की जाय जिससे उनको समान स्तर पर लाया जा सके। वहां पर जो स्कूलों की पुरानी इमारतें थीं उनकी मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे प्रताप इंटर कालेज की बिल्डिंग पिछले राज्य के समय की है, उसकी मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि अपने देश की और प्रदेश की यह समस्या केवल कृषि से हल नहीं हो सकती है। इसके लिये उद्योगों की आवश्यकता है। बजट में हमने देखा है कि इसके लिये पर्याप्त मात्रा में धन नहीं रखी गया है। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, घरेलू उद्योग धंधों में कोई खास प्रगति अब तक नहीं हुई है और पहाड़ों पर किसान बेरोजगारी की हालत में हैं। आज हमारे यहां के लोग नैनीताल और मसूरी में सिवाय कुली-गिरी या फाल्टूगीरी के और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे यहां काटेज इंडस्ट्री की कोई योजनाओं में कोई प्रगति नहीं है। बड़े बड़े उद्योग जो लागू हो सकते हैं वह हैं सीमेंट, टरपेन्टाइन, दियासलाई और कागज बनाने की फैक्टरी आदि खोली जा सकती है जिसमें पर्वतीय लोग कुछ रोजगारी हासिल करते।

मुझे खेद है श्रीमन्, कि आज उत्तराखंड की दुहाई दी जाती है कि वहां विकास हो रहा है। लेकिन जो सामान वहां के लोकल लोग सप्लाई कर सकते हैं वह भी लखनऊ से ही जा रहा है। फरवरी के 'हिन्दुस्तान' में मैंने देखा कि टनकपुर से धारचूला एक मेज ले जाने में ७० रुपये खर्च हो गये। कुर्सी तक यहां से जा रही हैं जो वहां तैयार की जा सकती हैं। इसी प्रकार जि० उत्तर काशी में भी ट्रक के ट्रक लखनऊ आदि स्थानों से भेजे जा रहे हैं। लकड़ी वहां प्राप्त होती है। सामान बनाने का वहां आस पास बहुत कुछ साधन है, फिर भी इस तरह से जो फिजूलखर्ची वहां पर हो रही है, उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलात विभाग के रवैये से लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो इसके लिए सरकार ने एक फारेस्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नियुक्त की थी। उस कमेटी ने चारों जिलों का भ्रमण किया और अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने रखी। वह रिपोर्ट, मुझे दुख है, अब तक वैसी ही पड़ी है। न जाने वह रद्दी की टोकरी में फेंक दी गयी या क्या हुई। पर्वतीय जन यह आशा लगाये बैठे थे कि जिस कमेटी ने वहां की सारी स्थिति देखी है उसकी रिपोर्ट के आधार पर वहां पर कुछ सुविधाएं दी जायंगी। लेकिन मुझे खेद है कि वहां पर जो सुविधाएं थीं, उनको भी बीच में खत्म कर दिया गया था। लेकिन हमारे वन मंत्री ने फिर विचार किया और उन सुविधाओं को फिर दे दिया। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। तो कहां हम उम्मीद लगाये बैठे थे कि हमारी सुविधाएं बढ़ायी जायंगी कहां बीच में जो सुविधाएं थीं वह भी घटा दी गयीं। इस पर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में काफी विकास की योजनाएं बनायी जा सकती हैं। छोटे छोटे झरनों और नदियों से बिजली पैदा की जा सकती है। जैसे हिमालय प्रदेश में लेकिन सरकार का इधर ध्यान नहीं गया है। वहां पर आसानी से सब कुछ हो सकता है। मुझे खासतौर से अपने क्षेत्र उत्तरकाशी आदि में जाने का मौका मिलता है तो मैं देखता

कि वहां पर पी० डब्लू० डी० में खास कर बड़ा भ्रष्टाचार है। हम समझते थे कि हां छोटे छोटे डिवीजन बन गये हैं और सुपरिनटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां पर हो गये हैं, तो वहां पर भ्रष्टाचार कम होगा लेकिन मैंने देखा कि वहां पर जो गेंग होते हैं उनसे भी ओवरसियर अपने घर का काम कराते हैं। १०% ठेकेदारों से लेना वह तो एक दस्तूर ही बन गया है। इस तरह से मैंने देखा कि जो सरकार का पैसा सड़क बनाने के काम में खर्च होना चाहिये वह घर के काम में खर्च किया जा रहा है।

हमने वहां पर एक नया प्रयोग उखराखंड के विकास के लिए किया था। नये तरीके की व्यवस्था कायम कर के वहां के लोगों को ऊंचा उठाने की व्यवस्था की थी। लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था से वहां कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तरकाशी जिले से आता हूं। मैंने अनुभव किया है कि वहां पर ब्लाक बड़े विस्तृत हैं। इसलिए एक ब्लाक के दो ब्लाक बना देना चाहिए। वहां पर एक डूंडा ब्लाक है। उसमें सात-आठ पट्टियां हैं। अगर चार-चार पट्टियों के दो ब्लाक बना दिये जायं, तो विकास कार्य में सुविधा हो सकती है। वहां पर ५०, ५० मील पैदल चलना पड़ता है। इस लिए इस दृष्टिकोण से भी सरकार को विचार करना चाहिए कि एक ब्लाक के दो ब्लाक कर दिये जायं जिससे वहां पर विकास कार्यों में तीव्रता लायी जा सके।

अध्यक्ष महोदय, कोल्टा जो गरीब हरिजन लोग हैं, उनकी दशा बड़ी खराब है। उनके लिए एक कमेटी बनी थी। उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मैं समझता था कि इस बजट में उस आधार पर उन गरीब हरिजनों के लिए जो कई पुश्तों से लोगों की गुलामी कर रहे हैं, और जो आज आजादी के जमाने में गुलामों की तरह खरीदे जा सकते हैं, उनके लिए कोई योजना होगी। लेकिन मुझे खेद है कि वह रिपोर्ट वैसे ही पड़ी हुई है। उस रिपोर्ट पर विचार करके जो गरीब हरिजन गुलामी से पीड़ित हैं, उनके लिए एक नयी योजना बनायी जाय जिससे वे लोग विकसित हो सकें।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सदन का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उनके सौभाग्य पर बधाई देती हूं कि उनको तृतीय पंच वर्षीय योजना का एक बजट पेश करने का सौभाग्य मिला। मान्यवर, बजट खर्चे का एक ऐसा आंकडा होता है कि जिसमें दो चीजों का पता चलता है। एक तो प्रदेश में हम कौन-कौन-सी नयी चीजें बनाने जा रहे हैं और दूसरे, आय को बढ़ाने के कौन-कौन से नये साधन जुटाये जायेंगे जिससे कि वह एक घाटे का बजट पूरा हो जाय। इस अब की बार के बजट में एक नयी चीज का अन्वेषण किया गया है और वह यह है कि प्रगति को बढ़ाते हुए किस तरह से मितव्ययिता का उपयोग करके हम कार्य को कार्यान्वित करें? यह बजट साढ़े आठ करोड़ रुपये के घाटे का बजट बताया गया है और इसमें वह साधन भी बताये गए हैं कि किस तरह से ५ करोड़ २१ लाख का घाटा पूरा कर लिया जायगा और ३ करोड़ ६० लाख का घाटा शेष रहेगा जिसके लिए कि अभी उपायों की खोज हो रही है और जिसको भी कुछ ही समय में पूरा कर लिया जायगा। यह हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि इसमें आय-बृद्धि करने के साधन बहुत उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ यह भी सौभाग्य है कि यहां की जनता को टैक्स बहुत सी चीजों पर नहीं देना पड़ रहा है।

मान्यवर, यह बजट यह दिखाता है कि हमारे प्रदेश में कुछ चीजें जोकि शिक्षा और चिकित्सा पर खर्च होनी चाहिए थीं वह किस ढंग से की गई हैं। कृषि को एक आजीविका न मानकर एक नया उसका नामकरण "उद्योग" किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि कृषि को किस तरह से उत्थान मिले। ८० प्रतिशत जनता हमारी देहातों में रहने वाली है। उसको सुविधा देने के लिए इस बजट में बताया गया है कि इसको प्राथमिकता दी जायगी। लेकिन मान्यवर, इस बजट भाषण को पढ़न से मेरी समझ में यह नहीं आया कि उस कृषक-वर्ग को क्या सुविधायें दी गई हैं। जो एक रिबेट दिया गया था उसको फिर दुबारा चालू करना

[श्रीमती चन्द्रावती]

मैं सोचती हूं कि यह कोई न्यायसंगत चीज नहीं हो रही है । दूसरी चीज, सिंचाई के लिए अधिक प्रोत्साहन देना था । सिंचाई में एक चीज जो बिजली का वितरण है वह इतना दोषपूर्ण है कि देहात में इसका पूरा उपयोग न होकर यह शहरों के ही वितरण के काम आ जाती है । दूसरी बात यह है कि एक छोटी सिंचाई की योजना लागू करनी चाहिए थी । छोटे-छोटे रहट छोटे छोटे यूनिट्स की तरह से लगाकर अगर देहात में पानी का और सिंचाई का जरिया कर दिया जाय तो अनाज के उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है । यह देहात में जो सोसाइटीज बनाई गई हैं उसके लिए मेरा एक सुझाव है कि वह देहात की सोसाइटीज देहात का कोई उत्थान करने के लिए प्रगति नहीं कर रही हैं । बल्कि वह एक दफा काश्तकार को बीज देकर ऐसा फन्दा डाल देती हैं कि वह तड़पता रहता है और मैं तो सोचती हूं कि उसका कोई उत्थान नहीं होता । मेरी कुछ सरकारी अफसरों से बातचीत हुई है । यह सोसाइटीज द्वारा जो बीज वितरण किया जाता है उसमें ऐसा मैं देखती हूं कि समय पर बीज नहीं बंटता ।

आपके पास अगर बीज की समय से व्यवस्था हो जाय तो मैं समझती हूं कि उससे ज्यादा फायदा हो सकता है । देहाती क्षेत्र में १० और १५ मील से एक आदमी बीज लेने सोसाइटी तक आता है, दो दिन तक वह और उसके बैल परेशानी उठाते हैं लेकिन उसके बाद भी उसे बीज नहीं मिल पाता । इसलिये बीज की कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह गांवों के यूनिट बना कर सर्किल्स में समय से पहल ही बांट दिया जाया करे ताकि किसानों को बोने के पहले बीज मिल जाय । देखा गया है कि छोटे-मोटे किसानों को बीज नहीं प्राप्त होते, बड़े-बड़े फार्म वाले हजारों मन बीज लेकर उसे बाजार में बेच कर मुनाफा कमाते हैं । इसमें नयी व्यवस्था लाने के लिये जरूरी है कि राज्य सरकार द्वारा इसका कुछ खयाल किया जाय ।

चिकित्सा के लिये सरकार बधाई की पात्र है । उसने जो प्राविंशियल हेल्थ सर्विसेज और प्राविंशियल मेडिकल सर्विसेज के वेतन में वृद्धि की है उसके लिये वह निश्चित रूप से बधाई की पात्र है । इस समय डाक्टरों की कमी बतायी जाती है, यह ठीक है । यह डाक्टरों की कमी वेतन वृद्धि का आकर्षण दे कर दूर की जा सकती है । इसके अतिरिक्त देहाती क्षेत्र के लोगों को मेडिकल कालेजों में एडमिशन में अधिक सुविधा प्रदान करके, उनके बच्चों को वजीफे का आकर्षण दे कर भी इस ओर कुछ कदम बढ़ाया जा सकता है । यह उनके लिये एक नवीन आकर्षण होगा और देहात के जो लोग आयेंगे वे देहात की जन-संख्या के स्वास्थ्य को सुधारने में अधिक सहायक सिद्ध हो सकेंगे ।

दूसरी बात, दवाई बनाने के जो कारखाने हैं उनका प्रबंध राज्य सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये । मान्यवर, मैं यह कहना नहीं भूलूंगी कि जो आज-कल दवाई बनाने की व्यवस्था है वह इतनी दोषपूर्ण है कि हजारों की संख्या में इन दवाइयों के प्रयोग से मृत्युयें हो रही हैं । दूसरों की जान से खेल कर यह मुनाफाखोरी अच्छी नहीं है । यह एक ऐसा जघन्य अपराध है कि जिसको ब्रह्मा भी माफ नहीं कर सकते । इसमें अगर सरकार नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री के तौर पर कोई काम शुरू करे तो वह लाभप्रद भी रहेगा और लोगों का भी भला उससे होगा ।

दूसरी चीज यह है कि इसमें प्राकृतिक चिकित्सा को और प्रोत्साहन मिलना चाहिये । आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । हमारे देश का वातावरण और वायु उसके अनुकूल है और हमारे देश में जो एलोपैथिक चिकित्सा है वह इतनी फलीभूत नहीं हो रही है जितनी कि होनी चाहिये । मैं समझती हूं कि उन दोनों को प्रोत्साहन देने से हमारे प्रदेश के जनस्वास्थ्य पर अधिक अच्छा प्रभाव पड़ेगा ।

शिक्षा के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें जो महिलाओं के लिये विशेष छूट दी गयी है कि ८ वीं कक्षा तक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क कर दी गयी है उसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं और खास कर जो ग्रामीण क्षेत्र की अध्यापिकाओं को भत्ता दे कर नवीन आकर्षण दिया गया है उसके लिये । मैं यह कहना भी नहीं भूलूंगी कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिये वहां से ही अध्यापिकायें ली जायं तो ज्यादा अच्छा होगा । वहां के रहन-सहन से प्रभावित

ग्रामीण अध्यापिकायें ही उन बच्चों पर अधिक अच्छा प्रभाव डाल सकेंगी । महिलाओं के लिये जो अधिक स्कूल खोले गये हैं उसके लिये भी वे बधाई के पात्र हैं ।

इसमें मेरी समझ में यह भी नहीं आया कि यह जो ५०० स्कूल मदर्स की व्यवस्था की जा रही है वह किस लिये है ? मैं इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पायी और माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि वह अपने भाषण में इसे स्पष्ट करने की कृपा करें कि यह किस कैटेगरी की हैं और क्या गवर्नमेंट कान्वेन्ट स्कूल प्रणाली के अनुसार ही उनकी भर्ती होगी या किस प्रकार होगी ? उनकी व्यवस्था के बारे में स्पष्ट बात बताने की कृपा करें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है और हमारे यहां बहुत-सी खाद्य वस्तुओं पर टैक्स और बिक्री कर नहीं है जो और प्रदेशों में हैं । खोज करने पर पता चला है कि हमारे यहां और प्रदेशों के मुकाबले में कुछ वस्तुओं पर छूट है । यह हमारे लिये खुशी की बात है, किन्तु पता यह भी चला है कि सरकार अब उन वस्तुओं पर टैक्स लगाने जा रही है । मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगी कि यदि ऐसा है तो अगर सरकार उन खाद्य की वस्तुओं पर टैक्स न लगाये तो अच्छा होगा । इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि आप जो लग्जरीज की चीजें हैं उन पर टैक्स बढ़ा दीजिये । इससे आपको काफी आमदनी होगी ।

इन सुझावों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं और आशा है कि अन्य वर्षों की तरह ऐसा नहीं होगा कि इन सुझावों पर विचार न किया जाय, बल्कि उन पर यह सरकार पूरी तरह से विचार करेगी और उनको कार्यान्वित करेगी ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, जो सरकार अपने १४ वर्षों के शासन में, दो पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद भी, प्रदेश की जनता को रोटी और कपड़े की परेशानी से मुक्त न कर सकी वह सरकार और उसकी सभी योजनायें और उसका समस्त बजट नियोजन एक व्यर्थ एवं धोखा है, उसे अपने उच्च आसन पर, रहने का नैतिक अधिकार नहीं है । कांग्रेसी सरकारों ने पूंजीवादी विकास का रास्ता पकड़ा है । इस रास्ते पर वे समय-समय पर अपने हित से प्रेरित होकर सामन्ती तत्वों से समझौता करते हैं । इसी विकास पथ का अनिवार्य परिणाम अवश्यम्भावी रूप से हमारें राष्ट्रीय-जीवन एवं हमारे समाज में परिलक्षित हो रहा है । आज दो प्रकार की तस्वीरें हमारे सामाजिक जीवन में उभड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं । एक ओर तो धन बढ़ रहा है और दूसरी ओर गरीबी बढ़ रही है । एक ओर मुट्ठी भर लोगों की सम्पत्ति में इजाफा हो रहा है और दूसरी ओर बहुजन की गरीबी बढ़ रही है । एक ओर धनी का धन बढ़ा है, दूसरी ओर गरीब की गरीबी बढ़ी है ।

एक ओर औद्योगिक और कृषि उत्पादनों के दामों में वृद्धि हुई, दूसरी ओर दोनों प्रकार के उत्पादनों के दाम बढ़े हैं । आज सरकार की दामनीति की कसौटी पर मंहगाई बढ़ी है । और या तो सरकार को उसका कोई हल निकालना होगा या अपने स्थान से हटना होगा । एक ओर विकास और प्रगति की बात हो रही है और दूसरी ओर जनता पर कर भार भी बढ़ाते चले जा रहे हैं । एक ओर हम धन और ऐश्वर्य की लीला देखते हैं और दूसरी ओर हम इसके लिये तरसते हुये लोगों को देखते हैं । आज अमीर और गरीब इन दोनों के बीच की खाई गहरी और चौड़ी हुई है और वह बढ़ती ही चली जा रही है । अमीरों की समस्याओं की ओर, उनकी समस्याओं के समाधान की ओर सरकार का ध्यान अधिक आकृष्ट हुआ है परन्तु सरकार ने गरीबों की शास्वत एवं अनन्त मुसीबतों की ओर उपेक्षा की नीति बरती है । वह बुनियादी जनता जो समाज की आधारशिला है । आजादी के १३ वर्षों के बाद भी आज राष्ट्र का जीवन स्तर संसार में अन्य उन्नत देशों की तुलना में सबसे निम्न और उत्तर प्रदेश का तो उसमें और भी नीचे है ।

मान्यवर, राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने एक स्वप्न देखा था और उन्होंने उस स्वप्न को इस प्रकार एक दिन कहा था---"वह दिन कब आयेगा जब भारत के भूखे-नंगों के गालों पर गुलाब की लाली देखूंगा" । यह जनगण का स्वप्न था । महात्मा गांधी के स्वप्न के रूप में भारत के जनगण का स्वप्न था । यह राष्ट्रीय आकांक्षा थी । आज भी वह स्वप्न अधूरा है । सरकार

[श्री झारखंडेराय]

की नीतियों से एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, एक परस्परविरोधी स्थिति पैदा हो रही है और वह बढ़ती ही जा रही है। यह खेद और आश्चर्य का विषय है कि जब राष्ट्रीय सम्पत्ति में ४२ प्रतिशत वृद्धि हो रही हो तब राष्ट्रीय और प्रादेशिक पैमाने पर प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है। मान्यवर, १९४८–४९ के मूल्य के आधार पर केन्द्रीय संकलन विभाग द्वारा राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में जल्दी में तैयार किये गये आंकड़ों के अनुसार भारत में १९५९–६० में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय घटी है। १९५८–५९ में जहां प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय २९३.६ रुपये थी वहां १९५९–६० में यह और भी घटकर २९१.३ रु० रह गई। तो फिर कहां गई वह राष्ट्रीय सम्पत्ति की बढ़ोत्तरी? प्रादेशिक पैमाने पर १९५८–५९ में जहां प्रति व्यक्ति आय २५९.० थी, १९५९–६० में घटकर वह केवल २५५.३ रह गई, कहां गई वह बढ़ती। आज यह राष्ट्रीय प्रश्न है जिसका जवाब सरकार को देना होगा। इंक्वायरी कमेटी से इसका फैसला नहीं होगा क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि जिसके पास जरा-सी भी बुद्धि है कि यह आय कहां गई।

श्री श्रीमन् नारायण अग्रवाल जो कि आयोजना आयोग के एक प्रमुख सदस्य हैं उन्होंने खेत मजदूरों के विषय में अभी हाल ही में कहा है कि द्वितीय खेतिहर मजदूर जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भूमिहीन मजदूरों की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं जो बहुत चिन्ताजनक हैं। प्रतिवेदन के आंकड़े प्रकट करते हैं कि भूमिहीन मजदूरों के जीवन स्तर में किसी प्रकार का समुचित सुधार होने के बजाय प्रति व्यक्ति आय में उल्टे कमी हुई है। राष्ट्रीय सम्पति में बढ़ती हुई लेकिन प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई है। यह वह चित्र है जो सरकार की विकास नीतियों का अवश्यम्भावी समग्र परिणाम है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकारों ने एक सबसे बड़ा अपराध, अक्षम्य अपराध किया है। उनकी नीतियों की असफलता के कारण, जनविरोधी नीतियों की असफलता के कारण जनता का मनोबल टूट गया है। जनता में हतोत्साहिता और निराशा की भावना बढ़ी है। इसका परिणाम यह हुआ, कि आज जनता को सहसा राष्ट्रीय पैमाने पर किसी दल तथा व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता। जनता में यह विश्वास घर कर गया है और घर करता जा रहा है कि जो इन कुर्सियों पर जायगा वह वही करेगा जो कांग्रेस वाले कर रहे हैं। यह मनोबल का ह्रास, मनोबल का टूटना अंग्रेजी सरकार अपने इतने लम्बे हुकूमत के दौरान में भी नहीं कर सकी थी। इसका बहुत ही सुन्दर विकल्प और स्वस्थ विकल्प केरल में कम्युनिस्ट सरकार ने प्रस्तुत किया था। लेकिन एक भयानक एवं जघन्य षड़यन्त्र से उस विकल्प को देश के अन्दर सफल नहीं होने दिया गया। उसको भंग कर दिया गया वरना देश के अन्दर फैली हुई यह निराशा हट गई होती। क्योंकि निराशा का घना कुहरा फटने लगा था। कांग्रेस सरकार के ऊपर जो स्वतन्त्र होने के बाद जिम्मेदारी आई थी, उसको पूरा करने में यह सरकार नितान्त असफल रही है, इस बात को उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। और उसको स्वीकार करके स्वयं रास्ते से हट जाना चाहिये। अन्यथा इतिहास के क्रूर हाथ उसे कूड़े के ढेर पर फेंक देंगे।

(इस समय १२ बजकर ५४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

मान्यवर, इस बजट को पेश करते समय माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा कि इस बजट का विशेष महत्व है क्योंकि यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रथम बजट है। इस दृष्टि से अगर हम इस बजट को देखते हैं तो हमें घोर निराशा होती है और जिस प्रकार की नई सरकार एवं नये वित्त मन्त्री जी से आशा थी, वह पूरी नहीं हुई। हां, एक विशेषता है। जितनी प्रेस की गलतियां इस वर्ष हुईं उतनी पिछले सालों में कभी नहीं हुईं। इसके लिये वित्त मन्त्री जी को बधाई है।

एक त्रुटिपूर्ण बजट प्रणाली जो पहले अपनाई जाती थी, वही अपनाई गई है। पछले वर्षों की भांति घाटे का बजट पेश किया गया है लेकिन बाद को इस घाटे में कमी होगी और धीरे-धीरे घाटा मुनाफे में बदल जायगा। जो नीति पहले भाषणों में दिखाई देती थी,

वही वित्त मन्त्री जी के भाषण में दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि ५। करोड़ के नये कर लगाने के औचित्य सिद्ध करने के लिये घाट का बजट पश किया गया है।

अब हम इस सरकार की भूमि और कृषि की नीति को लेते हैं। अभी तक यह सरकार अपनी भूमि सुधार की नीति को भी पूरा नहीं कर पाई है। १४ सालों की हुकूमत के बाद भी जो प्राथमिक चीज थी वह भी यह सरकार पूरा नहीं कर पाई है। आज गलत इन्दराजों की संख्या उतनी ही है, बेदखलियां आज भी हो रही हैं, चकबन्दी अभी अधूरी पड़ी हुई है, हदबन्दी अभी शुरू भी नहीं हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस स्पुटिनिक एज में क्या हमारी प्रगति इसी प्रकार ढीली रहेगी?

हमारे सामने चीन का उदाहरण है। हमारे उनसे बहुत से मतभेद हो सकते हैं लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि चीन ने अपने भूमि सुधारों को आनन-फानन में पूरा किया। उनके सामने भूमि सुधारों की समस्या समाप्त हो चुकी है। लेकिन यह सरकार तो अभी पहले दलदल से नहीं निकल पाई है।

कांग्रेस सरकार के राज्य में दास प्रथा अब भी कायम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अभी संसद में कहा था कि उन्हें दुख है कि नेफा एरिया में आज भी दास प्रथा कायम है। जिसे समाप्त करने के लिये क्रमशः प्रयास होगा। अभी शुभारम्भ भी नहीं हुआ, मान्यवर। राजस्थान में अर्द्धदास प्रथा कायम है। राजस्थान के भीलों में सगरी नामक पैसा उधार देने की पुरानी प्रथा है। इसमें कर्जदार आदमी को महाजन की सारी उम्र गुलामी करनी पड़ती है। कर्जदार को मामूली कपड़े और खाना भर मिलता है। तनखाह में एक पैसा नहीं दिया जाता। परन्तु उसे कर्ज के बदले सारी उम्र साहूकार की गुलामी करनी पड़ती है। इसको मिटाने के लिये ८० गांवों का अभी सर्वेक्षण हो रहा है। यह इस कांग्रेस सरकार की भूमि सुधार की प्रगति की कछुआ चाल का नमूना है। नमूना है उस सरकार का जो माननीय वित्त मंत्री की पार्टी की है जो देश में तथा दूसरे प्रदेशों में राज्य कर रही हैं।

खेतिहर मजदूरों में जब जमीन बांटने की बात कही जाती है तो मजाक उड़ाया जाता है। इसी सरकार के एक मन्त्री हैं जो दिन-रात सहकारिता के विरुद्ध प्रचार करते हैं, एक पुस्तक भी उन्होंने इसके बारे में लिखी है, हदबन्दी के खिलाफ दिन-रात प्रचार करते हैं और भीतर रहकर भूमि सुधारों को सेबोटेज करते हैं बाहर के तत्वों से मिलकर।

हमारे बगल में ही मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वीकार किया है कि उसके यहां ४० लाख खेतिहर मजदूर थे जिनमें से २० लाख खेतिहर मजदूरों को उन्होंने भूमि दी है। आज नये सेन्सस के मुताबिक उन खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़कर ६४ लाख हो गई है और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का एलान किया है कि हमारे पास जितनी भी भूमि प्राप्त होगी, सबको उनके बीच में बांट देंगे। क्या मैं इस सरकार से भी ऐसी घोषणा की प्रतीक्षा करूं और माननीय वित्त मन्त्री जी से जवाब के सिलसिले में यह आशा करूं कि वे इस विषय में कुछ रोशनी डालेंगे? है साहस इस प्रकार का?

मान्यवर, मध्य प्रदेश के राजस्व मन्त्री ने विदर्भ के सिलसिले में कहा है कि "सरकार द्वारा बंजर भूमि का वितरण भूमिहीनों के अन्दर इस वर्ष के अन्त के पूर्व शुरू हो जायगा और प्रत्येक भूमिहीन परिवार को कम से कम ८ एकड़ और अधिक से अधिक १६ एकड़ भूमि दी जायगी। इस भूमि को प्राप्त करने वाले न किसी को दे सकेंगे और न विभाजित कर सकेंगे, और जिन व्यक्तियों को यह भूमि दी जायगी, उन्हें बैल, बीज तथा कृषि के उपकरण खरीदने के लिये ७०० रु० प्रति परिवार ऋण के रूप में दिये जायेंगे"। मैं यहां की मौजूदा सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब उसी पार्टी की सरकार यहां पर भी है जिस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो क्या आप इस नीति पर नहीं चल सकते हैं?

अभी-अभी सन्त विनोबा जी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते समय मिर्जापुर में आये थे तो उन्होंने वहां स्पष्ट रूप से कहा था कि भूमि का समुचित बंटवारा होना नितान्त

[श्री झारखंडेराय]

आवश्यक है। उन्होंने यहां तक कहा कि चीन सरकार ने पहले तो सभी भूमिहीनों को जमीन दे दी और फिर सबका विश्वास जीत कर उनके खेतों को सहकारी समिति में मिला दिया। उन्होंने यहां तक कहा और हम सब को चेतावनी दी कि चाहे चीन से युद्ध हो, चाहे समझौता हो, हम तभी सफल होंगे जब अपने देश की जनता सुखी हो। लेकिन सरकार ने अपने देश तथा प्रदेश के करोड़ों किसानों को सुखी बनाने के लिये उसकी प्रारम्भिक रूप-रेखा की भी स्थापना नहीं की है।

मान्यवर, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कृषि का उत्पादन हमारे प्रदेश में एक करोड़ १८ लाख ६६ हजार टन हुआ लेकिन हम आत्म निर्भर नहीं हो पाये। दावा तो बहुत किया गया लेकिन हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। इसी तरह द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में एक करोड़ ३५ लाख ४० हजार टन उत्पादन का अनुमान है जबकि लक्ष्य १ करोड़ ४० लाख टन का था। इस तरह से आत्मनिर्भरता नहीं हुई क्योंकि यह तो लक्ष्य से भी कम उत्पादन है। मान्यवर, चरण सिंह जी ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है। उनका कहना है--"उत्तर प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त खाद्योत्पादन का लक्ष्य २४ लाख टन निर्धारित किया गया था जिसमें से १९५९-६० के अन्त तक १२ लाख ९५ हजार टन अतिरिक्त उत्पादन हुआ जबकि उस समय तक का निर्धारित लक्ष्य २० लाख ६४ हजार टन था"। मान्यवर, तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये जो लक्ष्य है वह १ करोड़ ८२ लाख ९० हजार टन का है। इसमें बजट वर्ष में ८ लाख ७३ हजार टन का लक्ष्य निर्धारित है, जिससे कुल उत्पादन १४४ लाख १३ हजार टन हो जायगा। फिर भी आत्म-निर्भर नहीं हो सकेंगे, विदेशी सहायता पर ही आश्रित रहना पड़ेगा।

विदेशी सहायता से प्राप्त अन्न की क्या गति है उसे मैं एक अमेरिकन के ही शब्दों में आपके सामने पेश करना चाहता हूं--"न्यूयार्क हेराल्ड ट्रिब्यून द्वारा संचालित आकाशवाणी के प्रतिनिधि को मुलाकात देते हुये रिपब्लिकन संसद सदस्य, श्री स्टीवेन डिरूनियन ने, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक के सिलसिले में दो सप्ताह भारत में रहे, कल अपना यह अनुभव बतलाया कि विगत तीन वर्षों में अमेरिका ने भारत को अन्न की जो मुफ्त सहायता दी है, उससे भारतीय व्यापारियों ने लाखों डालर कमाये"। आगे उन्होंने बतलाया--"मैंने भारत की दशा बहुत बुरी देखी और एक प्रकार से मैं अवाक रह गया। हम विगत तीन वर्षों से लगभग साढ़े ३ अरब डालर की मदद भारत को दे रहे हैं, किन्तु यह धन और यह मुफ्त गेहूं भारत की गरीब जनता को नहीं मिल रहा है। यह भारतीय व्यापारियों के हाथ लग रहा है और मेरी राय में यह उनकी जेब में जा रहा है।"

मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय में हमें वह पद्धति कायम करनी होगी जो आज रूस और चीन में है कि अगर यह सिद्ध हो जाय कि फलां मिनिस्टर को निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफलता रही तो उनको स्वयं अलग हो जाना चाहिये या उनको अलग कर देना चाहिये।

मान्यवर, हमारे यहां कृषि की जो प्रगति है उसका मैं नमूना या स्पेस्फिक उदाहरण उपस्थित करना चाहता हूं जोकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और जाकर जिस की मैंने जांच की है। तराई स्टेट फार्म से सम्बन्धित एक हेमपुर (नैनीताल) का मेकनाइज्ड फार्म है, जोकि ६,००० एकड़ का फार्म है। उसकी हालत का आप मुलाहिजा करें, उस ६,००० एकड़ के फार्म पर ४०० मजदूर काम करते हैं और जिसमें से एक तिहाई फार्म बन्जर है। यह फार्म दो लाख की हानि से चल रहा है और उस पर पौने दो लाख का घाटा सन् १९५९ में हो चुका है। वहां पर १,२०० मन गल्ला पारसाल सड़ गया और पारसाल ४,००० मन भूसा भी सड़ गया और इससे पहले वर्षों में भूसे में आग भी लगा दी गई थी। वहां पर ४०,००० रुपये की लागत के गलत औजार सड़ रहे हैं, वहां २८ ट्रैक्टर हैं जिनमें से केवल ४ ही काम करने योग्य हैं और सब बेकार हैं। वहां ४ कम्बाइन हैं जिनमें से केवल २ ही

काम दे रहे हैं जबकि एक ट्रैक्टर का दाम तीस हजार रुपया है। वहां पर १२५ गायें हैं और १५० भैंसें हैं। जिनमें से केवल २० ही दूध देती हैं। ५ एकड़ भूमि पर लीची का बगीचा लगा हुआ है और १८ एकड़ में आम का बाग है और ४ एकड़ पर अमरूद का बाग है परन्तु तीनों की फसल बिकी केवल ५०० रुपये में। वहां एक एकड़ भूमि में नमूने के लिये ईख को बोवाई कराई गई उसमें ७०० रुपया मजदूरी में व्यय हो गया। वहां पर ३०,००० रुपये की वार्षिक क्षति इस कारण हो रही है कि वहां वर्कशाप में बिजली नहीं है। हालत यह है कि रोड पर, आस-पास में, क्वार्टर्स में सब तरफ बिजली है लेकिन वर्कशाप में बिजली नहीं है। तराई स्टेट फार्म पर २.८० लाख व्यय किया गया फिर भी फार्म से आय केवल २ लाख की ही हो रही है। यह सरकारी कृषि की गति है।

मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री जी आंकड़ों के जादू के अम्बार लगा देंगे। सारे विभाग, वित्त आदि उन के पास हैं वह हमें फंसा सकते हैं लेकिन उससे न तो आत्मा को ही सन्तोष हो सकता है और न उन्हें बुद्धि ही ग्रहण कर सकती है क्योंकि वह सभी धोखा देने वाले हैं। इसकी शिकायत योजना के आयोग के सदस्य श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने भी की है कि खाद्य उत्पादन के ही बारे में आंकड़े मिले हैं वह साढ़े ७ करोड़ टन के थे। लेकिन उसी विषय पर राष्ट्रीय नमूने के सर्वेक्षण के आँकड़े ९ करोड़ ६० लाख टन के हैं। इस तरह से आंकड़ों के जाल में फंसाने की कोशिश की जाती है लेकिन हम उसमें फंसने वाले नहीं हैं।

उद्योग नीति— कुल ४९८ करोड़ में से ३६८ लाख की धनराशि उद्योगों के लिये है जिसमें से इस साल ४५ लाख बड़े उद्योगों के लिये हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की यह उद्योग नीति और यह उद्योगों को बढ़ाने का तरीका इस नीति का उपहास है और एकमजाक है। ऐसी हालत में सदन सोचे कि सेल्फ जेनरेटिंग एकनामी का वह स्वप्न कभी भी पूरा हो सकता है? जब तक यहां लैंड मानोपली नहीं तोड़ी जाती, जब तक मुट्ठी भर हाथों से आय के तमाम स्रोत नहीं लिये जाते तब तक यह सब कैसे सम्भव हो सकता है? अगर कोई रास्ता मन्त्री जी जानते हों तो वह बतायें हम उससे लाभान्वित हो सकते हैं। यह याद रहे कि ब्रटिश काल प्रारम्भ होने पर खेतिहर प्रतिशत ५३ थे। अब बढ़कर ७० से भी ज्यादा हो गये हैं। हमारे प्रदेश में ८० प्रतिशत खेतिहर हैं। अतः दृढ़ एवं प्रगतिशील जन उद्योग नीति की जरूरत है। कारण मूल में यह है कि इस कांग्रेस सरकार की पूरी नीति पूंजीवाद परस्त है। इस सरकार का समाजवाद का नारा, कांग्रेस पार्टी का समाजवाद का ढकोसला बिलकुल झूठा और मिथ्या है।

अन्त में मैं एक बात और कह कर इस विषय को समाप्त करूंगा, पहले भी मैं कह चुका हूं कि पूंजीपतियों से पैसे लेकर पार्टी चलाई जाती है और उसी पैसे से चुनाव लड़े जाते हैं। पूंजीपतियों के ऊपर जब आश्रित हुआ जाता है तो कोई भी दल या पार्टी समाजवाद नहीं कायम कर सकती है। पूंजीवाद स्वयं अपनी चिता के लिये लकड़ी इकट्ठा नहीं करेगा इनको सन्देह हो सकता है। लेकिन वह सन्देह इनको भी नहीं है। वह तो हमको सन्देह पैदा कराना चाहते हैं।

टाटा आयरन ऐंड स्टील कम्पनी के हिसाब–किताब का जो ब्योरा पार्लियामेंट में पेश किया गया था उससे मालूम हुआ कि सन १९५७ के चुनाव में १० लाख ३० हजार रु० कांग्रेस पार्टी को दिया। भूत पूर्व मुख्य मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया था कि हां लिया है और लेंगे, हमको नहीं मिलेगा तो क्या आपको मिलेगा, हम देशभक्त हैं। वह तो चले गये। श्रीमन्, ६० हजार रुपया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को, ३० हजार रुपया बिहार कांग्रेस कमेटी को और १ लाख तीस हजार उड़ीसा कांग्रेस कमेटी को दिया गया। इसी पर जस्टिस छागला ने कहा था कि यह स्थिति "दिल डूबने के से अनुभव" की उनको मालूम होती थी। अगर पूंजीपति पार्टियों को खरीदते रहे, अखबारों को खरीदत रहे और बुद्धिजीवियों को खरीदते रहे, जो आज करते जा रहे हैं तो भारत में प्रजातन्त्र का जनाजा निकल जायगा और उसका गला पालने में ही घोट दिया जायगा !

[श्री झारखंडेराय]

माननीय मन्त्री जी ने सवा पांच करोड़ का नया टैक्स लगाया है। भारत का प्रशासनिक व्यय है वह बढ़ता ही जाता है। उसको कम करने की बात बहुत कही गई। लेकिन या तो उधर ध्यान नहीं दिया गया या उसमें असफल रहे। अधिकृत सूत्र के अनुसार प्रशासनिक सेवाओं पर भारत सरकार का खर्चा—यहीं नहीं, ऊपर भी यही हाल है—१९५०—५१ में उनका यह खर्चा २१ करोड़ ३० लाख था जो १९६१—६२ में ५८ करोड़ ३७ लाख हो गया। करीब—करीब तिगुना हो गया। हमारे प्रदेश में भी यह २१ करोड़ से बढ़ कर साढ़े २४ करोड़ हो गया।

मितव्ययिता का बहुत बड़ा ढोल पीटा गया जो बिलकुल डपोरशंख साबित हुआ। डपोरशंख की कहानी आप जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, उसमें समय लगेगा। कहा गया कि किफायत की जायगी लेकिन कुशलता के साथ। कुशलता है ही कहां ? हमारे एक माननीय मन्त्री जी हैं माननीय चरण सिंह। उनका दावा था कि १५ करोड़ से २० करोड़ तक की बचत सरकार के बजट में की जा सकती है। जब नई सरकार का मन्त्रि मण्डल बना तो आपस में बातचीत से तय हुआ कि १० से १२ करोड़ तक की बचत हो सकती है। अभी एक मन्त्री जी ने बड़े दावे के साथ कहा कि ८ से १० करोड़ तक तो जरूर ही हो जायगी। अभी मुख्य मन्त्री जी ने उन्नाव जिले की सफीपुर तहसील में विकास सम्मेलन में २७ फरवरी को एलान किया कि हम करोड़ों रुपये की बचत कर रहे हैं। लेकिन केवल ५२ लाख की बात आई। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया और वह भी मरी हुई।

एक प्रयास बड़े जोरों से हो रहा है और मेरे खयाल में सरकार और सरकार के बड़े-बड़े हाई बास उसमें लगे हुये हैं कि अर्दलियों को निकालो, चपरासियों को कम करो। इसी से इकानामी होगी। गरीबों को मार कर, उनसे दो रोटी छीन कर, उनके बच्चों के मुंह में माटी देकर विकास और मितव्ययिता की जा रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि नोट कर लें इस बात को कि वर्तमान व्यवस्था के रहते हुये, वर्तमान विकास पथ के रहते हुये, वर्तमान शासन तन्त्र के रहते हुये वस्तुतः बड़ी मितव्ययिता दिवास्वप्न है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मितव्ययिता करनी है तो व्यर्थ के विभागों को तोड़ना होगा। समाज कल्याण विभाग बिना कोई काम नहीं बिगड़ा जा रहा है। प्रायारिटी होनी चाहिये कामों की। एक मत्स्य पालन विभाग है न मालूम कहां मछली पलती हैं ? दसियों तालाब मैंने देखे हैं जहां धूल उड़ती है। मुर्गी पाली जा रही हैं। इस तरह के व्यर्थ और डपोरशंख विभागों को खोलने की अभी जरूरत नहीं है। इनको बन्द किया जाय। उसके बाद रुपया बचेगा और जो मुख्य काम हैं, खेती, सिंचाई और बिजली आदि पर मुख्यतः कन्सेन्ट्रेट किया जाय तब प्रदेश की इकोनामी मजबूत होगी और हम आगे बढ़ेंगे।

नये कर का प्रस्ताव अन्यायमूलक है। साढ़े पांच करोड़ का टैक्स इसलिये लगा दिया गया कि साढ़े आठ करोड़ के घाटे का अनुमान है और अगर सरप्लस में परिणत हो गया तो फिर क्या किया जायगा ? जो टैक्स लिया जायगा उसको मंत्री जी वापस करेंगे ?

अभी केन्द्रीय सरकार के कर-भार की सूचना मिली, उसकी घोषणा हुई, कमी भी हुई, तो भी ५७ करोड़ तक तो है ही। उसका गहरा प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ा है। इसके ऊपर यह प्रादेशिक कर भार ? क्या इसका असर देश और प्रदेश की इकोनामी पर नहीं पड़ेगा ? तर्क यह दिया गया कि राज्य की समस्त आय १८ अरब ६४ करोड़ हो गई है यह दिखाने के लिये कि जनता समृद्ध हुई। लेकिन प्रति व्यक्ति आय घटी है। कर-देय क्षमता घटी है। इसका मतलब कि जन-साधारण की क्रय शक्ति भी घटी है। इसका असर बाजार पर, उद्योग-धंधों पर और खास कर काटेन इंडस्ट्रीज (cotton) पर पड़ेगा। इसलिये नया कर भार अन्याय मूलक है, मैं चाहता हूं इसको खत्म किया जाय। और विशेष करके जो सिंचाई

कर की छूट की समाप्ति की घोषणा की गई है वह तो घोर निन्दनीय है, उसके बारे में कहना ही व्यर्थ है ।

एक बात और है । और भी नये टैक्सों का संकेत किया गया है अगर काम नहीं चलेगा तो माननीय सदस्यों को फिर बुलाया जायगा कि नये कर-भार को पास कीजिये । मैं कहना चाहता हूं कि अगर नये कर भार लगाये जायेंगे तो उसका विरोध होगा । उसका सामना केवल प्रस्तावों या सभाओं आदि से नहीं होगा, प्रदर्शन से नहीं होगा वरन् जबरदस्त आन्दोलनों से, हड़तालों से होगा और सरकार को जेलों को भरना पड़ेगा । तैयार रहें वित्त मंत्री जी और उनकी सरकार ।

एक तर्क आजकल हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर हरगोविन्द सिंह जी तक दिया जाता है कि बर्थ कन्ट्रोल किया जाय, परिवार नियोजन ही हर मर्ज की दवा है । यह जानबूझ कर एक कैपिटलिस्ट क्राई है । कोई भी दिक्कत हो बस परिवार नियोजन करो सब ठीक हो जायगा । यह लगता है कि जानबूझ कर शासक द्वारा जनता का ध्यान सही समस्याओं की ओर से हटा कर, असली कठिनाइयों और उनके समाधान से हटाकर इधर लगाया जा रहा है ताकि लोग समझें कि जिस दिन बच्चे कम पैदा होने शुरू हो गये उसी दिन सब समस्याओं का समाधान हो जायगा ।

आचार्य विनोबा जी ने इस सम्बन्ध में कहा, कोई कम्युनिस्ट ने नहीं कहा है, वह तो उसी की नकल कर रहे हैं, जो मैं मान्यवर, पढ़ना चाहता हूं ।

"..the idea of birth control stemmed not merely from its being 'immoral' but also for its being an unscientific method which would result in the birth of weakling. France could not face Germany in wars as she had adopted birth control.....immoral and unhealthy practices ought to be oppsed by all means. The growth of population through healthy and moral practices should not be feared. Children of the soil born with a moral sanctity are never a burden on it."

मान्यवर, हमारे प्रदेश में कभी यह बात थी नहीं । अगर यह बात होती तो भगवान कृष्ण भी आठवीं सन्तान थे और रवीन्द्र नाथ टैगोर भी आठवीं सन्तान थे, फिर गीतांजली कहां मिलती पढ़ने और सुनने को ? जन बल महान् शक्ति है । इसे इस्तेमाल का शऊर होना चाहिये ।

पूरे बजट भाषण में बेकारी का कहीं जिक्र नहीं । जो समस्या भयानक भूत की तरह से हमारी सारी योजनाओं और उसके प्रोडक्ट्स को निगले जा रही है उसका जिक्र तक नहीं किया गया जब कि पू देश के पैमाने पर अनुपाततः हमारे प्रदेश की बेकारी बढ़ती ही जा रही है । और इधर जो नये टैक्स लगे हैं केन्द्रीय सरकार के उनसे और भी बेकारी बढ़ेगी । मुरादाबाद, मिर्जापुर और बनारस में पीतल के काम करने वाले, कालीन के काम करने वाले लाखों नये आदमी बेकार हो रहे हैं । तो इस तरह की व्यवस्था को रखते हुये कहां तक यह एम्पलायमेंट खोल सकेंगे ? मैं कहना चाहता हूं कि जो बहुत आदर्श दिखाई देता है अमेरिका जिसकी वेल्थ का बहुत नाम है ५५ लाख आदमी आज भी बेकार हैं और पारसाल भी ४८,५०,००० लाख थे । तो जो अमरीका आदर्श है पूंजीवादी देशों का, जो अगुवा और नमूना है उसकी यह गति है, उस पूंजीवादी राह पर चल कर ये कहां पहुंचेंगे आप और हम आसानी से इसकी कल्पना कर सकते हैं ।

मान्यवर, चिकित्सा की प्रणाली को देखा जाय । अस्पताल, डाक्टर, शय्यायें, दवाइयों की व्यवस्था और अनुदान बढ़ रहे हैं लेकिन साथ ही साथ रोग भी बढ़ रहे हैं । भयंकर और असाध्य रोग भी बढ़ते जा रहे हैं । देहातों में आपको मालूम होगा कहीं टाइफाइड का नाम नहीं सुनते थे और क्षय का रोगी कहीं १०, २० गांव में कोई होता था तो ताज्जुब होता था । राज रोग उसका नाम था वह आज घर-घर चला गया है । नई बीमारी टायटिनस भी प्रवेश कर रही है और साल दो साल में घर-घर में फैल जायगी । मलेरिया का नाश हो रहा है

[श्री झारखण्डेराय]

लेकिन मच्छर बढ़ते जा रहे हैं । ५० लाख हमारे देश में क्षय के रोगी हैं । खुद कानपुर में १० लाख की आबादी में ३० हजार क्षय के रोगी हैं आंकड़ों के मुताबिक लेकिन अनुमान है कि ५० हजार से कम नहीं होंगे । फी २० आदमी पर १ आदमी क्षय का रोगी है । ५ लाख व्यक्ति इससे प्रतिवर्ष देश में मर जाते हैं । हमारे देश तथा प्रदेश में भयानक रोगों की बढ़ती हो रही है । प्रत्येक १० में एक हिन्दुस्तानी गुप्त रोगों से पीड़ित है । मैं कहता हूं कि इसकी ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा ।

आयुर्वेद की उपेक्षा की गयी है । आज तक सरकार ने अपने राष्ट्रीय चिकित्सा नीति का भी निर्धारण नहीं किया कि कौन सा नेशनल तरीका है और कौन से तरीके सप्लीमेंटरी होंगे ? घोड़े छोड़ दिये गये हैं मैदान में और जो जहां चाहे दौड़े । यह एनार्की है, कयास है, जिसे सरकार चिकित्सा क्षेत्र में अपना रही है ।

प्रदेश में झांसी, मेरठ, हरद्वार और पीलीभीत में आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों तथा उनकी शिक्षा के साथ एक सौतेली मां-सा बर्ताव होता है । लखनऊ के आयुर्वेदिक कालेज के साथ तो अब अच्छा बर्ताव होने लगा है लेकिन वे चार बेचारे अब भी अनाथ व अपाहिज पड़े हुये हैं । यह सौतेली मां का बर्ताव खत्म होना चाहिये और सरकार को इधर ध्यान देना चाहिये । उनको विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाय और उन्हें भी पी०एम०एस० II का ग्रेड दिया जाय ।

खाद्य पदार्थों में तथा इस्तेमाल की चीजों में जो मिलावट हो रही है मेरी स्पष्ट मांग है कि इसे नेशनल क्राइम, राष्ट्रीय अपराध घोषित कराना चाहिये । इसका विधान हो कि इसके लिये सजायें फांसी, काला पानी या पब्लिक व्हिपिंग होना चाहिये । जो राष्ट्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वे एक दिन भी जियें ।

शिक्षा नीति का यह हाल है कि पहले प्राइमरी शिक्षा पर जोर था, बाद में हायर शिक्षा पर जोर दिया गया और फिर प्राइमरी शिक्षा पर जोर दिया गया । ढुलमुल यकीन नीति सरकार की हमेशा रही है और वित्त मंत्री जो उस समय शिक्षा मंत्री थे यह सारा उलटफेर उनके ही जमाने में हुआ था । वर्तमान शिक्षा प्रणाली बड़ी दूषित है यह दूषित शिक्षा प्रणाली शिक्षा मंत्री की गलत नीति का परिणाम है । आज हमारा प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों में प्राइमरी शिक्षा के संबंध में पिछड़ा हुआ है जो केवल ४५.१ प्रतिशत है । इसलिये विनोबा भावे ने इस बात को कहा है "यदि देश की जनता वास्तविक रूप से नई पीढ़ी को उत्तरदायित्व वहन करने योग्य बनाना चाहती है तो राष्ट्रीय की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना होगा । छात्रों पर अनुशासन-हीनता के आरोपों को अनुचित बताते हुये विनोबा जी ने कहा कि "सारा दोष वर्तमान शिक्षा प्रणाली का है । मैंने छात्रों की अनेक सभाओं में भाषण किये हैं और उनका व्यवहार बड़ा सुन्दर रहा है ।" यह बात उन्होंने जबलपुर की एक सभा में १२ नवम्बर को कहे थे और अभी बनारस में कुछ दिन पूर्व १८ दिसम्बर को भी कहा है ।

साम्प्रदायिक विद्वेष और जाति-पांति को बढ़ावा हो रहा है । इसकी प्रमुख जिम्मेदारी शासक पार्टी के ऊपर है । जो साम्प्रदायिकता हिन्दुस्तान में राष्ट्रपिता की हत्या के बाद जमींदोज कर दी गई थी वह फिर सिर उठा रही है । इस साम्प्रदायिकता के सिर को कुचलना होगा और इसमें हम सब देशभक्त और वे तत्व जो प्रगति चाहते हैं उनको मिलकर काम करना होगा । इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है । पंजाब में अकालियों से गठबन्धन किसने किया है ? नमूना कौन पेश करता है ? आगे-आगे कौन चलता है ? केरल में मुसलिम लीग से समझौता किसने किया है ? कैथलिक चर्च से किसने समझौता किया है ? यह कल की घटना है । हमारे दिमागों पर इसका क्या असर पड़ेगा ? इसका परिणाम हुआ है । आज मुसलिम लीग तेजी से जगह-जगह पर स्थापित हो रही है, संगठित हो रही है जो छुपे छुपे कार्य कर रही थी आज खुल्लमखुल्ला सामने आ गई है । अहमदाबाद में और बम्बई में उसने चुनाव लड़े हैं और अहमदाबाद में बहुत-सी सीटें जीती भी हैं । यू० पी० में जमाते इस्लामी का

अड्डा बन रहा है । इसके कारण हिन्दू सम्प्रदायवादी शक्तियों को भी खूराक मिल रही है । इसको मिलकर रोकना होगा ।

मान्यवर, जाति-पांति के भेदभाव और वर्ग संगठनों (class organization) को प्रोत्साहित न करके पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के नाम पर कांग्रेस की खोई हुई प्रतिष्ठा को कायम करने का जो प्रयास सरकार की ओर से होता है आज वह भी जाति-पांति को बढ़ाने का कारण बन रहने है ।

मान्यवर, मद्यनिषेध मजाक हो गया है । ज्यों-ज्यों मद्यनिषेध डाक्टर सीताराम जी करते जा रहे हैं त्यों त्यों मद्यपान बढ़ता जा रहा है । खुद वित्त मंत्री जी ने कहा है बजट भाषण के १७ वे पृष्ठ पर कि पिछले २ वर्ष में देशी शराब और विदेशी शराब की खपत बढ़ रही है और उससे डेढ़ करोड़ की आय बढ़ी है । मैं कहता हूं कि या तो पूर्ण मद्यनिषेध कीजिये, मखौल और मजाक मत कीजिये अथवा उन्मुक्त मद्यपान के लिये सबको उन्मुक्त कर दीजिये ।

जहां तक अध्यापकों के वेतन वृद्धि की बात है, उनके लिये यह प्रसन्नता की बात है कि उनका वेतन और महंगाई का भत्ता अब चपरासियों के बराबर हो गया है । मैं समझता हूं कि यह अभिप्रेत नहीं है । अभी बंगाल में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार ने ३ रुपये वेतन में और ५ रुपये महंगाई में अर्थात कुल ८ रुपया बढ़ाया है । उड़ीसा में जो आज केन्द्र द्वारा शासित हो रहा है उसमें भी ५ रुपये की जगह महंगाई का भत्ता साढ़े २७ रुपये कर दिया जाने वाला है । तो क्या यहां पर चार रुपये से ही वास्तविक संतोष हो जायगा ? नहीं ।

इस पूरे बजट की घोषणा से जिनको सबसे ज्यादा निराशा हुई है वह हमारे सेक्रेटेरियेट के चपरासियों को । जो बड़ी आशा लगाये हुये थे । उनकी वह आशा आज तक पूरी नहीं हुई जब कि उनको छोटे-बड़े सभी साहबों के यहां बेगार भी करनी पड़ती है ।

स्वायत्त शासन का जो कटु अनुभव इस प्रदेश का है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं । अभी हमारे लखनऊ के मेयर साहब ने जो भाव व्यक्त किये हैं जो व्यवस्था उन्होंने बतलाई है वह बड़ी दर्दनाक बात है, उसका मैं विस्तृत वर्णन नहीं करना चाहता ।

पुलिस को भी पंचायतों के हाथ में पूरी तरह से नहीं तो एक्सपेरीमेंटल तौर पर ही दे दिया जाय। बिहार में इस सम्बन्ध में प्रयोग दो गांवों में हुये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इतनी प्रार्थना के साथ कि अगर दो, चार मिनट ज्यादा हो जायं तो उसके लिये आप मुझे इजाजत देंगे ।

इस साल का जो बजट हमारे सामने पेश है यह १९६१–६२ के वर्ष का बजट नहीं है बल्कि हम आज तृतीय पंचवर्षीय योजना को मन्जूर करने जा रहे हैं । जब हम इस बजट को मंजूर कर लेंगे तो बाकी दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें साल में तृतीय पंचवर्षीय योजना की कोई खास चीज बाकी नहीं रह जायगी । इसलिये इस बजट को जरा और गहराई से देखने की जरूरत है । पेश्तर इसके कि हम यह देखें कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारे क्या ध्येय हैं, हमें क्या एचीव करना है, कहां पहुंचना है हमारे लिये जरूरी यह है कि हम यह देखें कि पिछले दस सालों में पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे सामने क्या क्या ध्येय थे और क्या क्या हमने उनमें से एचीव किये और जो ध्येय हम पूरे नहीं कर पाये वह क्यों नहीं कर पाये, क्या-क्या कमी रह गई और उस कमी को हम कैसे दूर करें ।

मैंने बहुत गौर से उन दोनों गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स को देखा जिनमें एक को तो माननीय राज्यपाल ने यहां पर पढ़ा था और दूसरे को वित्त मंत्री ने यहां पढ़ा । ये दोनों गवर्नमेंट की पालिसी के स्टेटमेंट्स हैं जो कि अपने किसी न किसी व्यक्ति द्वारा गवर्नमेंट पढ़वा देती है ।

[श्री मोहनलाल गौतम]

मुझे बहुत दया आई जब मैंने राज्यपाल महोदय का भाषण पढ़ा, सुनने का तो मौका नहीं हुआ था, पढ़ा जरूर, क्योंकि उसमें कोई चीज नहीं है । इतने महत्व के सवाल को लेकर तृतीय पंचवर्षीय योजना को शुरू करने के लिये हमने सदनों की बैठक बुलाई लेकिन एक लफ्ज भी उन्होंने पालिसी के बारे में नहीं कहा । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---आप जरा शान्त रहें, बीच में टोकिये नहीं ।

श्री मोहनलाल गौतम---उसमें अच्छा यह होता कि पालिसीज का कुछ डिक्लेरेशन होता । बहरहाल, उन्होंने कहा कि मेरे फाइनेन्स मिनिस्टर ये सब बातें कहेंगे । फाइनेन्स मिनिस्टर ने जो बातें कहीं उनको मैंने कई बार पढ़ा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि क्या ध्येय है, कहां ले जायेंगे, क्या-क्या हमारी कमियां रहीं, कैसे वे पूरी की जायंगी । उसमें यह कुछ नहीं दिखाई दिया । तृतीय पंचवर्षीय योजना का जब उन्होंने पेज ११ पर जिक्र करना शुरू किया तो पंचायत के एलेक्शन आये, अन्तरिम जिला परिषद् की बात आई, यह सब आया, परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना के ध्येय कैसे पूरे होंगे, नेशनल वेल्थ कैसे बढ़ेगी, एकोनामिक पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसका कोई जिक्र नहीं है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई थी तो उसके कुछ आब्जेक्टिव्ज बताये गये थे और यह कहा गया था कि हम एक सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी बनायेंगे । यह जिक्र करते हुये २४ वें पेज पर उन्होंने कहा था कि हमारी नेशनल वेल्थ बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अनएम्पलायमेंट दूर होगा और "इनइक्वैलिटी इन इन्कम ऐंड वेल्थ" कम की जायगी और एकोनामिक पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जायगा । ये सब ध्येय हमने सेकेंड फाइव ईयर प्लान बनाते वक्त सामने रखे थे । अब हम जरा एक एक बात को देखें ताकि हमें यह मालूम हो कि उसमें क्या क्या कमी रह गई और इस फाइव ईयर प्लान में उसको कैसे दूर किया जाय । जहां तक "Increase in national income so as to raise the level of living in the country." का ताल्लुक है ।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---आप जरा हिन्दी में बोलें ताकि हम लोग भी कुछ समझ सकें और उसका फायदा उठा सकें ।

श्री मोहनलाल गौतम---धन्यवाद । आपने मेरा ध्यान इधर दिलाया, मैं अनुवाद कर दूंगा । उसमें कुछ वक्त लग जायगा इसलिये मैं ऐसा नहीं कर रहा था ।

तो इसमें जो हमारी "इन्कम" रही है उसका जिक्र बहुत हो चुका है और वह यह है कि जितनी हमारी आबादी बढ़ी उतनी हमारी इन्कम बढ़ी । हमारी इन्कम २५८.२६ रूपये की जगह २५९.०२ रुपये हो गई कहने का तात्पर्य यह है कि वह ज्यों की त्यों फी कस उतनी ही आमदनी रही । लेकिन यह तस्वीर पूरी नहीं होती है क्योंकि श्रीमन, एक "एवरेज" का किस्सा मुझे याद आगया । एक मास्टर लड़कों को लेकर कहीं जा रहे थे । रास्ते में एक नाला पड़ा । मास्टर साहब ने कहा कि ठहरो, मुझे नाप लेने दो । उन्होंने लकड़ी से उसकी गहराई नाप ली और लड़कों की ऊंचाई का "एवरेज" निकालकर कहा कि चलो । सब लड़के डूब गये । तो औसत जो होता है वह बड़ा भ्रम पैदा करता है ।

१९५३-५४ में जिस इन्कम पर इन्कम टैक्स लगता था वह थी ६९,८३,२४,६८१ रुपये और वही १९५९-६० में १,१६,३१,६४,००० रुपये हो गई है यानी सन् १९५३-५४ में इंकम टैक्स जिस पर लगता था उसके हाथ में ७० करोड़ से कम आमदनी थी । कुदरती तौर पर यह नतीजा निकलता है कि यह आमदनी कहां से आई ? यानी फी कस जो आमदनी औसत है वह २५९ के करीब है यानी २१ रुपये ८ आने माहवार हैं । क्या इसके माने है कि क्या जिस घर में एक बच्चा पैदा हुआ उसमे २१ रुपये ८ आने की आमदनी बढ़ गई ? नही ऐसा नहीं हुआ । इसके माने हैं कि गरीब और गरीब होता चला गया और अमीर और अमीर होता

चला गया। इसलिये जो हमारा उद्देश्य था कि हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करेंगे कि जिससे आमदनी में और दौलत में जो अन्तर है वह कम होता चला जाय। लेकिन वह नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। तो इसमें जो लोग इंकम टैक्स देने वाले थे उनके हाथ में ७० करोड़ से कम आमदनी थी जिस पर इंकम टैक्स लगता था, अब ११६ करोड़ ३१ लाख हो गई है। इसके माने हैं कि थोड़े आदमियों के हाथ में यह रुपया आया। इंकम टैक्स देने वालों में पहले के और अब के में अन्तर है और मैं चाहूंगा कि वह भी निकाला जाय तो इसका यह नतीजा निकलेगा कि दौलत कुछ जगहों पर ज्यादा आई।

अब सवाल यह है श्रीमन्, कि यह जो हो रहा है इसका क्या किया जाय? क्या यह "इंकम" जो हमारी बढ़ी है वह एक हिसाब से नहीं बढ़ी?

अब दूसरा सवाल यह था कि "इंडस्ट्रियलाइजेशन" हुआ उसके आंकड़े १९५४-५५ के यह हैं कि अगर उत्तर प्रदेश १९५०-५१ का १०० लिया जाय तो १०२.६ हुआ था। इसके बाद हमने ३ करोड़ बड़े-बड़े कैपिटेलिस्ट को रुपया उधार दिया तो उसका नतीजा यह हुआ कि १९५६-५७ में ११०.३ रह गया और १९५७-५८ में १००.७ रह गया और १९५८-५९ में १००.९ रह गया यानी १०२.६ से बराबर घटता चला गया और बढ़ा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली गवर्नमेंट ने १९६० में अपने आप कारगुजारी को देखने के लिये किताब छपवाई थी, किसी दूसरे को "क्रिटिसाइज" करने के लिये नहीं क्योंकि यह जरूरी है कि जो हम गलतियां करते रहे हैं उनको देखें और उनको दृष्टि में रखते हुए आगे बढ़ सकें। इस ऊंचे आदर्श को लेकर वह किताब छपवाई। इसमें पेज तीन में दिया हुआ है कि ऐग्रीकल्चर में किस तरह से, कामर्स में किस तरह से, ट्रांस्पोर्ट में किस तरह से और सोशल सर्विसेज में किस तरह से घट रहे हैं। उसके बाद एक सवाल पिछली गवर्नमेंट ने रखा। मैं उसको पहले अंग्रेजी में पढ़ दूं—

"There has thus been an all-round decline in the relative position of the State in the national economy".

हम सब तरह से पूरे देश के मुकाबले में कम होते जा रहे हैं।

"The reasons for the situation must be sought in factors which affect all the sectors or the entire economy."

यह सवाल सामने रखा। जब हम कहते चले जा रहे कि "ऐग्रीचल्कर" में हम घट रहे हैं २० प्रतिशत से १७.९ प्रतिशत हो गये, कामर्स और ट्रांसपोर्ट में १५.८ से १४ प्रतिशत हो गये। अदर सर्विसेज में १९.६ से १५.६ प्रतिशत हो गये। तो पूरे देश के मुकाबले में प्रदेश कम होता जाता है, पिछली गवर्नमेंट ने यह एक सवाल सामने रखा। वह पुस्तक इस सदन के सामने भी आयी थी। उस पर बहस हुई। यह सवाल है जिसका जवाब देना है और उस हिसाब से "थर्ड फाइव ईयर प्लान" बनानी है। पहले बजट में यह सब चीज साफ हो जानी चाहिये, क्योंकि इस साल का जब बजट मंजूर हो जायगा तो मैं समझूंगा कि पूरा "थर्ड फाइव ईयर" मंजूर हो गया है। इन सवालों का जवाब हमें इस लिटरेचर में नहीं मिलता है।

हमें २५३ करोड़ रुपया सेकेंड फाइव इयर प्लान में मिला था लेकिन उसमें से सिर्फ २२१-२२२ करोड़ रुपया इस्तेमाल हो सका। ३१-३२ करोड़ रुपया का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सके। जो रुपया इस्तेमाल हुआ उसका क्या हुआ, उसका क्या नतीजा हुआ यह भी देखने की बात है। यह सब सवालात हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिये और इस सदन को गौर करके ही थर्ड फाइव इयर प्लान बनानी चाहिये।

मेरे पास समय कम है इसलिये इशारे में ही कहूंगा। बड़ी इंडस्ट्रीज में जो रुपया दिया, शेअर्स खरीदे, बिजली में रियायत दी, उनका रुपया वसूल नहीं किया, इस तरह के और भी "कंसेशन्स" दिये, उनका क्या असर पड़ा है? क्या इससे "नैशनल वेल्थ" बढ़ी? एम्प्लायमेंट बढ़ा नेशनल वेल्थ तो बढ़ी नहीं। एम्प्लायमेंट बहुत कम हुआ। एम्प्लायमेंट में जो दस,

[श्री मोहनलाल गौतम]

बारह हजार आदमी बढ़े हैं, उसमें कहा नहीं जा सकता है कि बड़ी इंडस्ट्री में बढ़े हैं या छोटी इंडस्ट्री में। यह उससे पता नहीं चलता। लेकिन यह जरूर है कि जिस तरह से अब तक व्यवस्था चल रही है उसको बदलना होगा। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत से लोन्स दिये गये हैं। यह भी देखना होगा कि उसका किस तरह से उपयोग हो रहा है।

ऐग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा "ड्रैस्टिक चेंजेज" करने की जरूरत है। मेरी राय यह है कि यह शार्ट फाल अगर देखा जाय और इसको अगर कम करने की जरूरत हो तो ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है। तो एक चीज यह करनी चाहिये कि जो एक ही आदमी डवलपमेंट कमिश्नर और प्लानिंग सेक्रेटरी है, उसको बदलना चाहिये। उसको दो हिस्सों में बांट देना चाहिये। गवर्नमेंट आफ इंडिया के प्लानिंग डिपार्टमेंट का बड़ा भारी भवन बन गया। उसको यहां कौन रिप्रेजेंट करता है? एक साहब जो पार्ट टाइम हैं। उनके दो तरह के काम हैं जो बिलकुल अलग-अलग तरह के हैं।

एक वह डेवलपमेंट कमिश्नर हैं जिसके ऊपर "ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन" बढ़ाने की सारी जिम्मेदारी है और सारा ऐग्रीचकल्चर डिपार्टमेंट मूव नहीं कर सकता अगर वह मूव न करें। दूसरी तरफ प्लानिंग सेक्रेटरी हैं जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के जितने काम हैं उन सबसे डील करते हैं। अगर "थर्ड फाइव इयर प्लान" बनाने में उन्हें साल डेढ़ साल लग जायं जो कि लगने चाहिये तो उनका 'ऐग्रीकल्चर का सारा कैम्पेन बन्द रहेगा और ऐग्रीकल्चर के काम में वह लग गये तो प्लानिंग का काम नहीं हो सकता है। इसलिये प्लानिंग सेक्रेटरी अलग हो और उसके पास स्टाफ हो, एक एकोनामिक सेक्शन हो जो हमारी एकोनामिक प्रोग्रेस को देखता रहे, हमारे प्रयास किस तरफ जा रहे हैं, कहां-कहां कमी हो रही है, किस तरफ खराबियां हैं, इन सब बातों को वह देखता रहे और उन पर विचार करता रहे। दूसरा काम यह करे कि जिस डिपार्टमेंट में कमी हो उसको देखे। हर महीने या तीसरे महीने गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो दिक्कतें पैदा हो जाती हैं उनको देखे। एक पूरा डिपार्टमेंट इसके लिये होना चाहिये क्योंकि यह एक ऐसी जगह है कि जहां दफ्तर में बैठकर काम करने की जरूरत है, टेबिल वर्क है।

दूसरी तरफ "ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन" का जो काम है वह फील्ड वर्क है, उसमें दफ्तर में बैठने का काम नहीं है, क्योंकि उसमें तो सारी जगह घूम-घूम कर देखना है। आज डेवलपमेंट कमिश्नर के मातहत "ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट" इस तरह से आ गया है कि वह सफोकेटेड फील करता है। इसलिये प्लानिंग सेक्रेटरी अलग हो और डेवलपमेंट कमिश्नर अलग हो। ऐग्रीकल्चर का काम उसके जिम्मे हो जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये फील्ड वर्क करे तब जाकर काम चल सकता है। इससे पहले का २५३ करोड़ का प्लान तो पूरा नहीं हो सका, अब ४९७ करोड़ का पहले से दूना जब हमारा प्लान हो गया है तो वह इस तरह से कैसे पूरा हो सकेगा?

अब क्या हो रहा है कि एकोनामी हो रही है। किसी की जगह कम करो और कहीं बढ़ाओ, कहीं घटाओ। इसमें कोई तुक मुझे समझ में नहीं आयी। एजूकेशन का थर्ड फाइव इयर प्लान ४७ करोड़ के करीब का है। उसके ज्वाइंट डाइरेक्टर को कम कर दिया और कह दिया कि सेविंग हो गई। इस तरह से अगर कहीं करोड़ दो करोड़ रुपया खर्च नहीं हो सका तो मैं यह कहूंगा कि यह बचत कोई बचत नहीं है बल्कि एक गलत बचत है। उसी तरह से दूसरी तरफ "एनीमल हस्बैंड्री" का प्लान ६, ७ करोड़ का है, जिसमें एक ऐडीशनल डाइरेक्टर और बना दिया। तो इस ६, ७ करोड़ के प्लान में तो एक ऐडीशनल डाइरेक्टर और बना दिया और उधर ४७ करोड़ के बजट में ज्वाइंट डाइरेक्टर कम कर दिया। तो यह क्या है? यह कुछ मेरी समझ में नहीं आता। मुमकिन है कि उसका कुछ जवाब मिले। उसका असर यह होता है कि जिस आदमी को आप हटाना चाहते हैं उसकी जगह तो घटा दी और जिस आदमी को रखना चाहते हैं उसके लिये जगह बना दी। अगर ऐसा है तो इससे बड़ा "डिमारलाइजेशन" होगा और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस लांछन से बचे।

बजट फीगर्स जो दी गई हैं वह बहुत ही "मिसलीडिंग" हैं। मैं और मुहकमों की तो नहीं कहूंगा, एनीमल हस्बैंड्री को ही देख लें। वाल्यूम ४ में, १८२ पेज से, शुरू होता है। उसमें सिर्फ ५ परसेंट का शार्टफाल है और मजे की चीजें इसमें दी हुई हैं। उसमें यह है कि जो "पेमेंट इन सेटिस्फैक्शन आफ डिक्रीज आफ कोर्टस" था वह २ हजार था, रिवाइज्ड २ हजार ही रहा और अगले साल भी २ ही हजार होगा। इसमें आगे चलकर स्टाफ तो कम हो गया। १८५ पेज पर है। ११, ११,७०० था बजट ६०-६१ का और रिवाइज्ड एस्टीमेट है ६ लाख ५० हजार। ५५ परसेंट रह गया। लेकिन आनरेरियम, आनरेरिया और एलावेंस जो है वह ५ लाख २० हजार था, ४ लाख ५० हजार हो गया। यानी ८८ परसेंट हो गया। तो ५५ परसेंट तो आदमी एम्प्लाय किया लेकिन आनरेरिया और एलावेंस ८८ परसेन्ट रहा और मजे की बात यह है कि जहां तक कंटिंजेंसी का ताल्लुक है वह और बढ़ गई। इसी बजट में आगे चलकर और बहुत सी चीजें दी हुई हैं। परचेज आफ बुल्स वगैरह पर ३ लाख २५ हजार था, ३ लाख २५ हजार ही रहा। कम ज्यादा नहीं हुआ। इसी तरह से ४५,३०० रुपया था वह भी ४५ हजार ३०० ही रहा। जहां स्टाफ कम हुआ ६७ हजार की जगह ५९ हजार हुआ वहां डिअरनेस और कम्पेन्सेटरी एलावेंस २० हजार की जगह २४ हजार हो गया और कंटिंजेंसी ३५ हजार की जगह ४० हजार हो गई। आदमी कम हुए तो डी० ए० ज्यादा खर्च हो जायगा और कंटिंजेंसी में ज्यादा खर्च हो जायगा। बहरहाल, इसमें इस तरह की बात दी हुई है कि जिससे भ्रम फैलता है और इस तरह की गलत फीगर्स देने से अच्छा है कि फीगर्स न दी जायं।

एनीमल हस्बैंड्री के बजट में पता चलता है कि सिर्फ ५ परसेंट का शार्टफाल होगा। मेरा अन्दाजा यह है कि फरवरी तक एनीमल हस्बैंड्री में ७० फीसदी से कम खर्च हुआ था और फिशरीज में ३० फीसदी से कम हुआ था। अब मार्च तक वह सब खर्च हो जायगा और केवल ५ परसेंट का शार्टफाल रह जायगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। हो सकता है कि मार्च तक सब खर्च हो जाय, लेकिन इसको देखने की जरूरत है।

मछली के बारे में मेरे पुराने मित्र, माननीय झारखंडे राय जी ने एक बात कही। बात यह है कि जो लोग मछली खाते नहीं उनको उससे कुछ चिढ़ है। मैं समझता हूं कि मछली बहुत जरूरी है और जितनी ज्यादा मछली यहां पैदा की जायगी उतना ही हमारा फूड प्राबलम साल्व होगा। एक तालाब से जहां ५, ६ हजार की आमदनी गवर्नमेंट को होती थी मथुरा में वहां आज पौने दो लाख की आमदनी हो रही है। तो मेरी अपनी राय यह है कि छोटे तालाब न लिये जायं बल्कि माताटीला और रिहन्द जैसे बड़े तालाबों को लिया जाय। उनमें मछलियों की काफी पैदावार हो सकती है।

अब हुजूरवाला, जो थर्ड फाइव इयर प्लान के ध्येय दिये हुए हैं उसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि उनमें होगा क्या? इसमें यह दिया हुआ है कि ५ परसेंट राष्ट्रीय आमदनी बढ़ेगी लेकिन यह नहीं दिया है कि वह कैसे बढ़ेगी?

इसके अलावा अन्त में एक बात यह कहूंगा कि मैन पावर का, बेरोजगारी का जिक्र हमारे मित्र माननीय झारखंडे राय जी ने किया। मेरा अपना खयाल यह है कि सेकिंड फाइव ईयर प्लान के शुरू में ९ लाख आदमी बेकार थे, जो अन्डर इम्प्लायड थे उनको छोड़ कर। सेकिंड प्लान में आबादी बढ़ी और उस हिसाब से १८ लाख आदमी उस लेबर फोर्स में और आ गये, काम करने के लिये और तैयार हो गये। हमने इम्प्लायमेंट दिया केवल ५ लाख को। १८ लाख के लिये प्लान किया गया था, ९ लाख पहले ही बेकार थे। तो २७ लाख आदमी बेरोजगार थे और उनमें से कुल ५ लाख को रोजगार मिला और इस तरह से २२ लाख अब भी बेकार हैं। तो यह २२ लाख तो प्लान के शुरू में ही बेकार हैं, और बीच में कुछ बेकार और बढ़ेंगे, तो कैसे उन सब का इंतजाम होगा। हम २३ लाख का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी २० लाख आदमी बेकार रहेंगे। उनके लिये क्या किया जायगा इसका कोई ढांचा इस प्लान में, बजट में नहीं दिखाई देता।

[श्री मोहनलाल गौतम]

इकोनामिक पावर की एक बड़ी भारी बात कही गयी है। कहा गया है कि वह घटती चली जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि कुछ थोड़े हाथों में ही बढ़ती चली जा रही है और यह प्रजातन्त्र के लिये बड़ी खतरनाक बात है। मुझे माफ करेंगे मेरे दोस्त यह कहने के लिये, कि अगर यह पावर किसी के हाथ में रही तो इसका इस्तेमाल भी वही करेगा। वह किसके लिये करेगा? उन्हीं के लिये जो उसकी रक्षा कर सकते हैं। अखबार उसको आगे बढ़ायेगा जो उसकी रक्षा कर सकेगा। पूंजीपतियों को खत्म करके वह अखबार नहीं चला सकेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---बहुत दिन बाद आपने सही बात कही।

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने बहुत पहले भी कहा था, लेकिन सुना नहीं होगा। मैंने कोई नयी बात आज नहीं कही। ये बातें मैं पहले कहता रहा हूं और कैबिनेट में भी कहता रहा हूं। कोई नयी चीज मैंने नहीं कही है आज, जिसे मैंने पहले न कहा हो। तो आज जो हम "इक्वैलिटीज" कर रहे हैं, इसको कैसे दूर किया जाय, यह प्रश्न हमारे सामने है। हरिजनों पर जो खर्चा हो रहा है वह भी कम होता जा रहा है। स्कालर्शिप भी नहीं मिल पा रही है। तो जो भी हमारे सामने "सोशयल इन्ईक्वालिटीज" हैं, इनको हम किस प्रकार कम कर सकते हैं, यह प्रश्न हमारे सामने होना चाहिये और इसका उत्तर इसमें होना चाहिये था। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री अपने भाषण में इसका उत्तर देंगे।

श्रीमन्, नयी गवर्नमेंट जब आई तो उसने बहुत अच्छी शुरूआत की, मैं इसके लिये उसको बधाई देता हूं। उसने जोश के साथ शुरूआत की, लेकिन मेरी राय में उसको जितने संयम की आवश्यकता थी, वह नहीं रह पाया। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बार कहा कि जितनी भी "डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट" थी वह सब समाप्त कर दी गयी। उसका कोई कन्ट्राडिक्शन भी नहीं हुआ। मैं भी एक सजायाफ्ता लोगों में से हूं। मुझे भी २५ हजार रुपये की डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट मिली थी, परन्तु मैंने उसमें से केवल १ हजार रुपया ही खर्च किया और वह किस लिये, यह भी मैं बताना चाहता हूं। मैंने वाइस चान्सलर एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी से कहा कि सीलिंग के बाद किसानों के बच्चे ऊंची शिक्षा नहीं पा सकेंगे और जो लोग भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर होंगे वे बड़े-बड़े आदमियों के बच्चे ही होंगे और गांवों की नुमाइन्दगी नहीं कर सकेंगे। गरीब आदमी के बच्चे ऊंची शिक्षा न पाने के कारण ऊंची नौकरी में नहीं आयेंगे। तो यह प्रश्न उठा कि उनकी शिक्षा के लिये क्या प्रबन्ध किया जाय। एक तरफ तो ऊंची-ऊंची नौकरी पाने वाले दूसरे लोग होंगे जो किसानों के बच्चे नहीं होंगे, और दूसरी ओर यहां हाउस में जो लोग आयेंगे वे किसानों के नुमाइन्दे होंगे, तो एक कन्ट्राडिक्शन सा पैदा हो जायेगा। यहां तो प्रतिनिधित्व किसानों का होगा जो किसानों की मदद के लिये अपना इलेक्शन मैनीफेस्टो तैयार करेंगे, किसानों की विचारधारा और उनकी उमंगों को लेकर हम लोग यहां आयेंगे, और सरकार किसानों की होगी, मगर दूसरी ओर सर्विसेज में लोग वे होंगे जो किसानों के नुमाइंदे नहीं होंगे। तो सवाल यह उठा कि किसानों के बच्चों को ऊंची शिक्षा कैसे दी जाय। इसके लिये मैंने वाइस चांसलर से कहा कि तुम एक फंड इकट्ठा करो ताकि गरीब आदमियों के बच्चे भी ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकें और इसके लिये मैंने अपनी डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट में से भी एक हजार रुपया दिया। जब मैंने मिनिस्टरी छोड़ी तो उस समय मैंने २४ हजार रुपया छोड़ा था। मुझे सजा यह दी गई कि सब डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट खत्म कर दी। मैं समझता था कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ भाषण होंगे ताकि जो कुसूरवार नहीं हैं उनको कम से कम इसका दुख न हो।

बहुत सी जगहों में तोड़मरोड़ की गई है, मैं इसे भी अच्छा नहीं समझता। कुछ आफिसरों को कम करना इतना जरूरी नहीं है जितना कि जो रुपया हमारे पास प्लान के लिये है ३२ करोड़ जो खर्च भी नहीं हुआ है, उसको खर्च करने की जरूरत है। जो रुपया प्लान के लिये हमारे पास है, आज उसको पूरा खर्च करने की जरूरत है। अगर हम उस रुपये को खर्च कर सकेंगे तो उससे हमारे राज्य को फायदा होगा, आफिसरों की जगहों को कम करके कोई फायदा नहीं होगा।

ट्रैवेलिंग एलाउन्स को कम करने से भी कोई फायदा न होगा, क्योंकि जो कर्मचारी सेकिंड क्लास में रात को जागता हुआ सफर करेगा, वह दूसरे दिन अपना कार्य नहीं कर पायेगा। इस एकोनामी से कोई विशेष फायदा नहीं होगा, वैसे इसका रिजल्ट देख कर ही कुछ कहा जा सकेगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां आ गये हैं, उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद दे ही चुका हूं।

(लाल बत्ती जलने पर।)

मुझे दो तीन मिनट और दे दें।

तो मैं यह कहना चाहता था कि छोटी कारें कर दी गयीं, छोटे बंगले कर दिये गये, यह अच्छी बात हुई, मगर कुछ इस सम्बन्ध में अखबारों में क्रिटिसिज्म भी हुआ उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले माननीय मुख्य मंत्री के पास जितनी जगह थी, आज के मुख्य मंत्री के पास उससे ज्यादा कमरे हैं, उससे ज्यादा जगह है, क्योंकि उनके पास दो मकान हैं। पहले के मुख्य मंत्री के पास दो टेलीफोन थे, जब कि आज के मुख्य मंत्री के पास ४ टेलीफोन हैं। अब मुश्किल यह होती है कि कोई आदमी रिक्शा करके मिलने के लिये एक जगह जाता है, फिर दूसरी और तीसरी जगह जाता है। पैसा और समय खराब होता है। यह इकोनामी जनता की कास्ट पर है। ४ बार टेलीफोन किया, ४ जगह, तो कितने १५ नये पैसे राज्य के बाहर—केन्द्रीय सरकार के पास—चूंकि टेलीफोन उनका है—चले गये? फिर, होली खेलने के लिये पुराने चीफ मिनिस्टर का मकान रखा जाय। यानी, ३ मकानों की जरूरत हुई उनको अपना कर्तव्य-पालन करने के लिये। पुराने चीफ मिनिस्टर बेचारे एक ही मकान में काम चला लेते थे।

इन सब बातों को देखते हुए मेरी राय यह है कि देश को बनाने के लिये, प्लान को पूरा करने के लिये मजबूत कैरेक्टर की जरूरत है। जब तक इंसान नहीं बनेगा, देश नहीं बन सकता है। अच्छा इंसान देश को बनावेगा, अच्छा देश इंसान को बनावेगा। इसलिये अच्छा इंसान ही इस प्लान को पूरा कर सकता है। कमजोर इंसान नहीं कर सकता।

आज की राजनीति में "टूट गया" शब्द से मुझे बड़ी घृणा है। क्या टूटे हुए लोगों से या एम० एल० एज० और मिनिस्टरों से देश बनेगा? नहीं। इसलिये सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो ७॥ करोड़ इंसानों की सत्ता अपने हाथ में लिये हुए हैं उनमें यह दम होना चाहिये कि जनता में यह कह सकें कि खबरदार, तुमने रिश्वत क्यों ली? इसलिये सबसे बड़ी जरूरत है मजबूत कैरेक्टर की। अगर कैरेक्टर नहीं है तो जनता के पैसे पर ये फजूल खर्चियां बन्द होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

***श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस १,५४,१२,५१,८०० रुपये के बजट पर जो सरकार ने घाटे के साथ रखा है, आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया।

पहले तो मैं सरकार को कुछ विभागों की तरक्की पर बधाई देना चाहता हूं। ये विभाग हैं, कत्ल व गोलीकान्ड, दूसरा डकैती, तीसरा है चोरी, चौथा राहजनी, ५वां गुंडागर्दी, और हैं रिश्वतखोरी और वेश्या विभाग जो कि आज बड़े-बड़े महलों में हजारों की तादाद में रौहटी लगा कर देश में प्रचार करती हैं। गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ी है, और अमीरी भी बढ़ी है, इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। बेरोजगारी बढ़ी है और देश में कोलाहल मचा हुआ है। हमारे देश में २५ फीसदी लोग इस समय बीमार हैं, क्योंकि अस्पतालों में पानी के सिवाय और चीज नहीं मिलती है। नशाखोरी का विभाग इतनी तरक्की पर है जिसे मैं नहीं कह सकता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामदीन]

लखनऊ खास में इतनी तरक्की है कि पता नहीं भगवान ने अमृत समझ कर इसे बन्द नहीं किया और मैनपुरी जैसे शहर में, जहां नहीं मालूम कि लोग भलेमानुष समझे गये या क्या समझे गये, वहां बन्द कर दिया गया है। इसके लिये भी सरकार को बधाई देता हूं। भ्रष्टाचार विभाग इतने जोर से बढ़ रहा है कि सरकार में ५२ करोड़ रुपये का गबन चल रहा है, इसके लिये भी मैं बधाई देता हूं चूंकि इसकी जिम्मेदारी मंत्रियों पर है। जात-पात और उठन-बैठन का विभाग भी तरक्की करता जा रहा है उसके लिये भी मैं सरकार को बधाई देता हूं।

बधाइयां देने के बाद मैं सरकार की नीतियों का विरोध करता हूं। यह बजट जनहित के बिल्कुल खिलाफ है। इसमें गरीब किसान की उन्नति के साधन जुटाने के लिये नहीं सोचा गया है। निम्न कर्मचारियों के लिये, जैसे कांस्टेबिल, चौकीदार, चपरासी और छोटे-छोटे क्लर्क हैं, इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं रखी गई जिससे उन्हें भरपेट खाना और तन ढकने को कपड़ा मिल सके। माननीय राज्यपाल के भाषण में या बजट में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को रोकने के लिये और गरीबी को रोकने के लिये कुछ नहीं कहा गया, इसलिये मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं। देश में गुंडागर्दी इतनी बढ़ती जा रही है जिससे भलमनसाहत खतरे में पड़ गई है। श्रीमन्, प्रदेश में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी गरीब जनता की बात अच्छी तरह से नहीं सुनते और न उन्हें न्याय ही मिलता है, इसके लिये भी मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं।

इस प्रदेश में जातिवाद बहुत बढ़ रहा है। देहातों में कोई दिन नहीं जायगा कि थाने में शिकायत न आई हो कि उन्हें पीटा या घसीटा गया। यह बात जोर पकड़ती जा रही है और सरकार ने इसके लिये कोई कदम नहीं उठाया है। इसके लिये भी मैं, श्रीमन्, इस बजट का घोर विरोध करता हूं। प्रदेश में जो धन बजट में रखा जाता है या पहले बजटों में रखा गया है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि वह किसी भी नवनिर्माण के कार्य में नहीं लगाया जाता है। वह सीधे-सीधे जेबों में जाता है। इसलिये भी मैं इस बजट का जो सरकार ने पेश किया है और जिसे वह पास कराना चाहती है, उसका घोर विरोध करता हूं। इस बजट से गरीबों को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं दिखाई देता है। जो ५२ करोड़ रुपये का घाटा बताया गया है, उसकी भी जिम्मेवार यह सरकार है।

श्रीमन्, ऐसे ही बहुत से विभाग हैं जिनको ठीक नहीं किया गया है।

इसके बाद श्रीमन्, मैं किसानों के बारे में कहना चाहता हूं जिनको आज तक कोई भी ऐसे साधन नहीं दिये गये जिससे वे अच्छी तरह से खा पी सकें और इनमें ज्यादातर हरिजन और बैकवर्ड मिलेंगे। उनके लिये शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिये। प्राइमरी शिक्षा से लेकर ऊंची से ऊंची शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिये। उनको वजीफे भी दिये जायं। इसके अतिरिक्त हरिजनों के लिये जो १८ प्रतिशत सीटें रखी गयीं हैं उनकी पूर्ति की जानी चाहिये। इसको भी सरकार ने पूरा नहीं किया है। मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार अपने वचन को पूरा करने के लिये ठोस कदम उठाये, नहीं तो यह सरकार इस कार्य के योग्य नहीं है, ऐसा समझा जायगा।

अगर हरिजनों को आप ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उनको काश्त के योग्य भूमि दीजिये जिससे वे अपना पेट पालन कर सकें। आज जो उनके उत्थान के लिये थोड़ा थोड़ा रुपया दिया जाता है वह इस तरह से दिया जाता है कि जैसे भिखमंगों को भीख डाली जाती है। गरीबी को समाप्त करने के लिये इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।

अभी थोड़े दिनों पहले जो वर्षा हुई थी उसमें सरकार ने कुछ दान दिया है। जरा उस दान देने के तरीके को देखिये। फर्रुखाबाद में १५० हजार एकड़ जमीन में क्षति हुई और ६ लाख ४० हजार रुपया दिया गया इटावा में १७२ हजार एकड़ जमीन में क्षति हुई तो

८६० हजार रुपया दिया गया, कानपुर में १३२ हजार एकड़ जमीन में क्षति हुई तो ३६ हजार रुपया दिया गया, सहारनपुर में ७६ हजार एकड़ जमीन में क्षति हुई तो ५२० हजार रुपया दिया गया और मैनपुरी में २५८ हजार एकड़ जमीन में क्षति हुई, ३४,५९९ मकान गिर गये, ३३ व्यक्ति मर गये, ४६८ पशु मर गये और दान दिया गया ३६३ हजार रुपया । यह ईमानदारी इस सरकार की है । मैं कहूंगा कि ऐसी ईमानदारी को आप ताक में रख दीजिये, जरा भलमनसाहत से काम कीजिये, ठीक से न्याय कीजिये ।

श्रीमन्, राज्य करने का कोई तरीका होता है, बहुत ही त्याग तपस्या से यह जगह मिलती है । विद्यार्थी और किसान त्याग करते हैं, उन्हीं में से आप हैं । रावण की हालत तो आपने देखी होगी कि उसने किस प्रकार से राज्य प्राप्त किया और किस प्रकार से उसका राज्य समाप्त हुआ । सन् ६२ में, अगर आपने ठीक काम नहीं किया तो यही हालत आपकी होने वाली है ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप गरीबों की तरफ ध्यान दें । आप अमीरों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर इन कुर्सियों पर फिर से आना चाहते हैं तो गरीबों की तरफ ध्यान दीजिये । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं क्योंकि यह गरीबों के लिये और जनहित में नहीं बनाया गया है ।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे इस बजट पर बोलने का समय दिया है, उसके लिये मैं आपकी बहुत ही आभारी हूं । आज ५ दिन से मैं इस बजट पर इधर और उधर के माननीय सदस्यों के भाषण सुन रही हूं । मान्यवर, बजट में कुछ अच्छाइयां भी आयी हैं । मैं यह नहीं कहती कि इसमें कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन खासकर आज देहातों में जैसी मुसीबत और परेशानी है उसे शायद शहर के रहने वाले और जो यहां की कुर्सी में हैं, वे भी देख आये हैं । मान्यवर, किसानों की क्या दुर्दशा है, उसके संबंध में इस सदन में मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूं । वहां पर न कोई सींक का इन्तजाम है, न बीज का इन्तजाम है और न खेत की बंधियों वगैरह के लिये कोई इन्तजाम है । किसानों, मजदूरों और हरिजनों की तरक्की की तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है । मान्यवर, अब वह समय आ गया है जब कि सभी लोग अपने हित और अहित को समझने लगे हैं । इसलिये जो भी सरकार इस कुर्सी पर आसीन हो, उसको चाहिये कि वह देहातों की तरफ ध्यान दे ।

आज किसान, मजदूर तथा हरिजन भाई बड़े दुखी हैं । उनके पास पहनने के लिये एक धोती के सिवा दूसरी धोती तक नहीं है, इसी से आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत है ? जब मैं उनसे सफाई से रहने के लिये कहती हूं तो वे रोने लगती हैं और कहती हैं कि बहन जी, हमारे पास एक ही धोती है, ऐसी हालत में हम किस तरह से सफाई रखें । इसलिये सरकार को ज्यादातर देहातों की तरफ ही देखना चाहिये, तभी भलाई हो सकती है । मैं सोचती हूं कि क्या हमारी सरकार यह नहीं सोचती होगी कि हमारे देहातों की ऐसी दुर्दशा है जिसमें सुधार करना चाहिए ? खास कर जैसा कि हमीरपुर और पूर्वी जिलों तथा पहाड़ी जिलों के लिये पार साल के बजट में आया था कि यहां पर सुधार किया जायगा, लेकिन वहां कोई सुधार नहीं किया गया । आज तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया ।

मान्यवर, आपके द्वारा मैं स्त्री-समाज के लिये कुछ कहना चाहती हूं । इस सरकार को आये हुए दस साल से अधिक ही हो गये, लेकिन आज तक कोई भी योजना स्त्री-समाज के लिये नहीं बनी जिस स्त्री-समाज से ही हमारे देश और समाज का भला होना है । जब तक स्त्री-समाज का सुधार नहीं होगा तब तक देश में कोई भी भलाई आने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हीं की सन्तानों से हमारे देश का भला होना है, लेकिन आज हमारे स्त्री-समाज की दशा क्या है ? मान्यवर, मुझे उनकी दुर्दशा देख कर दुख और कष्ट होता है, इसलिये मैं सरकार से क्या आशा रखूं ? जैसा कि मैंने बजट में देखा है सरकार हमीरपुर जिले में कुछ स्कूल

[श्री मती राजेन्द्रकुमारी]

खोलने जा रही है, लेकिन मान्यवर, उसी जिले के सुमेरपुर, कबरई, मौदहा में लड़कियों के लिये भी १० तक कम से कम स्कूल खोले जाने चाहिये, तभी वहां कुछ शिक्षा का प्रचार हो सकता है ।

मान्यवर, आपके द्वारा मैं इस चीज को भी साफ साफ कह देना चाहती हूं कि आज हमारे देश की हालत क्या है । जब तक हमारे भाई बहनें चरित्रवान नहीं बनेंगी तक तब देश का भला नहीं होने वाला है । इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार के ऊपर नहीं, है बल्कि इसकी जिम्मेदारी तो हर व्यक्ति तथा सदन के हर सदस्य की है कि वह इसकी तरफ ध्यान दे । यदि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तथा देश का उद्धार करना है तो यह तभी हो सकता है जब कि हम अपने बच्चों तथा बच्चियों को सही शिक्षा देकर आगे बढ़ने में उनको प्रयत्नशील बनावें । आज हम देखते हैं कि स्कूल से निकलने के बाद हमारी लड़कियों पर कितनी मुसीबत आती है । देश का सुधार तभी हो सकता है जब कि हमारे यहां की बच्चियां योग्य बनेंगी । कोई भी सरकार हो उसकी यह जिम्मेदारी है और उसका यह कर्त्तव्य है कि वह अपने यहां की जनता के सुख सुविधा का ध्यान रखे । मान्यवर, जब से नयी सरकार आयी है तब से हमीरपुर जिले में कोई भी काम नहीं हो रहा है और वहां के लोगों को धमकी दी जाती है कि नयी सरकार वहां की जनता को पीस देगी । मान्यवर, यह भी कोई बात है ?

सरकार उसी जनता के बल पर आई है और उसी जनता के बल पर सरकार बनी बैठी है । यह तरीका नही है कि जनता की परवाह ही न की जाय ।

आज हमारे यहां हमीरपुर जिले में रोज डकैतियां पड़ रही हैं, कितनी चोरियां बढ़ रही हैं । क्या मैं सरकार से आप के द्वारा यह कहूं कि क्या वह वहां के सुधार के लिये कुछ करेंगे ? यही कहने के लिये खड़ी हुई थी कि जब तक हमारे यहां स्त्री समाज का सुधार न होगा, यहां की लड़की और स्त्रियां विदुषी और चरित्रवती न होंगी तब तक हमारे समाज का सुधार होने वाला नहीं है । मैं आशा करती हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर सरकार ध्यान देगी और केवल हमीरपुर में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के हर जिले में जो आज हाहाकार मची हुई है और जो लोगों को परेशानी है उसको सरकार दिलचस्पी के साथ और हमदर्दी के साथ सुनेगी और दूर करने की कोशिश करेगी । कारण इसका यह है कि सरकार सबकी है और उसको तो अच्छे बुरे सभी को देखना है उसके लिये कोई गैर नहीं है, उसे तो सब पर कृपा करनी चाहिये । शायद सरकार ऐसा न करे लेकिन फिर भी कुछ लोग सरकार के समर्थक ऐसे हैं जो ऐसी अफवाहें जिलों में फैलाते हैं ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह जो मौजूदा बजट पेश हुआ है उस पर अपने खयालात का इजहार करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सब से पहले मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बजट है क्या ? बजट हमारे गुजिश्ता कारनामों का एक इतिहास, मौजूदा तखमीनों, इरादों और स्कीमों की एक शहादत और हमारे मुस्तकबिल के कामों का एक आईना है । अगर यह सब चीजें उसमें साफ, निखरी दिखाई पड़ें तो वह एक अच्छा और कामयाब बजट कहा जा सकता है और न उस पर किसी तरह की आलोचना ही हो सकती है । इसी नुक्तेनिगाह को पेशेनजर रख कर मैं अपने चन्द खयालात का इजहार इस बजट के मुताल्लिक करना चाहता हूं । जो बहस मुबाहिसा इस बजट पर पिछले ५ दिन से हुआ उसके सिलसिले में मैंने अपने लायक दोस्तों की तकरीरों को बड़े गौर से सुना जिन्होंने कि बड़ी मेहनत और काबिलियत के साथ बजट के मुताल्लिक अपने खयालात का इजहार करने की कोशिश की, लेकिन मुझे जरा अफसोस मालूम हुआ कि हमारी बजट की बहस का एक तरीका हो गया है और हम अपना फर्ज समझने लगे हैं कि बजट पर कुछ न कुछ जरूर कहा जाय, लेकिन वह किस हद तक सही है और

किस हद तक गलत है, इसका फैसला हम अपने दलायल से नहीं कर पाते। हम इसका फैसला भी नहीं कर पाते कि हमारे यहां का माहौल और हालात योरोप के माहौल और हालात से और वहां की परम्पराओं से कितने मुख्तलिफ हैं लेकिन हम वहीं की दलील और शहादत में कोटेशन पेश करने की कोशिश करते हैं।

हमारे मुल्क के हालात योरोप के उन मुल्कों से बिल्कुल अलग हैं, अगर हम वहां की परम्पराओं और रविश को अख्तयार करेंगे तो हमारा भला नहीं होने वाला है। इधर के और उधर के बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्य या ज्यादातर मेम्बरान ऐसे हैं कि जिन्होंने आजादी की जंग में हिस्सा लिया है और अपनी जानें तक कुरबान की हैं। जो लोग वाकई में कुरबानी पेश करते हैं वही सही तरीके से उसकी कीमत को समझते हैं और वह उस आजादी की अहमियत व कद्र समझते हैं। जिस बेटे को विरासत में या तर्के में कोई चीज मिलती है उसकी निगाह में उस चीज की उतनी कद्र नहीं होती जितनी कि खुद कमाने वाले या उसको मेहनत से हासिल करने वाले उसके बाप को होती है।

आज हम इस मुल्क में जिस तरह की रवायात और परम्परायें डालेंगे उन्हीं के नक्शे-कदम पर हमारी आने वाली नस्लें अमल करेंगी और उन्हें मिसाल के तौर पर पेश करेंगी कि हमारे उन बुजुर्गों का तर्जेअमल यह था और हमें भी उन्हीं कदमों पर चलना चाहिये। इस-लिये अगर इस खयाल को मद्देनजर रखकर हम अपने बजट के बहस मुबाहिसे को पेश करें तो अच्छा हो। जब हम यहां पर बजट की तकरीरें सुनते हैं तो, मुझे माफ फरमायें, ऐसे मौके पर हम यहां कोई सयासी मामलात पर गौर नहीं करते, इस वक्त कोई सयासी नौटंकी का खेल यहां नहीं होता बल्कि यहां पर सूबे के इखराजात और आमदनी के हिसाब पर हमें अपनी राय देनी होती है। लेकिन उसमें कुछ दलील भी होनी चाहिये, बजट की आलोचना करना, खामियां निकालना आसान काम है, मुश्किल नहीं है, एक अदना सा आदमी आलोचना कर सकता है मजम्मत कर सकता है मुखालिफत कर सकता है, बुराइयां निकाल सकता है, खराबी ढूंढ़ सकता है, यह कोई अहम काम नहीं है। लेकिन बुराइयां निकालने के साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि इसकी बदल में हम क्या सुझाव देते हैं। कौन-सा तरीका अमल के लायक हो सकता है, अगर हम यह सुझाव दें तो वह ज्यादा मुफीद होगा देश के लिये और प्रदेश के लिये। लेकिन हम बदल में कुछ नहीं पेश करते हैं सिर्फ आलोचना ही करते हैं। तो यह काम बुरा है और यह ऐसा निकम्मा काम है जिससे देश और प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं है।

श्रीमन्, मैं जानता हूं कि अगर कल को यह सरकार न रहे तो जो अपोजीशन का लीडर है वह सरकार बनाएगा। तो उसके लिये तैयारी भी होनी चाहिए, उसके लिये तमाम मसाला होना चाहिए जिसको हाथ में लेकर वह गवर्नमेंट चला सकें। लेकिन माननीय सदस्य जो मुखालिफत बैंचों के हैं उन्होंने आलोचना तो बड़े जोरों की की और आंकड़े भी पेश किये लेकिन यह नहीं पेश किया कि हमारा यह सुझाव है, इसकी बदल में यह काम होता तो प्रदेश का फायदा होता और जो रुपया खर्च हो रहा है उसका हमें फायदा पहुंचता। यह किसी भी मोअ-ज्जिज मेम्बर ने बतलाने की कोशिश नहीं की। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि हमें इस तामीरी नुक्तेनजर से, इस कांस्ट्रेक्टिव प्वाइंट आफ व्यू से, इस रचनात्मक दृष्टि से गौर करते हुए बात कहनी चाहिए, महज खामिया निकालने के लिये ही बहस नहीं करनी चाहिए।

किसी मुल्क में जीने के लिये और दिमागी काम करने के लिये दो चीजों की बड़ी आव-श्यकता होती है। पेट भरके खाना खाने की और फिर इल्म की। खाना, मकान, कपड़ा और इल्म---ये चार चीजें जरूरी कही जाती थीं। इल्म का दर्जा बाद में आता था लेकिन इस तरक्की के दौर में दो चीजें छोड़ी भी जा सकती हैं, कपड़ा और मकान के बगैर भी गुजारा हो सकता लेकिन कोई भी काम बगैर इल्म के नहीं हो सकता और जब तक पेट में भूख है तब तक इल्म हासिल करने में तबियत नहीं लग सकती। अगर हम यह महसूस करते हैं कि बाहर से गल्ला हासिल करने में दिक्कत होती है, देश की बदनामी होती है तो हमें गल्ले की पैदावार बढ़ानी

[श्री अहमद बख्श]

होगी। हमें यह देखना होगा कि हम क्या काम करें जिससे कि तमाम कमियों को पूरा किया जा सके। इस बारे में मैं यह गुजारिश करूंगा कि अक्सर यह देखा गया है कि ट्यूबवेल्स का जहां तक ताल्लुक है, कुछ ऐसे ट्यूबवेल्स हैं जिन पर रुपया बेकार जाता है, उनका सही इस्तेमाल नहीं होता। हमें यह देखना पड़ेगा कि वहां हम मैसनरी वेल्स बनाएं या ट्यूबवेल्स बनाएं। जहां ट्यूबवेल से ज्यादा काम निकलता है वहां ट्यूबवेल होने चाहिए, इससे खेती के काम में आसानी होगी और पैदावार बढ़ेगी।

इसी तरह बिजली का मामला है। जब काश्तकार कुआं चलाता है तो २४ घंटे के बजाय---मुजफ्फरनगर की बात मैं कह सकता हूं---८ घंटे का औसत है ट्यूबवेल को बिजली मिलने का। जो काश्तकार रात की नींद और दिन का आराम छोड़ कर खेत में काम करता है उसके साथ यह दिक्कत है। मुजफ्फरनगर का जिला वह है जो आबादी के हिसाब से छोटा होगा लेकिन रेवेन्यू के ऐतबार से आगे है। एग्रीकल्चर की तरक्की के मामले में, तालीम के मामले में, किसी जिले से, छोड़ दो एक को, पीछे नहीं है। जब मेरे जिले के काश्तकारों का यह हाल है तो और जिलों में, खासकर पूर्वी जिलों में क्या हाल होगा, यह हम अन्दाज लगा सकते हैं।

आमदनी का बड़ा शोर मचाया जाता है, बड़ा ढिंढोरा पीटना, ज्यादा बातें कहना और ऐसी मिसालें पेश करना ताकि बोलने वाला यह समझे कि हजारों आदमी इस बात को कह रहे हैं इसलिये इस बात में हकीकत होगी। इसलिये बाज आदमी जो बोलना भी चाहे वह खामोश हो जाता है। मैं यूरोपियन कन्ट्रीज के आंकड़े न देकर मामूली बातें सदन के जेरे गौर रखता हूं क्योंकि मैं देहात को रिप्रेजेन्ट करता हूं उसी देहाती जबान में एक स्टेन्डर्ड, मापदन्ड पेश करना चाहता हूं। उसी हिसाब से जांच की जाय। अगर उसमें कमी हुई है तो यकीनन हमारी कौमी आमदनी रूहानी जिन्दगी में तरक्की हुई है और अगर उनमें ज्यादतियां हुई हैं तो चाहे हमने कितनी ही तरक्की की हो, औसतन ही सही, लेकिन इखलाक्न हमारी तरक्की गिरी है।

मसलन हमें यह देखना है कि खुद कशी करने वालों की तादाद आया पिछले सालों में बढ़ी है या घटी है? मेन्टल बरीज, भुखमरी और परेशानियों की वजह से होती हैं, वे बढ़ी हैं, या घटी हैं, पागल होने की तादाद घटी है या बढ़ी है? भीख मांगने वालों की, खानाबदोशों की तादाद, जरायम पेशा करने वालों की तादाद, बुरे ऐमालों में फंसने वालों की तादाद, बढ़ी है या घटी है? अगर घटी है तो यकीनन हमारा कौमी इखलाक बढ़ा है, कौमी आमदनी बढ़ी और अगर इनमें इजाफा हुआ है तो इन तमाम चीजों के बावजूद भी हम गिरावट की तरफ जा रहे हैं। यह आंकड़े वह हैं जिनपर बहस की जरूरत नहीं है, दलायल और शहादत की जरूरत नहीं। अगर रोजमर्रा की जिन्दगी और साधारण मामलों में सहूलियतें मिली हैं, सरकार के द्वारा दी गई फैसिलीटीज को ज्यादा से ज्यादा अवाम हासिल कर रहा है तो यकीनन हमने तरक्की की है। इन तमाम चीजों से हम जांच सकते हैं।

इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि हमने वे तमाम चीजें अख्तियार कीं, तमाम शोर मचाया, कोशिशें कीं कि कौमी आमदनी बढ़ जाय। लकिन हम भूल जाते हैं कि जब कौमी मेयार बढ़ायेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम हैं, पीछे हैं उन्हें अगर तसल्ली नहीं होगी तो वह भी नकल करेंगे और किसी तरह से, चाहे बुरे काम ही क्यों न करने पड़ें, उस मेयार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, हर नाजायज तरीका अपनायेंगे, इससे जाहिर है कि करप्शन फैलेगा। कौमी तरक्की और जिन्दगी का मेयार महज मेटीरियलिज्म से ही नहीं बढ़ता, स्प्रिचुअल तरक्की भी होनी चाहिये। जो मुल्क रूहानी और इखलाकी तौर पर तरक्की नहीं करता वह पैसे का भी सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिये मैटीरियल प्रौसपैरिटी के साथ-साथ इखलाकी तरक्की भी होनी चाहिये ताकि भले और बुरे में फर्क कर सकें। ये सब बातें हम लोगों को सोचनी चाहिये। जो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, उन सब को सोचनी

चाहिये और कौम का इखलाक उसकी रूहानियत को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये, तभी सही माने में कौम की आमदनी और तरक्की बढ़ी हुई मानी जा सकती है। इस काम में सरकारी मदद की जरूरत नहीं है। हर नागरिक और सियासी जिन्दगी बसर करने वाले इन्सान का फर्ज है कि लोगों के इखलाक को आगे बढ़ाये।

आजादी हासिल करने में न पैसे ने साथ दिया, और न हथियार ने दिया बल्कि गांधी जी ने जहनी तब्दीली की थी। उन्होंने बताया कि अगर जहनी तब्दीली हो गई तो हम अंग्रेजों को जरूर निकाल देंगे और हुआ भी ऐसा ही। जब जहनी तब्दीली हो जायगी तो बड़ी से बड़ी तोप और ताकत भी हमको नहीं रोक सकती और हम अपने लक्ष्य को पहुंच कर रहेंगे। इसी जहनी तबदीली से हमने अंग्रेजी को निकाल दिया और हम खालिस हिन्दुस्तानी आज देश में हुकूमत कायम किये हुए हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द मिनट और चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—अभी ढाई मिनट और हैं।

श्री अहमद बख्श—कुछ ज्यादा वक्त दे दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष—मजबूरी है, आज वक्त नहीं है।

श्री अहमद बख्श—इसके अलावा एक तवज्जह सरकार को दिलाना चाहूंगा कि जो हमारे विभाग हैं उनमें कितना कोआर्डिनेशन है। डिस्ट्रिक्ट लेविल पर हरिजन आफिसर, इन्डस्ट्री–आफिसर और इंफार्मेशन आफिसर और बहुत से आफिसरहैं कुछ बराहरास्त, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कुछ प्लानिंग आफिसर के मातहत होते हैं। हमारे यहां इनफार्मेशन आफिसर ने एक हजार मील फी महीना एवरेजटूर दिखाया और पेट्रोल का खर्चा दिखाया, लेकिन मेरे पास फिगर्स हैं कि तीन साल के अर्से में कुल १८७ गांव में वे गये और एक नाईट हाल्ट नहीं किया, फर्जी दौरा भर कर भेज दिया। हरिजन आफिसर की कभी शक्ल तक नहीं देखी। इन्डस्ट्री आफिसर रुपया बांटता है लेकिन यह नहीं देखता कि उसका रिटर्न भी होगा या नहीं। माना कि पैसे को तकसीम करना चाहिये लेकिन साल दो साल में यह भी देख लिया जाय कि सही खर्चा हुआ या नहीं, सही कोआर्डिनेशन है या नहीं। अगर इस तरह देते रहे और उसकी देखभाल नहीं की तो यहां के लोग इस बात के आदी हो जायेंगे माले मुफ्त दिले बेरहम। लूट का माल है, खूब लूटो। यह बात देश के लिये बहुत हानिकारक होगी।

गांधी जी तथा जवाहर लाल जी तक ने यह कहा था कि हमें अंग्रेज से दुश्मनी नहीं है, सिस्टम आफ गवर्नमेन्ट से है। उसे हमें तब्दील करना है लेकिन कोई तब्दीली उस सिस्टम में आज तक नहीं हुई। दो आफिसर एक कमरे में एक दूसरे की तरफ पीठ किये बैठे रहते हैं और घूम फिर कर फाइल उसी मेज पर आती है लेकिन दोनों में कोई कोआर्डिनेशन नहीं होता। लोग परेशान होते हैं लकिन उन्हें इन्साफ नहीं मिलता। हालत यह है कि बैल के दर्द हुआ तो कह दिया गया कि दाग लगा दो। दाग की तकलीफ बढ़ जाती है और दर्द की तकलीफ वह भूल जाता है। इसी तरह से आज इन्साफ नहीं मिलता और दूसरी तकलीफों में फंस जाता है।

इसके अलावा रूरल एरियाज में जो विकास का काम होता है उसमें रूरल एरियाज के आदमी न रखकर शहरों के लड़के रखे जाते हैं। शहरों में वे परवरिश पाये होते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़े होते हैं, क्रीज उनके पाजामे तथा पैन्ट की न बिगड़ने पाये, वे गांव की रीति रिवाज तथा रहन सहन को नहीं समझ पाते। लिहाजा देहात के ही आदमी को विकास के कार्यों के लिये तरजीह देना चाहिये। वही वहां की बोलचाल, रहन–सहन,

[श्री अहमद बख्श]

रवैया, बर्ताव को अच्छी तरह से समझ सकता है। हमें अफसरों में यह तब्दीली करना चाहिये ताकि वे अवाम से दूर न हों, मुख्तलिफ किस्म की मखलूक के साथ मिलजुल सकें। मैंने माना कि उनके रहन-सहन तथा एक मामूली आदमी के रहन-सहन में फर्क है लेकिन जब इस मुल्क का शासन उनके हाथ में है तो उन्हें अवाम जैसा होना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—वक्त खत्म।

***श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—मान्यवर, अभी हमारे मोहतरिम दोस्त, मुजफ्फरनगर ने फरमाया कि जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं वे कोई रचनात्मक सुझाव तो देते नहीं, केवल आलोचना करते हैं। मैं उनकी दलील उनके पेशेनजर करता हूं कि उन्होंने अपनी तकरीर में सिवा आलोचना के कुछ नहीं कहा।

मान्यवर, अभी गौतम जी की स्पीच सुन कर मुझे कांग्रेसमैन की एक नई परिभाषा मालूम हुई कि कांग्रेसमैन वह होता है जो गद्दी से उतरने के बाद सच बोलने लगता है। जिन दिनों वह वजीर थे उन दिनों अगर वे अपने कथन को अमली रूप देते तो बड़ा अच्छा होता। मैं उनकी बातों को सच मानता हूं जो उन्होंने कहा कि छोटी कारों तथा छोटे बंगलों की बातें जो आज कही जाती हैं और कुछ पद तोड़े जाते हैं वह केवल प्रोपोगेंडा मात्र हैं। इसी तरह से जिन दिनों श्री मोहनलाल तथा उनकी केबिनेट थी और दूसरे गुट के ९८ लोगों ने आचार्य जुगल किशोर जी के द्वारा जो बात कहलाई थी वह यह थी कि सम्पूर्णानन्द जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि एक गुट विशेष की सरकार थी और अफसर भी गुट विशेष के थे। आप दोनों को हम सही और सच्चा समझते हैं। श्रीमन्, मुझे अणुव्रत वाली कथा याद आ गई। दो पंडित बनारस से चले आ रहे थे। एक पंडित जी से पूछा गया कि वह दूसरा पंडित कैसा है तो उन्होंने कहा कि पंडित तो है लेकिन गदहा है इसी तरह से दूसरे पंडित के बारे में पहले से पूछा गया तो उन्होंने वही कहा कि वह बैल है। दूसरे दिन एक के लिये भूसा और दूसरे के लिये दाना आ गया। तो हम तो दोनों को इसी तरह से सच्चा मानते हैं। मैं समझता हूं कि इन कुर्सियों पर बैठते ही आंखों का चश्मा कुछ और ही दिखाने लगता है। सावन के अन्धे को हरा ही हरा सूझता है। वे समझते हैं कि जो हमने कह दिया वही ब्रह्मवाक्य है, वही वेदवाक्य है, उससे आगे अब कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कम से कम अपने आपस के घर के लोगों को आगे के लिये ठीक करें।

श्रीमन्, जहांतक बजट की बात है, कोई बजट एक साल का होता नहीं है। वह तो एक प्रोसीजर है, उसका एक तारतम्य है जो सदैव से चला आ रहा है। अगर उस पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले कई सालों से बजटों में कमी दिखाई गई है। सन् ५९-६० में ११.६७ करोड़ का घाटा दिखाया गया था लेकिन अफसोस है कि वही बजट अन्त में साढ़े ५ करोड़ के बचत के रूप में परिवर्तित हो गया यानी १७.१९ करोड़ रुपये का अनुमान गलत हुआ। जिस सरकार का बहीखाता इतना गलत हो कि १७-१७ करोड़ का फर्क निकल जाय तो कितनी लूज बर्जटिंग यह है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। मैं मानता हूं कि अब की बार बजट के साहित्य में कुछ सुधार हुआ है। नियोजन के बारे में पुस्तिकायें छपी हैं। इसके लिये मैं वित्तमंत्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन बाम्बे तथा और प्रान्तों के बजट को देख लीजिये, उसको आप आइने की तरह से देख लीजिये। लेकिन फिर भी मैं वित्त विभाग को बधाई देता हूं कि वह इस ओर अग्रसर हो सके।

एक चीज और देखें कि पिछले ५ सालों के अन्दर ६० करोड़ का टैक्स यानी १२ करोड़ हर साल! मैं समझता हूं कि डेफिसिट बजट बनाने का एक खास कारण यह भी है कि साल के शुरू में दिखाते हैं घाटा, और घाटे का बजट लाकर के योजना, चिकित्सा, शिक्षा आदि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के नाम पर बड़े--बड़े टैक्स लगते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जिन कार्यों के लिये टैक्स लगाते हैं, अर्थात् विकास के कार्यों के लिये लेकिन उन्हीं पर कम खर्च होता है। घाटे का बजट हर साल बनाना टैक्स लगाने के लिये बहाना मात्र है। अगर इस बजट को मैं कैमोफ्लाज बजट कहूं तो आप अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे।

सेल्स टैक्स के बारे में वित्त मंत्री जी ने कहा कि वे लगाने जा रहे हैं ज्यादा और हालत यह है कि ५९--६० के वास्तविक आंकड़े देखें, जितना तखमीना सरकार का सेल्स टैक्स का था उससे सवा तीन करोड़ ज्यादा वसूल हुआ। ६०--६१ में ओरीजिनल बजट का रिवाइज्ड आंकड़ा कम्पेयर करें तो ढाई करोड़ का इजाफा हुआ, तो इस तरह से ढाई ढाई और सवा तीन, तीन करोड़ ज्यादा बढ़ता है, यह गलत चीज है। साथ ही मंत्री जी कहते हैं कि वे सेल्स टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं। पहले तो घाटे का काल्पनिक चित्र खींचा जाता है और कहा जाता है कि देश के लिये त्याग करो, तपस्या करो। फिर रुपया लेने के बाद भी, जैसा कि गौतम जी ने बतलाया कि तनज्जुली सब तरफ हुई है, तरक्की कहीं नहीं हुई।

तीसरी बात सब से मजे की यह है कि अंग्रेज को तो हम कहते थे बदमाश। जब कमी होती थी तो हम कहते थे कि विदेशी चुरा ले गये लेकिन उन्होंने हिसाब इतना अच्छा रखा कि अरबों का स्टर्लिंग बैलेंस छोड़कर गये। उसमें उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा था वह हम खा गये। सन् १९३९ में १२ या १३ करोड़ का हमारा बजट था अब १५४ करोड़ ले आये, स्टर्लिंग बैलेंस भी खा गये और ३ अरब २३ करोड़ का घाटा ३१ मार्च, १९६१ को उत्तर प्रदेश पर अलग है। अपनी सात पीढ़ी तक को गिरवीं रख रहे है नतीजा यह हो रहा है कि हमारी आर्थिक हालत गिरती चली जा रही है। तो इस ओर सरकार ध्यान दे।

श्रीमन्, बजट तब होगा जब देश हो, और देश के लिये सुरक्षा का होना जरूरी है। आज इस देश को खत्म करने के लिये देश के अन्दर बड़े बड़े षड़यन्त्र हो रहे हैं और सब के सब राष्ट्रवादी वेषभूषा में है, समाजवाद का नारा लगाते हैं और अलग-अलग पार्टियों में घुसे हुए हैं। बड़े दुःखकी बात है कि इस उत्तर प्रदेश के इसी विधान भवन में जो आज एक कांड हुआ कि एक सम्प्रदाय विशेष के एक चपरासी ने राष्ट्रीय झंडे को फाड़ा तो उसे पागल बताया जाता है। अगर वह उस झंडे को सिर पर ओड़ कर नाचता या कुछ और करता तब तो मैं समझता कि वह पागल है, लेकिन उसने उसको फूंका और पांव के तले रौंदा और जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो अपर हाउस के एक माननीय सदस्य जो समाजवादी पार्टी के हैं, तातारी साहब, उन्होंने पुलिस से झगड़ा किया, उसे गाली दी और उस चपरासी को छुड़ा दिया।

श्री उग्रसेन---यह गलत है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---यह बिल्कुल सच है। मुझे जगदीशनारायण जी सक्सेना ने अभी बताया है यह है उनका समाजवाद।

श्री उग्रसेन---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य किसी घटना विशेष के संबंध में समाजवादी दल का नाम ले रहे हैं। तो बिना उसका पक्का पता लगाये क्या उनको झूठा लांछन लगाने का अधिकार है?

श्री उपाध्यक्ष---अपनी जानकारी के अनुसार वे कह रहे हैं, उनको पूरा हक है कहने का।

श्री उग्रसेन---तो हमारी जानकारी है कि गांधी जी की हत्या उन्हीं के दल के लोगों ने की थी, क्या इसको माना जायगा?

श्री उपाध्यक्ष ठीक है, आप कहिये जो आप सही समझते हों।

श्री टीकाराम पुजारी---(जिला मथुरा)---श्रीमन्, ये अपनी तरफ देखें, ये कैसे भले आदमी हैं। सूप बोले तो बोले यह चलनी बोल रही है।

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया बैठिये । शान्त रहिये पुजारी जी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, इसमें तीन मिनट निकल गये । अब कितने मिनट मेरे बाकी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--चार मिनट बाकी हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, कम से कम १५ मिनट तो दिये जांय । श्रीमन, मैं हर एक मेम्बर की बातों का जवाब देना तो उचित भी नहीं समझता लेकिन इतना माननीय उग्रसेन जी को निवेदन कर दूं कि जनसंघ पर जो आक्षेप किया गया है, मेरी पार्टी इस्तीफा दे देगी, मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर यह निकल आयेगा कि जनसंघ ने गांधी जी की हत्या की थी । है उनमें हिम्मत कि वह चैलेन्ज करें और अपनी पार्टी के साथ दें इस्तीफा.....(व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष--आप ऐसी बातें न कहें जिससे ख्वामख्वाह उत्तेजना हो ।

श्री टीकाराम पुजारी--कोई पार्टी हो तो इस्तीफा दें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--जनसंघ का जन्म सन् १९५२ में हुआ था और गांधी जी उससे पहले ही चल दिये थे (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष--आर्डर, आर्डर ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी और आर्डर, ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री उग्रसेन के कुछ बोलते रहने पर) माननीय उग्रसेनजी, आप कृपया शान्त रहें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--सोशलिस्ट पार्टी का सब से बड़ा आर्गूमेंट गाली देना, झगड़ा करना और हल्ला करना होता है (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष--आप अपनी बात कहें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, कल जो कांग्रेसी बेंचों पर बैठने वाले एक कांग्रेसी सदस्य की तकरीर इस आदरणीय सदन में हुई थी उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं । उन्होंने जो छिपा हुआ शोला था उसको साफ कर दिया । मैंने उनकी स्पीच नोट कर रखी है, उन्होंने कहा था--

> "एक नया तबका पैदा होता जा रहा है मुसलमानों का । मुलाजिमात में उनके लिये दरवाजे बन्द हैं, कारोबार में कोई हिस्सा नहीं । आमतौर पर देहातों व शहरों में मुसलमान खानदान इस कमजोरी की हद तक पहुंच चुके हैं कि अगर उनकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया जायगा तो यह तबका हमारे मुल्क के लिये बोझ बन जायगा ।"

श्रीमन्, जहां तक गरीब का सवाल है, वह किसी भी मजहब का हो उससे हमारी हमदर्दी है । अगर इस आदरणीय सदन में सब के सब सदस्य मुसलमान आ जांय, सारी नौकरियां उनको दे दी जायं तो हमें कोई गिला नहीं होगा । फिर वही पाकिस्तानी मैंटेलिटी दिखाई जा रही है । आज किस चीज को हमें खत्म कर देना चाहिये था, वही आज मांगी जा रही है । हम सोचते थे कि एक भारतीय सरकार है लेकिन आज एक पैरेलल गवर्नमेंट और बन गई है यह लिफाफा सुल्तानउल-हिन्द गवर्नमेंट का है । इसको इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य देख रहे हैं कि हमारे यहां एक और सरकार कायम हो गई है । यह लिफाफा उसका प्रमाण है । बहुत से लोग हमारे यहां ऐसे हैं जिनको देश से कतई मुहब्बत नहीं है मैं, सबको दोष नहीं देता हूं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग अपने यहां आ गये हैं जिनको निकालने की सरकार की हिम्मत नहीं होती है वे दूसरे देश के सिटीजन हैं उनको बाहर क्यों नहीं किया जाता ?

श्रीमन्, फीरोजाबाद में क्या हुआ ? मंदिर की तरफ पेशाबघर बनाया गया । दरवाजा खुलवाया गया तब पता चला । आज जनसंघ के ऊपर आक्षेप इसलिये किये जाते हैं कि हम भारत को अखंड रखना चाहते हैं, हम भारत माता के टुकड़े नहीं देखना चाहते हैं, हम हिन्दू मुसलमानों को मिलाकर रखना चाहते हैं । जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, चाहे वह बेरूबाड़ी के रूप में हो या पाकिस्तान के रूप में हो, वही लोग हमको साम्प्रदायिकतावादी कहते हैं। आज देश में पंचमांगी लोग फैल गये हैं । अगर हम उनको शीघ्र नहीं रोकते हैं तो हमारा देश खतरे में है । हम चीन से या बाहर वाले से क्या लड़ सकेंगे ?

मैं श्रीमन्, निवेदन करूंगा कि किसी को चाहे, वह किसी मजहब का हो, अगर गरीब है तो उसको मदद दी जाय क्योंकि वह अपने राष्ट्र का है । लेकिन अगर कोई राष्ट्रद्रोह करे तो ख्वाह हिन्दू हो या मुसलमान हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जांय । हमारे लिये राष्ट्र सब से पहली चीज है । बहुत से लोग रहते तो यहां हैं लेकिन गुण चीन और रूस के गाते हैं । हमें अपने देश की दशा सुधारनी है । उनसे इंसपिरेशन नहीं लेना है ।

अब समय बहुत कम है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बजट के देखने से इस बात की पुष्टि होती है कि जो योजनायें हैं वह विरोधियों के यहां कम हों और कांग्रेस साथियों के यहां ही काम हो । उत्तराखंड का इतना शोर हो रहा है लेकिन इस तृतीय योजना में एक मील लम्बी सड़क भी अल्मोड़ा में नहीं बनेगी । लेकिन शोर दुनिया भर का किया जाता है ।

* **श्री बालकराम**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर कुछ बोलने से पहले मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि २-३ मिनट में मुझे श्री गोविन्दसिंह विष्ट की बातों का जवाब देना है और उनका चैलेंज मुझे मंजूर है और मेरा वह मंजूर करें । मैं साबित करूंगा कि ३० जनवरी, १९४८ को गांधी जी मारे गये और २७ जनवरी को मेरा लड़का जो बीसलपुर में पढ़ता था जिसको राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के लोगों ने बहका कर अपने में मिला लिया था और भरती कर लिया था, उसने मुझे बताया कि एक बहुत बड़ा कांड देश में होने वाला है । मैंने पूछा कि क्या ? तो उसने नहीं बताया ।

(इस समय २ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

उसने कहा कि हमारी पार्टी की यह कसम है कि उसकी कोई बात अपने बाप से तो क्या, अपनी मां को भी नहीं बतानी है । जब गांधी जी मारे गये तो मैंने कहा कि तू इतना नालायक है कि देश में इतना बड़ा कांड होने वाला था लेकिन तूने मुझे नहीं बताया । फिर उसने मुझे बताया कि अकेले गांधी जी ही नहीं बल्कि राजेन्द्रप्रसाद, पंत जी, अबुलकलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और डाक्टर राम मनोहर लोहिया । कहने का मंशा यह है कि ६ आदमियों को मारने के लिये ६ आदमियों को ड्यूटी दी गई कि एक ही टाइम पर, एक ही दिन आदमियों को कत्ल करो और गोलवाल्कर को डिक्टेटर बनाओ । अगर गांधी जी प्रार्थना सभा में कुछ मिनट पहले न पहुंच जाते तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि छहों आदमी मारे जाते ।

मालूम होता है कि अहमद बख्श साहब चले गये । उन्होंने कहा था कि नुक्ताचीनी करना बड़ा आसान है लेकिन सुझाव देना बहुत मुश्किल है । बात बहुत सही है । लेकिन सवाल तो यह है कि :--

तुमको लाहासिल है मेरी हसरतों का पूछना,
तुम करो अपनी, पर कहो जो कुछ तुम्हारे दिल में है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बालकराम]

मंत्री जी का बजट भाषण सुनने के बाद जब बजट को गौर से पढ़ा और सोचा तो क्या नतीजा निकला ? उस पर एक शैर याद आ गया :—

कोई मरे या जिये, इनको कुछ नहीं मतलब,
बुतों के दिल से कहीं बेरुखी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह मानें कि कांग्रेस सरकार ने १४ साल में कोई तरक्की नहीं की । मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी तरक्कियां कीं । वे क्या ? चोरी, राहजनी, डकैती, कत्ल, रिश्वतखोरी, जाति-बिरादरी कुनबापरस्ती, बेकारी, गरीबी, और गरीबों पर टैक्स लगाने में बहुत बड़ी तरक्की की है, जिसका जिन्दा सबूत आज उत्तर प्रदेश में मौजूद है । तरक्की किन बातों में नहीं हुई ? गल्ले की पैदावार में, पुलिस के इन्तजाम में, बेकारी दूर करने में, गरीबी दूर करने में, शिक्षा आगे बढ़ाने में तरक्की नहीं हुई । ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनमें तरक्की नहीं हुई ।

गल्ले की पैदावार बढ़ाने में तरक्की क्यों नहीं हुई, उसका भी मैं कारण बताऊं । यह जो अमोनियम सल्फेट चलती है, इससे न देश की तरक्की हुई है और न हो सकती है । मुझे, एक किसान का बच्चा होने के नाते पता है कि जिस खेत में अमोनियम सल्फेट दी जाती है, अगर उसमें वक्त से पानी मिल गया तब तो जरूर पैदावार उस साल बढ़ती है लेकिन उस साल के बाद दूसरे साल वह खाद उस जमीन में इतनी ताकत नहीं रखती है कि दूसरे साल की पैदावार को बढ़ा सके, इसलिये यह खाद बजाय तरक्की के तनज्जुली कर रही है । एक मीटिंग लखनऊ में माननीय सम्पूर्णानन्द जी की अध्यक्षता में हुई थी और एक दूसरी मीटिंग नैनीताल में उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी । मैं, नियोजन समिति का मेम्बर होने के नाते नैनीताल भी गया था और यहां भी, मैंने कहा था कि अगर सरकार गल्ले की पैदावार को बढ़ाना चाहती है तो मेरा एक सुझाव मान ले और आज वह बात मैं माननीय मुख्य मंत्री से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप गल्ले की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो काश्तकार को कह दीजिये कि जो काश्तकार सनई खाद के लिये बोयेगा और वह आबपाशी करेगा उसकी आबपाशी माफ कर देंगे । अगर आप ऐसा कर दें तो मेरा दावा है कि गल्ले की सवाई पैदावार होगी ।

आबपाशी की बाबत क्या कहूं ? जरूरत तो इस बात की है कि जिस वक्त किसान को पानी की जरूरत हो उस वक्त नहर छोड़ी जाय । लेकिन होता क्या है ? जब पानी की जरूरत नहीं तो नहरें बराबर चलती हैं । जिसका जिन्दा सबूत अक्तूबर की बारिश है जिसमें कि लखनऊ सारा पानी से भर गया, सारे उत्तर प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां कि सैलाब न आया हो, लेकिन उस वक्त इस सरकार की नहर चालू थी और जो खेत, धान के नहरों के पानी से नहीं भरे गये, उनमें भी आबपाशी लिख दी गई । हमारे शाहजहांपुर जिले में किसानों ने और सोशलिस्ट पार्टी ने नहर के इंजीनियर साहब को और जिला मैजिस्ट्रेट को सैकड़ों दरख्वास्तें दीं कि हमने पानी नहीं भरा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । इंजीनियर साहब से मेरी एक रोज बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब, मेड़ जिस खेत की टूट जाती है और उसके पड़ोस के खेत में पानी नहर का चला गया तो हमारी मजबूरी है, हम उसको भी लिख देंगे । मैंने इंजीनियर साहब से कहा कि जब लखनऊ में पुल टूट गये बड़े बड़े किले ढह गये, इमारतें टूट गईं तो मिट्टी के मेड़ की क्या ताकत है कि वह सैलाब के पानी को रोक सके । लेकिन कोई विचार उस पर नहीं किया गया ।

बजट को देखा तो आबपाशी के रेट में जो तीन आने की छूट मिली थी, जिसके लिये कि सोशलिस्ट पार्टी ने इतना आन्दोलन चलाया था, जिसके लिये मथुरा में बाद कांड हुआ जिसमें कि औरतों की साड़ियां फाड़ी गईं, अरदाया में ९६ बच्चे मारे गये और मुड़कुरा मिर्जापुर में सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर गलत मुकदमे चलाये गये । इतनी कुर्बानी के बाद जो किसान को थोड़ी सी छूट मिली थी उसको भी माननीय मंत्री जी ने हटा लिया, यह काम इस सरकार ने बड़ा बेजा किया । मैं चाहता हूं कि सरकार ने अगर गलती से, भूल से ऐसा किया हो या

गलती से नहीं बल्कि अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिये ही किया हो तो भी मैं दरख्वास्त करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वह कम से कम इसको वापस ले लें ।

अब पुलिस पर आ जाइये । पुलिस का क्या हाल है ? आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता । वैसे आंकड़ों में भी जो सरकार की रपट है उसी के अनुसार जब से यह कांग्रेस सरकार हिन्दुस्तान में और उत्तर प्रदेश में आई बराबर चोरी, डकैती और कत्ल बढ़े । लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि वह आंकड़े गलत हैं । यह तो इतने तब बढ़े हैं जब डकैती की रपट चोरी में लिखी जाती है और बहुत सी चोरियों की रपट लिखी ही नहीं जाती है । अगर मेरी बात को गलत मानते हों तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को दावत देता हूं, शाहजहांपुर जिले में एक, दो, दस, बीस नहीं सैकड़ों डकैतियां ऐसी दिखा दूंगा कि जिनकी रपट चोरी तक में नहीं लिखी जाती और मैं तो चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं चल सकते तो एक अपना खुफिया आदमी भेज दें और शाहजहांपुर जिले की डकैतियों की जांच करायें । मैं यह भी कहूंगा कि अगर उनको न मालूम हो सके क्योंकि वह थाने पर जायेंगे तो वहां वह उन्हें बता देंगे कि डकैती नहीं हुई, तो मैं उनको नाम लिखकर दे दूंगा जिनके यहां कि डकैती हुई । वह खुफिया से उसकी जांच करा लें । २८–२८ फायर हुए, लेकिन उसकी सही रपट डकैती में नहीं लिखी गई । मैंने खुद देखा है चौपाल में सामने बाल्टी रखी हुई थी । डकैतों ने इसलिये चौपाल पर गोली चलाई कि आदमी वहां से बाहर निकलकर शोर न मचा सकें , उस बाल्टी में ६ सूराख थे । लेकिन उसकी रपट चोरी में लिखी गई ।

मैं तो यह कहता हूं कि शाहजहांपुर जिले में कोई ऐसा गांव नहीं है, ऐसा कोई थाना नहीं है कि जिसमें किसी न किसी गांव में रोजाना डकैती न होती हो । रोजाना डकैती होती है । यही नहीं कि मैं आपसे ही कहता हूं, मैंने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और कलेक्टर से भी कहा । वह कहते हैं कि अच्छा साहब इन्तजाम कर देंगे । इन्तजाम क्या करेंगे ? गारद भेज दिया । लेकिन गारद क्या करती है ? गारद जाती तो है किसानों की रक्षा करने के लिये लेकिन वे वहां जाकर किसी बड़े आदमी के घर पूरी कचौरी खाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अच्छा हम तो अब जरा लेटेंगे, हमारी बन्दूकों की चार आदमी रखवाली करो नहीं तो चली जायंगी ।

अब आइये जरा शिक्षा पर । माना कि हमने स्कूल बढ़ाये और अभी भी आप स्कूल बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन केवल स्कूल बढ़ाने से ही तो शिक्षा नहीं बढ़ती ? शिक्षा बढ़ती है शिक्षा देने से । मैं आपको सबूत दे सकता हूं कि हमारे शाहजहांपुर जिले में जिला परिषद् में दिसम्बर और जनवरी तक जूनियर हाई स्कूलों में संस्कृत और अंग्रेजी के मास्टर नहीं भेजे जाते । वे भेजे जाते हैं फरवरी में । जुलाई से स्कूल खुले, फरवरी में मास्टर भेजे गये और मार्च में इम्तहान होता है, इस से क्या शिक्षा बढ़ेगी ? यह आपकी तरक्की का हाल है ।

दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी और कालेजों में शिक्षा बढ़ती है । लेकिन जब नीचे से ही बच्चे पढ़ कर नहीं जायेंगे तो वे वहां से एकदम पढ़ कर तो आलिमफाजिल हो कर नहीं निकल सकेंगे । इसके लिये प्राइमरी स्कूलों में आप को अच्छे से अच्छे मास्टर रखने पड़ेंगे और छोटे बच्चों को अच्छी से अच्छी बातें पढ़ानी पड़ेंगी तभी शिक्षा की तरक्की हो सकती है । लेकिन आप देखें कि उन मास्टरों को आप तनख्वाह क्या देते हैं ? ज्यादा से ज्यादा ५० रुपया देते हैं । हिसाब लगा कर देखा जाय । दो सेर का गेहूं बिकता है । एक मियां, बीबी और उनके दो, तीन बच्चे । अगर गेहूं भी खरीद कर खाना चाहें तो पूरा नहीं पड़ता, साग, सब्जी, मसाला, नमक, तेल वगैरह वे कहां से लायेंगे ? उसके लिये उनको दूसरे काम करने पड़ते हैं और जब वे दूसरे काम करेंगे तो स्कूल में घंटे दो घंटे के लिये जरूर गैरहाजिर रहेंगे । नतीजा यह होगा कि शिक्षा पूरी तरह से नहीं दी जा सकेगी । मैंने खुद देखा है कि वे स्कूल में १२ बजे जाते हैं और दो, ढाई बजे तक चले आते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि दो तीन मिनट मुझे और दिये जायं । माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी जब मुख्य मंत्री बन कर आये थे उस समय बहुत से लोगों ने उनको बहुत बधाई दी थी, मैं आज माननीय गौतम जी को बधाई देता हूं । उन्हें इसलिये बधाई देता हूं कि उन्होंने आज अपने

[श्री बालकराम]

दिमाग के नक्शे को बदला तो । उन्होंने जो आंकड़े दिये, मैं कहता हूं कि वह इस सरकार के बनाये हुए आंकड़े नहीं हैं, वह पुरानी सरकार के आंकड़े हैं । तीसरी पंचवर्षीय योजना का नमूना पुरानी सरकार ने पेश किया था जिस पर यह नई सरकार अमल कर रही है । उन्होंने बताया कि ३२ करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च होना चाहिये था । लेकिन यह काम पुरानी सरकार का था, इसका नहीं ।

एक सदस्य—यही जवाब कांग्रेस की यह सरकार देगी ।

श्री बालकराम—मैं भी अगर यह बात कह दूं तो कोई जुर्म न होगा ।

मैं अब जरा अहमद बख्श साहब की बात पर आ जाऊं । उन्होंने कहा था कि कोई सुझाव नहीं देते । आप अगर चाहते हैं कि देश की उन्नति हो, तो उसके लिये मेरा सरकार को सुझाव है कि वह चौखम्भा राज बनायें । इसकी मंशा है कि गांव वाले को अपने स्तर पर आजादी हो । गांव में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, लेखपाल, पंचायत का सेक्रेटरी, ग्राम सेवक, ग्राम सेविका, थाने का चपरासी अथवा चौकीदार , इन सब को गांव वालों के मातहत किया जाय । उनको डर आज क्या है ? वे समझते हैं कि गांव वाले हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते । हम चाहे उनकी भलाई करें या बुराई, हमारा कुछ नहीं हो सकता। जिस रोज उनको मालूम होगा कि गांव वाले हमें रख सकते हैं और गांव वाले हमें बरखास्त कर सकते हैं, उस रोज से वह सही काम करने लगेंगे । आज तो लेखपाल जानता है कि हमारा मालिक तहसीलदार और हाकिम परगना है । चाहे जितना भी हम गलत काम करें, हमारा गांव वाले कुछ बिगाड़ नहीं सकते । मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि अगर लेखपाल गलत इंदराज करता है और वह बात साबित हो जाती है तो उसको सजा दी जाय । अगर आप एक लेखपाल को सजा देंगे गलत इंदराज के लिये और एक थानेदार को सजा देंगे गलत काम के लिये तो उस से जिले भर के थानेदार और लेखपाल सही हो जायेंगे ।

तो मुझे यह कहना है कि आज जो आफिसर्स हैं वे यह समझते हैं कि हमारे तो मालिक गुप्ता जी हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है । पुलिस वाला यह समझता है कि हमारे मालिक तो चौधरी चरणसिंह जी हैं, हमारा कोई क्या कर सकता है । वे इन लोगों को, जो हजारों वोटों से चुन कर आते हैं, कुछ समझते ही नहीं हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि जिला परिषदों में जब लोग चुन कर आयें, जिला परिषदों की जब स्थापना हो, तब इन आफिसरों को आप उनके मातहत कर दीजिये । ऐसा करने से ही वे जिम्मेदारी के साथ काम कर सकेंगे । अंत में मैं यह कहकर कि—

किसी को क्या पड़ी तुझे नीचा गिराने को,
तेरे आमाल काफी हैं तेरी हस्ती मिटाने को ।

मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ५ रोज से अगले वर्ष के बजट के ऊपर, जो इस सदन में प्रस्तुत किया गया है , माननीय सदस्यों ने जो अपने अपने विचार व्यक्त किये, अपने अपने दृष्टिकोण से, इस बजट के संबंध में , उनको मैंने स्वतःपूरी मात्रा में, यहां बैठ कर ही नहीं, किन्तु अपने कमरे में बैठ कर भी सुना है । माननीय सदस्यों ने जो भी आलोचनायें इस सदन के सामने रखी हैं, मैंने उनको सुना है । उनको सुनने के बाद जो मेरे ऊपर असर हुआ वह यह था कि माननीय सदस्य कुछ ऐसा अनुभव करते हैं कि इस सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बजट के उन सारे दायरों के बाहर है जिन दायरों के अन्दर समाजवादी व्यवस्था को रचने के लिये नियोजित ढंग से किसी सरकार को, अपने पैरों पर खड़ा होकर, बजट को प्रस्तुत करना चाहिये । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कई माननीय सदस्यों ने यह समझ कर बजट की आलोचना की है

कि सारे मसलों में, खासकर साधनों के मामलों में, सरकार बिल्कुल स्वतंत्र है और उसको सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं और सरकार उन साधनों का सही प्रकार से, सही कार्यों के लिये, प्रदेश की प्रगति के लिये, प्रयोग नहीं कर रही है जिससे प्रदेश की जनता की सेवा अधिक मात्रा में नहीं जी जा सकी है।

मान्यवर, इस संबंध में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बजट की आलोचना करते समय प्रत्येक माननीय सदस्य को यह समझ लेना चाहिये कि हम जिस युग में रह रहे हैं वह युग एक परिवर्तित युग है और वह इस मानी में परिवर्तित है कि आज विकास के कार्यों के लिये तथा प्रदेश का भविष्य उज्जवलमय बनाने के लिये हमें केन्द्रीय सरकार के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है, केन्द्रीय सरकार के नियोजन आयोग के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जो भी बजट हम तैयार करते हैं, वह हमें उन तमाम सीलिंग के अन्दर रहते हुए तैयार करना पड़ता है जो आज नियोजन आयोग ने निर्धारित कर रखी हैं क्योंकि आज सारे कार्यों के सम्पादन के लिये इस बात की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक साधन हमारे पास हों। यदि इस दृष्टिकोण को हम अपने सामने रखें तो कदाचित बहुत सी आलोचना जो बजट के संबंध में की गयी है, वह निरर्थक सिद्ध हो जायगी। कौन नहीं जानता कि हम उत्तरोत्तर प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, हम यहां के निवासियों के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, यहां के लोगों की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वह आमदनी तभी बढ़ सकती है, जब कि यहां की पैदावार अधिक मात्रा में हो। यह भी सब को अच्छी तरह से विदित होगा कि प्रदेश की आमदनी को बढ़ाने के लिये सबसे बड़ा रोजगार जो हमारे पास है, वह खेती का है। दूसरे प्रकार के रोजगार खेती के रोजागर के बाद आते हैं क्योंकि इसी रोजगार में इस प्रदेश के अधिकतर लोग लगे हुए हैं, वे अपनी रोजी इसी से कमाते हैं और साथ ही इसी काम के द्वारा वे विभिन्न प्रकार के साधनों को मुहइया करते हैं। अगर यह बात हमारे दिमाग में बराबर बनी रहे तो हमारी कई प्रकार की आलोचनाएं, जो बजट के संबंध में की गयीं, हमारे सामने से हट जायंगी।

हम और आप यह जानते है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिनकी रचना केन्द्रीय सरकार और नियोजन आयोग के सहयोग से हुई, वे किस-किस मात्रा में थीं। हममें से प्रत्येक यह जानता है कि खेती को तरक्की देने के लिये, रोजगार को फैलाने के लिये, करीब ७२४ करोड़ की योजना बनायी गयी थी। लेकिन जब हमारी यह योजना नियोजन आयोग तक पहुची तो पहले प्रदेश के मुख्य मंत्री और मंत्रियों से विचार विमर्श हुआ फिर हमारे यहां के अधिकारियों से विचारविनियम हुआ और तब यह निर्णय हुआ कि हमारी पंच-साला योजना ४९७ करोड़ की होगी।

अब ४९७ करोड़ की योजना कोई छोटी योजना नहीं है, जब हम अपने प्रदेश के साधनों की ओर नजर डालते हैं। लेकिन जब हम केन्द्रीय सरकार के साधनों को भी तथा विदेश से जो चीजें हमें मिलती है, उनको भी हम अपने सामने रख लेते हैं तो कदाचित हमें अपनी योजना लंबी चौड़ी नहीं लगती। परन्तु अपने साधनों को देखते हुए इतनी बड़ी योजना बनाना कोई मामूली काम नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम आसानी से कर सकते हों।

जब ४९७ करोड़ की योजना नियोजन आयोग ने मंजूर की, तो इस शर्त पर मंजूर की कि जो धनराशि केन्द्रीय आयोग के द्वारा प्रदेश को दी जायगी, उसके अलावा उसे स्वतः भी अपने साधनों से कुछ रुपया इकट्ठा करना होगा। इस ४९७ करोड़ रुपये में से केन्द्र हमें ३५० करोड़ रुपया अनुदान के रूप में, ऋण के रूप में और उस सामग्री के रूप में जो वे विदेश से उपलब्ध करायेंगे, देगा। बाकी के लिये हमें स्वतः अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जब ऐसी बात है कि १४७ करोड़ रुपया प्रदेश को अपने साधनों के द्वारा उपलब्ध कराना होगा तो यह प्रश्न, कि वे साधन किस प्रकार मुहैया किये जांय, प्रदेशीय सरकार के सामने था, अब तक है और आगे भी रहेगा।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

हम में से प्रत्येक यह जानता है कि नियोजन आयोग जितने रिसोर्सेज हमारे आने वाले ५ वर्षों में हो सकते हैं, उन सबको अपने सामने रख लेता है और सामने रखकर तब वह इन सारे कार्यों के सम्पादन के लिये मंजूरी प्रदान करता है। हमारे पास जो साधन होते हैं और विभिन्न विभागों की तरफ से जो-जो प्लान बनते हैं वे सब नियोजन आयोग के समक्ष जाते हैं और उन पर विचार विमर्श किया जाता है उसके बाद उन तमाम चीजों पर निर्णय लिया जाता है। यदि ऐसी बात है तो जब प्रदेश की सरकार कोई बजट प्रस्तुत करे तो इस माने में वह बिलकुल खुदमुख्तार तो है नहीं जिस माने में कि कोई स्वतंत्र सरकार खुदमुख्तार रहती है कि वह जिस तरह से चाहे, जिस साधन को काम में लाना चाहे लावे और जिस तरह से चाहे खर्च करे ऐसी बात नहीं है और जब ऐसी बात नहीं है तो बहुत सी आपत्ति और आलोचनायें जो विभिन्न विभागों के तहत में की जाती है वे भी निरर्थक सी प्रतीत होती हैं।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह आलोचना की जाती है कि सरकार जो यह बजट बना रही है वह किसानों का बजट नहीं है; गरीबों की विपत्तियों को दूर करने वाला बजट नहीं है या उनकी आमदनी को बढाने वाला बजट नहीं है। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूं कि इस सदन के सदस्यों को इस दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिये, तब वे सही माने में बजट में जो चीजें रखी गयी हैं और जो सदन के विचारार्थ प्रस्तुत की गयी हैं उनका विश्लेषण कर सकेंगे। अगर इस दृष्टिकोण को सामने रख कर वे उसका विश्लेषण करने की चेष्टा करेंगे तो हमारी जो योजना अगले वर्ष के लिये सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है उसको देखने से प्रतीत होगा कि ७१ करोड़ रुपये का प्लांड आइटम हम अगले वर्ष के बजट में पूरा करने जा रहे हैं। यदि हम उसके लिये पांच या सवा पांच करोड़ का कर उन चीजों पर लगाने जा रहे हैं जिन चीजों पर कम कर लगा हुआ है, अन्य प्रदेशों के मुकाबले में तो फिर इतनी आपित और आलोचना करने की आवश्यकता क्या है? आज शिकायत यह है कि हम कर लगाने जा रहे हैं जब कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही बहुत कर लगा हुआ है और लोग कर के बोझ से दबे हुए हैं, इसलिये कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, आपके द्वारा मैं सदन के सदस्यों से जानना चाहता हूं कि यदि इस ४९७ करोड़ की योजना को कार्यान्वित करना है और हर जिले को निर्धारित योजना के कामों को पूरा करना है तो वह क्या महज योजना बनाने से ही पूरे हो जायंगे या उनके लिये साधन भी मुहइया करने पड़ेंगे? और यदि साधन मुहइया करने पड़ेंगे तो वे साधन कहां से आयेंगे? वे साधन इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश के किसान, मजदूर तथा प्रत्येक वर्ग के लोगों को देने पड़ेंगे। यह बात भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे देशों के लिये जिनकी प्रगति करनी है, जो बहुत पिछड़े हुये हैं, जिनकी इकोनामी अन्डर डेवलप्ड रही है, उनके लिये इस बात की आवश्यकता होती है कि हमारे यहां इन्वेस्टमेंट बढ़े। आपका प्रदेश जो एक गरीब प्रदेश रहा है, अगर यहां इंवेस्टमेंट कम रहता है तो यह प्रदेश भी गरीब ही रहेगा। तो यह जो विशस सर्किल है उससे हमें अपने प्रदेश को निकालना है और अधिक इनवेस्टमेंट के लिये क्षमता पैदा करना है तभी यहां की तरक्की हो सकती है। हो सकता है कि क्षमता पैदा करने में कुछ तकलीफ का जीवन व्यतीत करना पड़े, परेशानियों से गुजरना पड़े, परन्तु ऐसा देश दुनियां में कौन सा है जिसने विकास और तरक्की की हो और जिसे आगे आने वाली अपनी संतानों के उज्जवल भविष्य के लिये, अपने नागरिकों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिये तथा उसके जीवन को स्वस्थ बनाने के लिये अपने कार्यकाल में काम करना पड़ा हो और उसने अपने जीवन में तकलीफन भोगा हो? फिर हम जो पिछड़े रहे हैं, जो अविकसित रहे हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों में इस देश के अन्य प्रदेशों से पिछड़े रहे हैं हमें अगर तरक्की करनी है, हमें अगर आगे बढ़ना है तो वह तभी हो सकता है जब हम अपने यहां अधिक इन्वेस्टमेन्ट की क्षमता पैदा करें मगर वह तभी हो सकता है कि जब आज का जो हमारा नागरिक है वह भावी नागरिक के लिये कुछ तकलीफ उठाये और दुख झेलकर नये

इन्वेस्टमेन्टस की क्षमता पैदा करे । वह तभी हो सकता है कि जब हम यहां आज एक ऐसा माहौल और वातावरण पैदा करें और एक आकांक्षा हृदय में रखें कि किसी तरह से भी हमें कष्ट उठाकर भी, नये कर देकर भी, योजना को सफल बनाना है ।

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह इन्हीं सिद्धान्तों और आदर्शों पर निर्भर है । यदि हम यह मानकर न चलें कि आज के जो हम नागरिक हैं उन्हें कल के बच्चों के भविष्य के लिये, कल के उज्जवल भविष्य के लिये उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, यहां के लोगों के स्तर को उठाना है तो हमें आज अवश्य ही तकलीफ उठानी होगी, अधिक कर देने होंगे और अधिक साधन मुहइया करने होंगे, अधिक रुपया इकट्ठा करना होगा और यह सब हम तभी कर सकेंगे कि जब हम अपनी पैदावार को बढावें, अपने रोजगारों को बढ़ावें। लेकिन रोजगार और पैदावार तभी बढ़ सकती है कि जब हम आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के अनुरूप आधुनिक मशीनों और सब पैदा करने वाली वस्तुओं और पदार्थों से लाभ उठावें और उनका प्रयोग अपने यहां करें और मैं कह सकता हूं कि पिछले दस साल में ऐसी चेष्टा यहां हुई है । यदि कोई यह कहने की जुर्रत करता है कि यहां पैदावार में वृद्धि नहीं हुई है तो मैं उस के जवाब में यही कहुंगा कि वह आदमी जो वास्तविकता है, जो असलियत है उससे अपना मुंह मोड़ता है और वह किन्हीं कारणों से असलियत की ओर नजर ही नहीं डालना चाहता ।

विरोधी दल के माननीय नेता ने यह कहा था कि यह सरकार तो ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में खेल रही है और यह सरकार उन्हीं के आंकड़ों पर जा रही है और सरकार नहीं देखती है कि देहात के लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं । हो सकता है कि मुझे विरोधी दल के नेता की तरह से देहात में जाने का मौका न मिलता हो और मुझे वहां की हालत न मालूम हो, लेकिन मैं यह कहनेकी धृष्टता अवश्य करता हूं कि मैं उनकी विचाराधारा से सहमत नहीं हूं और मैं समझता हूं कि उनकी यह विचाराधारा सही भी नहीं है । यह बात निर्विवाद है कि देहातों की हमने कई दिशाओं में तरक्की की है और देहात के रहने वाले लोगों के जीवन में एक भारी परिवर्तन आया है, उनकी प्रवृत्तियां हमने बदली हैं, भले ही उनकी आशाओं, उन की आकांक्षाओं और उनकी इच्छाओं के अनुरूप हमने काम न किया हो और मैं स्वतः इस बात को मानता हूं कि अभी हमारे ग्रामों में हमारी जो आकांक्षायें और इच्छायें हैं और जिस भविष्य की हम कल्पना करते हैं उसके अनुरूप ग्रामों में काम नहीं हुआ है । वह हो भी कैसे सकता है ? जो प्रदेश सदियों से गुरबत की तहत में गुजरता हो उस अनडेवलप्ड प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये हमें वही नीतियां अपनानी होंगी जो कि दूसरे अविकसित देशों ने अपने को उठाने के लिये अपनाई हैं और गरीबी को दूर किया है । आज अगर हम उन्हीं नीतियों को अपनाते हुये इस बजट को पेश करते हैं और अपने को प्रदेश के विकास के काम में आगे बढ़ाते हैं तो किसी भी दशा में इस को पीछे ले जाने वाला कदम नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाने वाला कदम ही है ।

माननीय विरोधी दल के नेता ने हमारी फाइव ईयर प्लान की पुस्तिका से कुछ उद्धरण दिये और कहा कि हमने यह स्वीकार किया है कि हमने इन वर्षों में पर-कैपिटा आय में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है । हम स्वीकार करते हैं । हमने यह बात छिपाई तो नहीं है । यदि हम यह बात छिपाना चाहते तो यह कहा जा सकता था कि हम तो जनता को बहकाना चाहते हैं, जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, और इसलिए जनता को तरह-तरह के भुलावे में रख कर अपने साथ सहयोगी और अपना हामी बनाना चाहते हैं । हम तो स्वीकार करते हैं कि हमने पिछले वर्षों में पर-कैपिटा इनकम में उतनी वृद्धि नहीं की है जितनी कि करनी चाहिये थी । लेकिन जब वह हमारा ही क्वोटेशन इस पुस्तिका से देते हैं तो उस क्वोटेशन को नहीं देते जहां हमने यह भी तो लिखा है कि गांवों में प्रगति के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, गांवों में तरक्की हो रही है । मैं इस अंश को अंग्रेजी में आप के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर देना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है —

"While at the beginning of the First Plan the *per capita* State income was nearly 5 per cent higher than the *per capita* national income, by 1958-59

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

it had come down to a level nearly 12 per cent below the all-India level.

Figures of *per capita* income are an important indication of the general trends in the economy. Nevertheless, the distribution of income is also an important factor in the measurement of economic welfare. Judged in this background, there has been an appreciable change in the level of living of the common man, particularly in the rural areas, owing to some policy decisions during the last decade. Far-reaching land reforms measures have been taken in this State, which have brought out a more equitable distribution of wealth in the villages. The people in the rural areas can now afford partially to substitute coarse grains by wheat and rice, *gur* by sugar, etc. and, in some areas, can even afford pucca houses. There has been an improvement in the welfare standards of the people owing to Government measures in the fields of health, education, etc. Though so far it has been possible, by adoption of these socialistic measures and by promoting welfare activities, to mitigate the hardship that would have been caused to the common man by inadequate increase in the State income, the State income must now be made to rise to an extent that will ensure a steady and adequate increase in the *per capita* income."

श्री अध्यक्ष—आप संक्षेप में हिन्दी में कह दीजिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मान्यवर, मैंने यह उद्धरण इसलिये दिया कि इस पुस्तिका में जहां हमने पर-कैपिटा इनकम की कमी के सिलसिले में बात कही है वहां यह भी दिखाया है कि गांव के जीवन में एक भारी परिवर्तन आया है; जो हमने लैंड रिफार्म्स किये, जो तरह-तरह की योजनाएं कार्यान्वित कीं, उनसे गांव के निवासियों के जीवन में परिवर्तन आया है। क्या यह सत्य नहीं है कि गांव का निवासी जो पहले मोटा गल्ला खाता था वह आज गेहूं खाता है, जो गुड़ खाता था वह आज शक्कर खाता है? जो कभी सायकिल की बात सोच नहीं सकता था क्या वह आज सायकिल रखने की चेष्टा नहीं कर रहा है? जो पक्के मकान में नहीं रह सकता था क्या आज वह पक्के मकान में रहने की अभिलाषा रखते हुए, उत्कन्ठा रखते हुए प्रगतिशील नहीं है?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—देहात की बात मत कहिए, देहात में आप ने क्या किया. . . .

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मुख्यमंत्री जी देहात की बात. . . .

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं बड़ी नम्रता के साथ माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जैसे शांति के साथ मैंने उनके भाषणों को सुना है वह भी मुझे सुनें। यदि वह सहमत नहीं हैं तो उन्हें बहुत मौके हैं जब कि वह अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। यदि देहात के ठेकेदार चन्द व्यक्ति अपने को समझते हैं तो मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो उस ठेकेदारी को मानने के लिये तैयार हैं।

मैं जिस दृष्टिकोण को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा था वह यह था कि हमें एक ही दृष्टिकोण से इस सारी योजना को देखना है कि क्या यह योजना उत्तरोत्तर उस दशा में हमें ले जा रही है जहां चल कर हम गांवों के रहने वालों और इस प्रदेश के रहने वालों के जीवन-स्तर को ऊंचा कर सकें और वे सामाजिक सुविधायें दे सकें जो उन्हें मिलनी चाहिये और जो किसी भी स्वतंत्र देश के नागरिकों के अधिकार हैं? तो जो बात विरोधी दल के नेता ने या अन्य वक्ताओं ने कही है मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि आज उस योजना की पूर्ति के लिये टैक्सेज की आवश्यकता है। बिना टैक्सेज से तो साधन भी मुहइया नहीं हो सकते।

और जो वचन हमने नियोजन आयोग के सामने दिया है कि हम अपने साधन स्वतः मुहइया करेंगे, तो कैसे मुहइया कर सकते हैं? महज बातें करने से, कागज पर योजना बना देने से ही हम साधन मुहइया कर सकते हैं?

यह कहा गया कि हमने इर्रीगेशन रिबेट की छूट को वापस लेने का जो निर्णय किया है, वह ग़लत है। क्या मैं सदन से नम्रता पूर्वक कहने का अधिकार रखता हूं कि जब यह रिबेट १९५४–५५ में रखा गया था उस समय खाद्यान्नों की क्या क़ीमत थी, १९५२–५३ में क्या क़ीमत थी और आज क्या है? आखिर जो इर्रीगेशन प्रोजेक्टस हैं, क्या यह चार्जेज नहीं हैं, क्या यह उस योजना के चार्जेज नहीं हैं जो योजना हम कार्यान्वित करते हैं किसानों के फ़ायदे के लिये? और जो रिबेट है क्या इससे प्रत्येक किसान फ़ायदा उठाता है? अधिकांश किसानों को तो अभी इर्रीगेशन फ़ेसिलीटीज हैं भी नहीं। तो जो फ़ायदा उठाते हैं क्यों न वे चार्जेज दें जो योजना को चलाने के लिये आवश्यक हैं?

इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि सब अनइकोनोमिक हैं। तो उन को कभी इकोनामिक बनाया जायगा कि नहीं? अधिकांश किसान तो अभी इर्रीगेशन का फ़ायदा उठा नहीं रहे हैं, जो टयूबवेल्स का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, अधिकांश किसानों के बीच में इर्रीगेशन फ़ेसिलीटीज नहीं हैं। तो जो किसान फ़ायदा उठाते हैं और जब गल्ले की क़ीमत बढ़ी है, और जो १९५२–५३ में १०० थी वह आज १०३ है तो यदि हम उस रिबेट को वापस लेते हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं जब कि हमें साधन मुहइया करने हैं, जब कि हमें अधिक मात्रा में अपने साधनों को उपलब्ध करना है।

और दूसरे टैक्सेज के बारे में कहा गया कि हम सेल्स टैक्स को बढ़ा रहे हैं। कभी सदस्यों ने जाना है कि जो हमारा सेल्स टैक्स का रेट है वह अन्य प्रदेशों के मुकाबले में कई दिशाओं में बहुत कम है? और प्रदेशों में बहुत है। यदि हम उनमें परिवर्तन करते हैं, यद्यपि उतना तब भी नहीं बढ़ा, और कुछ साधन अपने लिये मुहइया करते हैं तो मैं नहीं समझता कैसे आलोचना हो सकती है? कैसे कहा जा सकता है कि हम अधिक टैक्सेज बढ़ा रहे हैं? क्या यह हम नहीं मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आज टैक्स रेट हैं वह और प्रदेशों के मुकाबले में बहुत कम है?

हम लोगों ने उस पुस्तिका का अध्ययन किया है जो रिजर्व बैंक ने सारी परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद निकाली है। उसमें जो उन्होंने पर-कैपिटा टैक्स और प्रदेशों में दिखाया है यदि उसका मुकाबला अपने प्रदेश से करें तो हमारे प्रदेश में उड़ीसा को छोड़ कर बहुत कम है। तो आज जब साधनों को मुहइया करना है, किसी न किसी प्रकार से जो अपने ऐग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनमें बचत कर के और साथ में और साधनों को मुहइया करके ही अधिक मात्रा में उपलब्ध करते हैं.....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—१९५४ से गेहूं इस समय सस्ता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसलिये आज जो हालत है कि हमने जब टैक्स लगाने की बात सोची तो उन बचनों को पूरा करने तथा उन साधनों को मुहइया करने पर भी हमने विचार किया। कोई हमें इस बात की गरज नहीं है कि बिना आवश्यकता के हम टैक्स लगायें। जिस दिन से मैं आया हूं उस दिन से मैं इस चेष्टा में लगा हुआ हूं कि जितना रुपया हम जनता से ले कर कोष में जमा करें उसकी एक एक पाई सही तरह से व्यय हो। हमने उस दिशा में कार्य करना प्रारम्भ किया तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। हमने ५२ लाख की जो इकोनामी दिखाई है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, मानों हमने एक आखिरी पन्ना इकोनामी पर लिखा दिया है। मैं यह सचेत करना चाहता हूं कि जहां तक बचत का सवाल है यह कोई हमारा आखिरी पन्ना नहीं है। हम

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

उस प्रयास में मिनट-मिनट, घंटे-घंटे, लगे हुए हैं । हमारे आदेश देने से ही इकोनामी पूरी नहीं हो जायगी । जो आदमी लगे हुए हैं, जो नौकरियों में लगे हुए हैं, जो खर्च कर रहे हैं, उनको एक नियोजित ढंग से ही तो हम खत्म कर सकेंगे ।

मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे अधिकारीगण और सचिवालय इस ओर लगे हुए हैं और हमारे सामने १०, १२ रोज हुए ८३ लाख की बचत की योजनायें और पेश हुई हैं जिन पर हमने विचार किया है । पूर्व इसके कि हम कोई निर्णय लें विभागीय अधिकारियों से तथा सचिवालय के सचिवों से हम परामर्श कर लेना चाहते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो नौकरी पाये हुए हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो नौकरिया पायें वह उस में लग सकें । हम जनता की गाढ़ी कमाई का एक-एक पैसा बचाना चाहते हैं और बचा कर उन कार्यों में लगाना चाहते हैं जो अधिक उपयोगी हैं और जो अधिक प्राथमिकता चाहते हैं । विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ने की हमारी अभिलाषा है । तो जहां हमने टैक्स की व्यवस्था की है वहां हमारी उत्कट इच्छा ही नहीं हमारी पूर्ण कोशिश इस बात की है कि हम अधिक से अधिक बचत उन क्षेत्रों में कर सकें जहां क्षमता को बिना खोये हुये हम अधिक उपयोगी कार्य कर सकें और उन व्यक्तियों से अधिक कार्य ले सकें जिनको हमने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने को नौकर रखा है । इस बचत की दृष्टिकोण से हमको साधन मुहइया करने हैं और यह देखना है क्या हम सही दिशा की ओर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं । मैं, इसलिये, छोटी-छोटी बातों में नहीं जाऊंगा जिन को कह कर हमारा मखौल उड़ाया गया बचत के सम्बन्ध में, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब हम किसी योजना के विषय में आक्षेप करें या व्यक्ति के ऊपर आलोचना करें तो हम कुछ परम्पराओं को मान कर चलें । यह शोभनीय नहीं है इस सदन के किसी माननीय सदस्य के लिये कि वास्तविकता से परे होकर असत्य की तरफ जाने की वह चेष्टा करे और उस को रख कर सदन के सदस्यों को ऐसी पिक्चर देने की चेष्टा करे जो वास्तविकता से परे हो । इस तरह की निजी बातों में जाना इस सदन की परम्पराओं को बिगाड़ना है ।

मैंने विरोधी दल के नेता की उस बात को उद्धृत किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ब्यूरोक्रैट्स के हाथ में खेल रहे हैं । वैसे तो किसी भी सरकार या समाज में जब नियोजन के कार्य होते हैं तो कुछ विशेषज्ञों की सलाह से और उन अधिकारियों की सलाह से होते हैं जो उन विभागों में वर्षों से काम करते आये हैं और कभी कभी उनको मुख्य मंत्री तथा मंत्रियों से अधिक अनुभव होता है । उनकी सलाह लिये बिना कोई सरकार नहीं चल सकती । कोई नया व्यक्ति आये और शीघ्रता में आदेश दे दे कि यह हो जाय, वह हो जाय, यह अनुचित होगा । तो इस बात की उत्तरोत्तर आवश्यकता रहेगी कि जो अधिकारीगण हैं वे भी उस भावना से सदा प्रेरित रहें जिस भावना से प्रेरित हो कर सरकार को कार्य करने की क्षमता अपने अन्दर पैदा करनी चाहिये । तो देखना यह है कि जो अधिकारी हमारे हैं क्या वे इस भावना से प्रेरित नहीं है ? मैं उस बात को मानने के लिये तैयार नहीं कि प्रत्येक अधिकारी उस क्षमता को नहीं रखता है, वह महज ब्यूरोक्रेट के रूप में कार्य करना चाहता है । मैं ऐसा समझता हूं कि जो आज अधिकारी हैं, जो आज विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जगहों पर कार्य कर रहे हैं वे भी देश के नागरिक हैं, वे भी देश को ऊंचा उठा हुआ देखना चाहते हैं । हो सकता है कि उनमें भी ब्लैक शीप हों । वैसे तो सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वालों में भी ब्लैक शीप होते हैं । लेकिन प्रत्येक को यह कह देना कि ब्यूरोक्रेट है, उन्हें हमारे प्रदेश की क्या आवश्यकता है, जनता की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिये इसका कोई ख्याल नहीं है, तो मैं विनती के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिये और तब हम सही प्रकार से जो नीतियां और जो आदर्श हमने निर्मित किये हैं उनका विश्लेषण कर सकते हैं । यदि इस सदन के माननीय सदस्यगण और विरोधी दलों के नेतागण इस दृष्टिकोण को अपनाने की तरफ ध्यान देंगे तो हमें सहायता देंगे ।

हम भूलें करते हैं, हमारी नीतियों में खामियां और कमियां ह, हमने कोई परफेक्ट बजट तो पेश नहीं किया। जिन कठिनाइयों में हमने यह बजट पेश किया है उन कठिनाइयों को अपने समक्ष रखते हुये इसको अच्छा बनाने के लिये जो बातें आप बतायेंगे वे हमें सहर्ष स्वीकार होंगी और कई माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये हैं। उन पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार ही नहीं करेंगे बल्कि ऐसे कई सुझाव हैं जिनको हम कार्यरूप में परिणत करेंगे। आखिर तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्य तो मिलजुल कर ही हो सकता है क्योंकि जिस योजना को पार्लियामेंट मंजूरी प्रदान करेगी, जिसे प्लानिंग कमीशन मंजूरी देगा, जिसे यह सदन मंजूरी देगा वह तभी पूरा किया जा सकता है जब उसके संचालन में प्रत्येक का सहयोग हो चाहे वह विरोधी पक्ष में हो चाहे वह इधर पीछे बैठता हो। तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। यदि अविश्वास के रूप में हम काम करेंगे तो जिन कार्यों में जनता को सहयोग देना है उनके कार्यान्वित करने में वह दिलचस्पी कैसे लेगी ? सारी पंचवर्षीय योजना का मतलब यदि कोई माना जा सकता है तो वह यही है कि इन योजनाओं के सम्पादन में प्रत्येक के सहयोग को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये चाहे वह सहयोग अधिकारी का हो, चाहे सरकारी व्यक्ति का हो और चाहे उधर बैठने वाले दलों के सदस्यों का हो, चाहे इधर बैठने वाले लोगों का हो। तभी हमने जो बजट और योजना बनायी है उसके पूरा करने में हम आगे बढ़ सकेंगे।

यह कहा गया कि हमने शुगरकेन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शुगरकेन अपने प्रदेश का एक बहुत बड़ा रोजगार है। मैं यह मानता हूं कि शुगरकेन का प्रोडक्शन अपने प्रदेश में कम है और हम दक्षिण के प्रदेशों से इसमें मुकाबला नहीं कर सकते हैं और इसलिये नहीं कर सकते हैं कि नेचर ने हमें वह सुभीते नहीं प्रदान किये हैं जो दक्षिण क लोगों को प्रदान किये हैं। वह अगर २८–३० एकड़ एक एकड़ में पदा करते हैं, दूसरी जगह अगर २४ और २६ एकड़ एक एकड़ में पैदा करते हैं तो हम ११ ही एकड़ पैदा करते हैं.....

श्री अध्यक्ष—जरा कन्फ्यूजन हो रहा है। एकड़ से एकड़ पैदा नहीं होता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—टन है, आई ऐम सारी। तो इसमें जो दिक्कत है वह तो नेचर ने हमारे बीच में पैदा की है। हमारे पास वह क्षमता नहीं है। साथ में यह भी है कि हमारे पास ट्रेन्ड परसोनेल की कमी रही है। हमारी जानकारी भी जो बहुत से अनुसंधान के कार्य हैं उनमें कम रही है। लेकिन उत्तरोत्तर क्या जो शुगरकेन पैदा करते हैं उनको सुभीता देने की ओर हमारा ध्यान नहीं है ? हमने जो उनको लोन दिये हैं, फर्टिलाइजर्स दिये हैं या इर्रीगेशन फैसीलिटीज दी हैं क्या उनसे उनका भला नहीं हुआ है, क्या उन्होंने उससे तरक्की नहीं की है ? फिर यह समझना कि जो गन्ना पैदा होता है उसके पेरने की हम व्यवस्था नहीं करते हैं, ठीक नहीं है। पिछली योजना में हमने चार फैक्टरियों के बनाने की योजना बनाई थी। उनमें से दो फैक्टरियां बन गई हैं और तीसरी की कल ही इजाजत मिली है।

इस आदरणीय सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य जानता है कि शुगरकेन और शुगर की समस्या बड़ी कठिन और परेशानी में डालने वाली है। हमारे यहां जो शुगर की पैदावार बढ़ गई है उससे यह समझ में नहीं आता है कि कहां खर्च की जाय, कहां बेंची जाय, कैसे रखी जाय, आज केंद्रीय सरकार के सामने यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। आज हमारे यहां की मिलों के गोदाम भरे पड़े हुये हैं। ऐसा समझा जाता है कि दूसरे सीजन में ११ लाख टन शुगर पड़ी रहेगी, जिसकी बिक्री नहीं हो सकेगी। यह भी प्रश्न सामने है और हमें सोचना है कि इसके एकरेज को हम उत्तरोत्तर बढ़ाते जायं और उसको बढ़ाने से सिलसिले में किसानों को हर तरह के सुभीते देते चले जायं। और यदि ऐसा होता चला गया तो एक समय आयगा जब कि हम उसकी बिक्री नहीं कर सकेंगे। चूंकि हमारी शुगर दूसरे देशों की शुगर से मुकाबला नहीं कर सकती है। दोनों में बहुत बड़ा अन्तर रहता है तो कैसे हमारे यहां की शुगर दूसरे देशों में जायगी ? यही हो सकता है कि केंद्रीय सरकार सबसीडाइज करे और यदि करे तो करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

श्रीमन्, उत्तर प्रदेशीय सरकार के लिये यह कहना कि शुगरकेन के प्रोडक्शन के सिलसिले में वह किसानों की मदद नहीं करती है, यह बात भ्रांति से भरी हुई है। हमारी बराबर कोशिश रहती है कि हमारे यहां के किसानों को सहायता मिले और उनको जो यह कैश क्राप है इसकी उनको अधिक से अधिक कीमत मिले। बराबर केंद्रीय सरकार को प्रदेशीय सरकार की ओर से कहा जाता है कि इसकी अधिक कीमत रखी जाय। लेकिन केंद्रीय सरकार क्योंकि सारे देश के सिलसिले में जो कीमत शुगरकेन की होनी चाहिये, उसके विषय में वह निर्णय लेती है, वह हमारी विचारधारा या बिहार सरकार की विचारधारा से सहमत नहीं होती है, इसलिये हम उस बात को पूरा नहीं कर पाते हैं जिसको पूरा करने के लिये सदन के माननीय सदस्य बराबर कोशिश करते रहते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि केंद्रीय सरकार हमारे सुझावों पर अमल करने के लिये तैयार नहीं रहती है। लेकिन यह कहा जाय कि प्रदेशीय सरकार किसानों के लिये सुभीता देने के लिये उत्सुक नहीं है या अधिक कीमत दिलाने की चेष्टा नहीं करती है, यह वास्तविकता से परे है।

इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है कि इस बजट में हरिजन भाइयों के लिये या बैकवर्ड क्लास के लिये जो धनराशि रखी गयी है, वह बहुत ही कम है। सही है, २ करोड़ २५ लाख रुपये की धनराशि कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं है। लेकिन क्या हम और आप नहीं जानते हैं कि जो सारे विकास के कार्यों में धनराशि व्यय होती है तो उस व्यय किये हुये धन में हरिजन भाइयों का या बैकवर्ड क्लास के लोगों का हिस्सा नहीं रहता है? यदि हम इर्रीगेशन की फैसिलिटीज अधिक देते हैं, ट्यूब वेल्स अधिक बढ़ाते हैं, लोन की व्यवस्था किसानों के लिये रखते हैं या कंसोलिडेशन की स्कीम रखते हैं तो क्या इनसे हरिजन या बैकवर्ड क्लास के भाइयों को फायदा नहीं पहुंचता है। इन सीमित साधनों के रहते हुए यदि इतनी धनराशि कम रखी गई है तो यह भी उसी प्रकार के दृष्टिकोण का परिचायक है जो इसीलिये छिद्रान्वेषण करते हैं कि उन्हें करना है, वरना सारे जितने हम प्रगति के कार्यों में धन व्यय कर रहे हैं उसमें हरिजनों का भी तो हिस्सा है, उसमें बैकवर्ड क्लासेज का भी हिस्सा है। यदि हम शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करते हैं तो क्या उसमें बैकवर्ड भाइयों का हिस्सा नहीं है? यदि देहातों के क्षेत्र में लड़कियों की तालीम को मुफ्त करते हैं तो उसमें हरिजन या बैकवर्ड क्लास के बच्चे क्या तालीम से फायदा नहीं उठावेंगे? तो फिर यह सवाल क्यों बार बार उठाया जाता है कि हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज के लिये धनराशि कम रखी गयी है। मैं जानता हूं कि यह चुनाव का साल आ रहा है। हरिजनों के पास लोगों को जाना है, मुसलमानों के पास लोगों को जाना है और कहना है कि हरिजन भाइयों के सिलसिले में हमने यह बात रखी थी। यह दरशाने की कोशिश की जाय तो यह तो हो सकता है कि ऐसे लोग यह कहें कि हरिजनों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं तो यहां अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूं कि हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के लोगों का हिमायती कांग्रेस या कांग्रेस की सरकार से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। आज यदि हरिजन भाई बराबर का अधिकार पाये हुये हैं और आज असेंबली में अपनी जनसंख्या के अनुपात में आये हुये हैं तो वह किसकी बदौलत आये हुये हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस कांस्टीटुयेंट असेम्बली की बदौलत उनको यह अधिकार नहीं मिला है जहां हमारे प्रजा समाजवादी भाइयों ने जाने से इनकार किया था और कहा था कि यह कुछ भी नहीं कर सकेंगे? आज जो हमारे हरिजन भाई यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह तो कांग्रेस की ही बदौलत है। यह तो उन सरकारों की ही बदौलत हैं जिन सरकारों के प्रतिनिधियों ने कांस्टीटुयेंट असेम्बली में जाकर उनको यह अधिकार प्रदान कराया है। तो फिर आज जनता के बीच में यह कहना कि अमुक दल हरिजन भाइयों का अधिक सेवक है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात भी भ्रामक है और उस ध्येय से हमको अलग करने की कोशिश करती है जिस ध्येय को रखकर हम इस सदन में कार्य करना चाहते हैं।

कई बातें जो हमने एकोनामीज के सिलसिले में की है उस संबंध में बतायी गयी हैं और कुछ सुझाव भी दिये गये हैं कि इतने ऐसे विभाग हैं जिनको संतुलित किया जा सकता है और संतुलन के साथ उनको चलाया जा सकता है। जैसा मैंने पूर्व में ही निवेदन किया कि ये तमाम सुझाव हमारी सरकार के सामने हैं, हमारे अधिकारीगण और सचिवगण उन पर विचार कर रहे हैं। किसी सदस्य ने कहा कि हरिजन वेलफेयर डाइरेक्टोरेट और शोशल वेलफेयर डाइरेक्टोरेट अलग रखने की आवश्यकता नहीं है। कई ऐसे डाइरेक्टोरेट हैं जिनके ऊपर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है और कई जिले के स्तर पर गजेटेड अधिकारी हैं जिनके बारे हम सोच रहे हैं कि इनके कार्य को संतुलित क्यों न किया जाय; तीन-तीन व्यक्तियों की तहत में उसको किया जाय बजाय इसके कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों की तहत में वह कार्य रखा जाय। परन्तु यह योजना ऐसी है जिसके विचार में समय लगने वाला है, यह इतनी जल्दी से निर्णय होने वाला नहीं है और इसके बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हम अभी एकोनामी के सिलसिले में बहुत से कार्यों के संबंध में विचार कर रहे हैं और हमारा कदम एकोनामी की कई दिशाओं में उठने वाला है। सदन हमें विचार करने और योजना बनाने का समय दे और उस कार्य में हमारी सहायता भी करे। यदि हम एकोनामी का वातावरण नहीं बनायेंगे, यदि हम मजाक ही करते रहेंगे तो वह वातावरण हम अपने बीच में, अपने अधिकारियों के बीच में और समाज के बीच में पैदा करने में असमर्थ रहेंगे।

विरोधी दल के नेता ने एक बात यह भी कही थी कि जो आंकड़े भूलेख इत्यादि के जिलों जिलों से इकट्ठे किये जाते हैं उनमें ७५ और ७० फीसदी गलतियां हैं....

श्री त्रिलोकीसिंह—भू-अभिलेखों में।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने इस बात को जानने की कोशिश की और मुझे जो आंकड़े बोर्ड आफ रेवेन्यू से मिले हैं उन आंकड़ों की बिना पर मैं यह सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात माननीय विरोधी दल के नेता ने कही है वह बात सही नहीं है क्योंकि १ लाख ५ सौ गांव हैं, उनमें पिछले वर्ष ९७ हजार गांवों में पड़ताल की गयी और जो मुझे इत्तला दी गयी है वह यह है कि खसरा में ६.४ परसेंट गलतियां पायी गयीं, खतौनी में ६ परसेंट गलतियां पायी गयीं और मैप करेक्शन में १.६ परसेंट गलतियां पायी गयीं।

इस प्रकार माननीय नेता विरोधी दल की वह इत्तला सही नहीं है। जो इत्तला सही नहीं है उसकी बुनियाद पर यदि उनकी सारी स्पीच बेस्ड हो और उससे अधिकारी वर्ग और सरकार की आलोचना की जाय तो मेरा निवेदन है कि उस परम्परा में भी तब्दीली आनी चाहिए। तभी सही प्रकार हम चीजों को आंक सकते हैं और उन पर कार्य कर सकते हैं। विरोधी दलों का यह अधिकार है और सही अधिकार है कि किसी सरकार को सही प्रकार कार्य करने के लिए उसकी गलतियों और भूलें उसके सामने रखें और सरकार का कर्त्तव्य है कि जो गलतियां और भूलें हैं, महज प्रेस्टिज का इश्यू बना कर अमल न करे बल्कि सही बात को समझने की चेष्टा करे, और उन गलतियों को दूर करें।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यह कहा गया कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बढ़ता जा रहा है। मैं भी पहले इस विचार का था कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले में अपने प्रदेश में ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बहुत बढ़ गया है। लेकिन जब मैंने आंकड़े संकलित किये तो यह बात सही सिद्ध नहीं हुई। यों तो सरकार मानती है, जैसा कि मैंने कहा हमने बहुत विभागों में जिला स्तर पर काफी गजेटेड आफिसर्स नियुक्त कर दिये हैं। वह ऐसा विषय है जिस पर हमें पुनः विचार करना चाहिए। सरकार उन पर पुनः विचार कर रही है और उत्तरोत्तर यह चेष्टा है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा घटे और वह खर्चा घटकर उन कार्यों में लगे जिन कार्यों को पूरा होने की आप सब कोशिश करना चाहते हैं और सरकार भी कोशिश करना चाहती है।

मैंने जो आपका समय लिया है उसमें केवल दो-तीन बातों की तरफ ही आपका ध्यान खींचा है। बातें तो विभागों के सम्बन्ध में बहुत सी कही गई हैं। हमारी एक्साइज

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

पालिसी के सिलसिले में कहा गया, प्राहिबिशन पालिसी के सिलसिले में कहा गया। प्राहिबिशन की नीति के सिलसिले में मैं यही कह सकता हूं कि प्राहिबिशन की नीति में कोई परिवर्तन है नहीं लेकिन जो हमने एक्साइज ड्युटी को बढ़ाने का निर्णय लिया है वह इस बुनियाद पर लिया है कि उसी प्राहिबिशन को आगे बढ़ाने के लिये आज जो ड्रिंकिंग हैबिट्स बढ़ती जा रही हैं उनमें रुकावट डालने के लिये एक्साइज ड्यूटी का आयोजन किया गया है।

जो बातें छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों के सिलसिले में कही गयीं, उस संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम स्वतः संतुष्ट नहीं हैं कि जितनी हम छोटे कर्मचारियों को तनख्वाहें देते हैं, वे काफी हैं। परन्तु जैसा मैंने कहा कि साधन जितने हमारे पास हैं उन साधनों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी सामने रखते हुए कि अन्य प्रदेशों में किस तरह से साधन मुहइया किये जा रहे हैं, और किस तरह से तनख्वाहों में वृद्धि की जा रही है, उस बात को सामने रखते हुए हमारी अवश्य ही यह चेष्टा है कि जिन्हें तनख्वाह कम मिल रही है उनकी तनख्वाहों में अपने साधनों के अन्दर रहते हुये जहां तक वृद्धि हम कर सकते हों, वह करें। हमने उसी कारण से प्राइमरी टीचरों की तनख्वाहों में चार रुपये की वृद्धि की है, यद्यपि चार रुपये की रकम जो प्राइमरी मास्टरों की हमने बढ़ायी है वह कोई संतोषजनक रकम नहीं है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं लेकिन जब हमने सारी निगाह उन तमाम योजनाओं के ऊपर डाली जिनके लिये हमने स्वतः प्लानिंग कमीशन को रजामन्दी दे दी थी और उनमें कमी करने पर विचार किया तो बहुत विचार करने पर भी बहुतों का काट नहीं पाये। ताहम हमने अपना यह कर्त्तव्य समझा कि जो प्राइमरी टीचर हैं और जिनकी तनख्वाहें कम हैं उनमें हमें कुछ वृद्धि करनी चाहिये और उसके लिये हमने एक कदम उठाया।

इसी तरह से जूनियर हाई स्कूल के जो अध्यापक हैं, जिनको १०० रुपये तक वेतन मिलता है वह भी हम समझते हैं कि उनके लिये माकूल नहीं है। हम यह महसूस करते हैं कि उनकी तनख्वाहों में भी वृद्धि होनी चाहिये। लेकिन वह हम कर नहीं पाये। ताहम हमने जो एक कदम उठाया है वह इस बात का द्योतक है क्योंकि आखिर जो एक लाख, डेढ़ लाख आदमियों की तनख्वाहों में चार रुपये की वृद्धि की गई उसकी वजह से साठ सत्तर लाख रुपया बढ़ जाता है और ५ साल में देखा जाय तो कई करोड़ रुपया हो जाता है। यद्यपि जितनी हमारी अभिलाषा थी वह हम पूरी कर नहीं पाये, परन्तु जितनी कमी अभी तक हम कर पाये हैं और आइंदा जितनी हम कमी और कर पायेंगे उस कमी को सामने रखते हुये यह हमारी चेष्टा अवश्य होगी कि जिनकी तनख्वाहें कम हैं और जिनको कि बढ़ना चाहिये, उनको हम बढ़ाने की अवश्य चेष्टा करते रहेंगे। यह हमारी ख्वाहिश ही नहीं है वरन् इस ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी चेष्टा पिछली सरकारें जो रहीं वह करती रही हैं और इस सरकार की भी बराबर यह चेष्टा रहेगी कि हम उनकी तनख्वाहों में वृद्धि करें।

मैंने चन्द मोटी मोटी बातें सदन के सामने प्रस्तुत कीं और उन बातों को रखते हुये मैं यही कहना चाहता हूं कि हम एक ही भावना से प्रेरित हैं और वह यह कि हमारे प्रदेश का विकास हो, खेती और रोजगार बढ़े, उद्योग धंधे पनपें। मैंने निवेदन किया था कि हम खेती के कार्य को तो बढ़ाना ही चाहते हैं और वह एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व भी हमारा है क्योंकि पंचवर्षीय योजना में जो उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश के ऊपर डाला गया है, अगले पांच वर्षों में जितनी पैदावार सारे देश में बढ़नी है उसका २२ प्रतिशत उत्तर प्रदेश को पूरा करना है, तो यह एक बड़ा उत्तरदायित्व है और वह तभी निभाया जा सकता है जब हम उसके लिये अधिक से अधिक साधन मुहइया करते हुये किसान की पैदावार को बढ़ाने में भी अपना कदम बराबर उठाते र जिससे कि किसान बराबर आगे बढ़ सके।

यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी नीतियां जो मजदूरों के प्रति हैं, उनके संबंध में भी आलोचना की गई। सदन के कई सदस्यों ने यह कहा कि सरकार की नीति तो पूंजीपतियों के समर्थन की है, सरकार तो पूंजीपतियों का समर्थन करती है और मजदूरी को जो असुविधायें पूंजीपति देते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। तो यह कंसीलिएशन की मशीनरी जो सरकार ने बना रखी है और जिसमें लाखों रुपया सरकार व्यय कर रही है क्या यह मजदूर के हितों की रक्षा करने के लिये नहीं बनी है? आज भी कुछ मजदूरों के नेतागण महज अपनी तरफ मजदूरों को खींचने के लिये जो एग्रीमेंट के कार्य होते हैं उनके विरुद्ध भी वह कार्य करते हैं और उत्पादन में रुकावटें डालते हैं। क्या तो वह इस तरह मजदूरों की सहायता कर रहे हैं? क्या वह मजदूरों के सहयोगी हैं?

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मजदूरों के नेता और जो मजदूरों में कार्य करने वाले मजदूरों को बहकाने की चेष्टा करते हैं और जो मजदूरों की उचित मांगें हैं उनको उन तरीकों से जिनके लिये कि हमने कंसीलिएशन की मशीनरी बना रखी है, उनके द्वारा पूरा कराने की कोशिश नहीं करते, वह उन समस्याओं के समाधान में एक रोड़े अटकाते हैं और वह यह कार्य करते हैं जो कि उन्हें आज के समय में जबकि हमें उत्पादन को बढ़ाना है, नहीं करना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इस तरह का कार्य करेंगे और जो इस प्रकार उत्पादन में रुकावट डालेंगे, जो एग्रीमेंट है उसके विरुद्ध कार्य करेंगे, जो कंसीलिएशन की मशीनरी को मंजूर करते हुये भी उसके विरुद्ध कार्य करेंगे, उन यूनियन्स के समर्थक हम नहीं हो सकते और हम उनका साथ नहीं दे सकते जो कि आज उस उत्पादन में रोड़े अटकाने के लिये उद्यत हैं।

आज तो प्रत्येक कार्यकर्त्ता का, मजदूर का, किसान का यह कर्त्तव्य है कि उत्पादन को वह अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाये और जो उस उत्पादन में रोड़ा अटकाता है, शासन का कर्त्तव्य है कि उस रोड़ा अटकाने वाले व्यक्ति का साथ न दे, उसे सहयोग न दे और उस पर वही सारी कार्यवाही करे जिसे कानून करने की इजाजत देता है। यह कहना कि सरकार दे ४८ के बजाय ५२ घंटे सप्ताह में काम करने की इजाजत दे दी है, मैं नहीं जानता कि यह कहां की उपज है। मैं नहीं जानता कि कैसे ४८ के बजाय ५२ घन्टे कानपुर का मजदूर काम करेगा, लेकिन यह कहा जाता है। यह नितांत भ्रमात्मक बात है और यह मजदूरों को बहकावे में डालने वाली बात है। आज उस प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि, जो चाहता है कि मजदूर की दशा सम्हले, वह उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो और उन चीजों का उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो जिनकी देश और प्रदेश की जरूरत है। अगर उन चीजों को पैदा ही नहीं होने दिया जायगा तो मजदूर की हालत कैसे सुधरेगी?

एक सदस्य—आप तालाबन्दी कराइये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं यह कहना चाहता हूं कि जो तालाबन्दी करेगा और जो स्ट्राइक करेगा वह हमसे समर्थन, सहयोग नहीं पायेगा। हम उसका विरोध करेंगे और उसके विरुद्ध वही उचित कार्यवाही करेंगे कि जिसे करने की कानून हमें इजाजत देता है।

मैं अधिक समय आपका और सदन का नहीं लेना चाहता। अंत में सदन से नम्रता-पूर्वक यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दृष्टिकोण को मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उस दृष्टिकोण को अपनाते हुए सदन के सदस्यगण इस बजट को देखने की चेष्टा करें और यदि उस दिशा में देखने की वह चेष्टा करेंगे तो उससे इस बजट में वे वह चीज पायेंगे कि जिससे किसान का स्तर बढ़ेगा, प्रदेश के रहने वालों को सुभीता मिलेगा, मजदूरों को सुभीता मिलेगा, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत होगा, जिसमें स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ेगी और जिसमें किसानों की पैदावार बढ़ेगी, प्रदेश के रहने वालों की आमदनी बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी और प्रदेश एक भारी कदम आगे आने वाले भविष्य की ओर ले सकेगा जिसे हम गौरवमय बनाना चाहते हैं और जिसे गौरवमय बना कर अपनी आगे आने वारी औलाद की अधिक सेवा करना चाहते हैं।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मैं इन चन्द शब्दों के साथ अपने दृष्टिकोण को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए सदन से प्रार्थना करता हूं कि बजट को वह इस रूप में देखने की चेष्टा करे जिस रूप में अपनी इस आकांक्षा और अभिलाषा को रखते हुए इस सदन में यह पेश किया गया है।

श्री अध्यक्ष—(श्री त्रिलोकीसिंह से) आप कोई वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहते हैं ?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—जी हां। मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में, मान्यवर, यह कहा कि भू-अभिलेखों में ७५ फीसदी गलतियों की बात का जिक्र, जो मैंने किया था, वह सही नहीं है। मैं आपके द्वारा उन की सेवा में केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा मतलब था और है कि इतनी गलतियां हैं इसकी पुष्टि जो सरकार के माल विभाग द्वारा चकबन्दी की अनेक रिपोर्टें जो समय-समय पर प्रकाशित हुई हैं उनसे हो सकती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन आंकड़ों और गलितियों का जिक्र किया है वे वह गलतियां है जिनको अधिकारियों ने अपने दौरे के दरम्यान खुद पकड़ा। मुझे इतना ही अर्ज करना है।

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बजट के संबंध में जो बहुत सी आलोचना की गयी उसका उत्तर दिया। आज ५ दिनों से इस बजट पर जो आलोचनायें हो रही है वह मेरे लिये तो इस दृष्टि से सुखद अवश्य थीं कि उनसे मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि भवन के सभी माननीय सदस्य और विशेषकर वे, जो उस ओर बैठे हुए हैं, देश और प्रदेश के विकास में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन मैंने यह देखा और मुझे दुख हुआ कि उनकी नजर केवल उन चीजों पर ही पड़ी जिसको कि वे नहीं चाहते थे। यदि किसी का वेतन बढ़ाया गया, यदि किसी को कोई सुविधा पहुंचायी गयी, यदि प्रदेश का स्तर ऊंचा किया गया, तो उस ओर उनकी दृष्टि नहीं गयी। उनकी दृष्टि केवल उन्हीं बातों की तरफ गयी कि टैक्स बढ़ा दिया गया, जो छूट दी गयी थी, रिबेट दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह देश के लिये एक दुर्भाग्य की बात है। जब देश एक संकट की स्थिति से गुजर रहा हो, उस समय विपक्षी दल का यही कर्त्तव्य नहीं रहता कि वे एक सीमित दायरे में ही रहें, वरन् उसको कुछ अन्य बातों की तरफ भी विचार करना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश का भविष्य अन्धकारमय हो सकता है।

अब मैं यह बतलाना चाहता हूं कि आखिर योजना बनती क्यों है। आप इसका इतिहास भी जानते होंगे। पहले आर्थिक व्यवस्था में योजना का कोई स्थान नहीं था। सर्वप्रथम जब दुनिया की राजनीति ने पलटा खाया, जब दुनिया में दूसरे किस्म की राजनीति आयी, जहां डिक्टेटरशिप ने जन्म लिया, सबसे पहले उन लोगों ने योजना के आधार को अपनाया। फिर धीरे धीरे डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज ने भी योजना के आधार को अपनाया और उनमें अमेरिका सर्व प्रथम था। श्रीमन्, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जहां पर डिक्टेटरशिप होती है, जहां किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता, जहां किसी की जबान भी नहीं खुल पाती, वहां पर जितना भी योजना का लक्ष्य बनायें, वह पूरा हो जाता है और वह उसकी लोग पूर्ति के लिये मजबूर हो जाते हैं। श्रीमन्, यह सत्य है कि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज में जब योजनाओं को प्रस्तुत किया जाता है तो उस का एक लक्ष्य निर्धारित करके ही उपस्थित किया जाता है। उसके कार्यान्वियन होने में जरूर देर लगती है। जहां डिक्टेटरशिप होती है वहां उनके पूरे होने उतनी देर नहीं लगती।

मैंने श्रीमन्, यहां पर भाषणों को सुना और मैं समझता हूं कि इससे गलत बात कोई हो नहीं सकती कि जनता को इस तरह से हतोत्साहित किया जाय। हम अपनी योजनाओं को

जनता को हतोत्साहित करके पूरा नहीं कर सकते। मैं विरोध पक्ष को इस बात के लिये तो बधाई देता हूं कि वह अपने इस कार्य में जरूर सफल हुये हैं। मैंने श्रीमन्, एक पुस्तक पढ़ी थी, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, किन्तु वह पुस्तक इस बारे में थी कि फ्रांस लड़ाई कैसे हार गया। उसमें लिखा हुआ था कि जर्मनी ने थोड़े से फ्रांस के व्यक्तियों को खरीद लिया और उनको काला धागा पहना दिया जिसे कि मरने के समय पहनाया जाता है। वह फ्रांसीसी फिर फ्रांन्स भेज दिये गये। वह लोग किसी रेस्ट्रां में एकत्र होते थे और वह एक जगह बैठ कर रोने लगते थे। लोग वहां एकत्र हो जाते थे और समझने लगते थे कि उसके यहां जरूर कोई मर गया है, स्त्री मर गयी है, या कोई बच्चा मर गया है, या और कोई मर गया है। तो जब भीड़ एकत्र हो जाती थी तो वह लोग कहते थे कि तुम लोग तो खुशी मना रहे हो, जर्मन लोग हमारा सत्यानाश करने पर तुले हुये हैं, हमारे ऊपर विपत्ति आने वाली है, वह दिन आ रहा है कि जब हम लोग तबाह हो जायेंगे और मर जायेंगे। इस तरह उनके द्वारा प्रचार करने का परिणाम यह हुआ कि वहां भी जनता हतोत्साहित होने लगी। उसमें लड़ने की कोई शक्ति नहीं रही। जैसे उस किताब में लिखा था, जब जर्मनी की फौज मगीनो लाइन को पार करके उधर गई तो फ्रांस में इस तरह से घुसी जैसे मक्खन में छुरी घुसती है। मैं यह नहीं मानता कि इधर की सीट्स हमेशा के लिये कांग्रेसवालों के लिये ही बंद हो गई। ऐसा होना देश के लिये दुर्भाग्य की बात होगी। डैमोक्रेसी में कहीं ऐसा नहीं होता है। विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि भाषण देते समय वह यह भी ध्यान में रखें कि शायद उनका भी भाग्य कभी खुल जाय कि इन कुर्सियों पर आकर बैठें, तो उस समय उनकी क्या भाषा होगी। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को न भूलें कि आप भी प्रतिनिधि हैं उन्हीं लोगों के जिनकी सेवा हमको मंजूर है और आपको भी शायद मंजूर होगी ही।

मुझे सबसे बड़ा धक्का नेता विरोधी दल से लगा जब उन्होंने ४ रुपये की वृद्धि की, वेतन में, खिल्ली उड़ाई। जहां दिया गया उसकी भी प्रशंसा उनके यहां से नहीं आई तो जहां नहीं दिया गया वहां तो प्रशंसा का कोई सवाल ही नहीं था। भला कौन ऐसा होगा जिसके हाथ में साधनों की बागडोर हो और वह यह न चाहे कि बिला टैक्स लगाये अगर धन एकत्र इतना हो जाय कि प्रान्त के हर नागरिक को बिला शुल्क ऊंचे से ऊंची शिक्षा दी जाय, नहर का पानी बिला किसी रेट के दिया जाय, बिला किसी प्रकार की आय उनसे किये सभी साधन जुटाये जावें? कौन नहीं चाहेगा इसे करना?

सरकार की समझ में जो आया कि यहां से उपलब्धियां हो सकती हैं, यहां से कुछ मिल सकता है, वह कौन-सी उपलब्धि हो सकती है जिससे कम से कम बोझ जनता के ऊपर पड़े और किस तरह से हम अधिक से अधिक सुविधा जनता को दे सकें जिससे उनका स्तर ऊंचा हो, यह हमने सोचा। मुख्य मंत्री जी ने भी कहा और आंकड़े भी बताते हैं कि हमारी आमदनी पहले से घटी है। हिन्दुस्तान में और प्रान्तों की अपेक्षा भी मान लीजिये कि घटी है। लेकिन वह बढ़ाई कैसे जावेगी? क्या इन भाषणों और आलोचनाओं से वह बढ़ने वाली है?

मैं नेता, विरोधी दल, को बड़े आदर की दृष्टि से देखता हूं। जिस समय उनका भाषण हो रहा था उस वक्त खाने का समय था लेकिन मैं केवल इसलिये यहां से नहीं उठा कि देखूं कि कहां से रुपये की प्राप्ति होगी, इसका कुछ सुझाव नेता विपक्षी दल से जरूर आवेगा। लेकिन मुझे निराशा तब हुई जब बजट के इस पहलू पर वे आखिर तक चुप ही रहे और अपनी आलोचना वहां तक जारी रखी, जहां तक वे कर सके और उनको ऐसा करने का अवसर मिल सका।

श्रीमन्, बजट के संबंध में इस सरकार को और सदन को यह देखना पड़ता है कि हमारे प्रान्त की आर्थिक हालत क्या है, आया वह दिवालियेपन की ओर जा रही है या वह सुदृढ़ है। श्री राजनारायण जी जो एक दल विशेष के नेता हैं उन्होंने यहां एक ऐसा

[श्री हरगोविन्द सिंह]

नक्शा खींचा जिससे यह मालूम होता था कि हम दिवालियेपन की ओर जा रहे हैं और निकट भविष्य में हम इस सरकार को जरूर अदालत के सामने ले जाना चाहते हैं यह कहने के लिये कि यह प्रदेश दिवालिया हो गया है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति केवल यह है कि हमारे ऊपर २८८ करोड़ का ऋण है जो या तो गवर्नमेंट आफ इंडिया का है या पब्लिक डेट है जो वक्तन-फवक्तन लिया गया है। वास्तव में दिवालिया वह है जो कर्जा तो ज्यादा ले ले लेकिन उसकी अदायगी का प्रबन्ध न करे या कर्जा दे सकने लायक उसके पास असेट्स न हों। लेकिन जब हम असेट्स को देखते हैं तो हमारे पास ३६९ करोड़ के असेट्स हैं जब कि कर्जा केवल २८८ करोड़ है। इसके अलावा ६९ करोड़ अनेक फंडों और सिंकिंग फंड में जमा है। यह हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति है। इससे यह स्पष्ट है कि हम सुदृढ़ नींव पर हैं। इसलिये कर्जा लेने से यह आशंका नहीं है कि हमारा आर्थिक ढांचा बिगड़ जायगा।

अब श्रीमन्, यह कहा गया कि यह बजट हमको समाजवादी व्यवस्था की ओर नहीं ले जा रहा है।

श्रीमन्, इस बात का दावा तो मैं नहीं करता कि मैं समाजवाद का कोई बड़ा भारी पंडित हूं। यह अधिकार तो राजनारायण जी को ही हो सकता है और उनसे कुछ बचे तो नेता विपक्षी दल को हो सकता है। तो हमें तो यह अधिकार नहीं हो सकता कि हम यह कहें कि हम भी समाजवाद को जानते हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि समाजवाद की ओर ले जाने वाला बजट कैसा होगा। क्या उसमें कोई प्राप्ति और टैक्स नहीं होगा? मैं तो समाजवाद की एक ही परिभाषा जानता हूं, मुमकिन है आज की स्थिति में वह गलत हो गयी हो और शायद गलत हो भी गयी है, वह यह कि समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को विकास का समान अवसर मिल सके और दूसरे यह कि प्रत्येक व्यक्ति से, जितना कि वह समाज को दे सकता हो उससे लिया जाय और जितनी उसकी जरूरत हो उतनी उसको दी जाय। मैं अब तक यही समझता था।

श्रीमन्, यदि यह परिभाषा सही है तो समाज के संगठन के बारे में कोई योजना की बात होगी तो क्या---समाज में गरीबी हो, समाज का उत्पादन नीचे स्तर पर हो, जहां भूख से भी लोग पीड़ित हो सकते हैं, जहां मकान के बगैर भी लोग रह सकते हैं, जहां तन ढंकने के लिये वस्त्र भी नहीं मिल सकता है---तो क्या उस समाजवाद में भी यही व्यवस्था होगी? मैं नहीं समझता कि वह समाजवादी बजट किस प्रकार बन सकता है। जैसी मैंने परिभाषा दी उसी के अनुसार मैंने इस बजट की रचना की कि कम से कम दो बातें इसके अन्दर होनी चाहिये। एक तो यह कि अधिक से अधिक लाभ उन शक्तियों को मिलना चाहिये जो कि उत्पादन का कार्य कर रही हैं, जिनके द्वारा प्रान्त का उत्पादन बढ़ सकता है, जिनके द्वारा प्रान्त का धन बढ़ सकता है। उन शक्तियों की हम यथा शक्ति अपने आर्थिक लिमिटेशन को देखते हुए जितनी मदद कर सकते हैं, करनी चाहिये। उस दृष्टि से अगर देखें तो मैं समझता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले साल का यह बजट है।

दूसरी योजना के सम्बन्ध में जो आंकड़े हैं उनको भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। फूड ग्रेन्स का उत्पादन १९५५-५६ में ११८.७ लाख टन था जो १९६०-६१ में जाकर बढ़ गया। कहा यह गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई उत्पादन ही नहीं बढ़ा लेकिन यह बात सही नहीं है। उत्पादन बढ़ कर १३५.४ लाख टन हो गया। यह बात दूसरी है कि १४० लाख टन का जो टार्गेट रखा गया था उससे यह नीचे रहा लेकिन उत्पादन बढ़ा। तो वह सन् १९५५-५६ में था ११८.७ और १९६०-६१ में वह बढ़ कर १३५.४ हो गया। इसी तरह से शुगरकेन का १९५५-५६ में था २९.४ और वह सन् १९६०-६१ में ३५.७ हो गया। यह हमारे टार्गेट से कम जरूर है लेकिन.....

श्री गौरीशंकर राय (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मेरा वैधानिक प्रश्न है कि जब अभी यह फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ तो इसके आंकड़े मंत्री जी के पास कहां से आ गये ?

श्री अध्यक्ष—उनका कहना यह है कि इस वक्त की रबी की फसल तो अभी खलियान में ही है फिर उसके आंकड़े कहां से आ गये, यह मंत्री जी बता दें।

श्री हरगोविन्दसिंह—यह तो रिवाइज्ड हैं, अभी और बढ़ेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप एस्टीमेटेड कहिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—अच्छा एस्टीमेटेड ही सही। रिवाइज्ड एस्टीमेट पर यह बेस्ड हैं। मैं यह कह रहा था कि जो टार्गेट था उस तक हम नहीं पहुंच सके यह बात सही है लेकिन जो काम हुआ है और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि आखिर धन का उत्पादन तो धन से ही होगा, इनवेस्टमेंट पहले होना चाहिये अगर वह काफी नहीं होगा तो उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकता जितना कि आप चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो प्लान आउटले था और जो हमने मांग की थी प्लानिंग कमीशन से वह ७२४ करोड़ का था और उसमें से हमें ४९७ करोड़ मिला और वह भी इस शर्त पर कि हमें भी १४५ करोड़ रुपया अपने रिसोर्सेज से ले आना होगा। और तब आप को यह ४९७ करोड़ मिलेगा।

मैं माननीय सदस्यों से यह पछना चाहता हूं कि वह चाहते क्या हैं ? अगर वह यह चाहते हैं कि यहां कोई योजना कार्यान्वित न की जाय तब तो बात दूसरी है लेकिन यह बात किसी माननीय सदस्य ने नहीं कही। हमारे सामने बहुत सी दिक्कतें हैं। एक तो हमारे पास रुपया बहुत कम है और दूसरे टेक्निकल परसनल की कमी है, एक्सपीरियेंसज नहीं है क्योंकि प्रजातांत्रिक देशों में अभी प्लानिंग नई नई आई है और उसका अनुभव धीरे-धीरे होता है। फारेन एक्सचेंज की भी कमी है। विकास कार्यों में जिन चीजों की जरूरत होती है बहुत-सी वह वस्तुयें बाहर से आती हैं और उन को मंगाने के लिये फारेन एक्सचेंज चाहिये जिसकी कमी है। फिर भी दिक्कतें जो भी हों हमें आगे चलना है। हमें यह भी देखना चाहिये कि अगर ये योजनायें न होंती तब प्रदेश की हालत क्या होती। हो सकता है कि आज जो यहां की पर-केपिटा आय है उससे भी वह उस हालत में कम होती और गरीबी और दरिद्रता और अधिक बढ़ती। आप के यहां दरि ता है, उत्पादन इतना अधिक नहीं है, आवश्यकतायें ज्यादा हैं, तो दरिद्रता बढ़ती है। इस चक्रव्यूह को आप कैसे तोड़ेंगे ? तोड़ने का तो एक ही उपाय हो सकता है कि आप कहीं से अपने धन में, अपने कोष में वृद्धि करें। उस वृद्धि को कार्य में लगाएं, उससे अधिक धन पैदा करें। तब तो यह चक्रव्यूह टूट सकता है। दूसरा कोई रास्ता मेरी समझ में नहीं आता और न किसी ने बताया कि इस चक्रव्यूह को तोड़ने का दूसरा तरीका यह हो सकता है।

तो श्रीमन्, यह देखा गया कि प्रान्त की आर्थिक स्थिति जो है वह सुदृढ़ है। वह बैंक्रप्सी की तरफ नहीं है। उसकी साख बाजार में बहुत ऊंची है। हम रुपया किसी तरह से एकत्रित करके इस बात का प्रयत्न निरन्तर कर रहे हैं कि हमारे यहां की उत्पादन शक्ति बढ़े।

कहा गया कि यह तो पूंजीवादी बजट है। राजा-महाराजाओं को हमने समाप्त किया, जमींदारी को हमने तोड़ा, बड़े बड़े टैक्स पूंजीपतियों पर हमने लगाए और हमको पूंजीपतियों का दोस्त कहा जाता है। यह उल्टी बात हमारी समझ में नहीं आई। इसी साल का बजट ले लीजिये। २ करोड़, ३ करोड़ रुपया काटेज इंडस्ट्रीज के लिये दिया गया और ४५ लाख हैवी इंडस्ट्रीज के लिये दिया गया। परन्तु हम पूंजीपतियों के पोषक हैं ? हमने केवल ४५ लाख रुपया हैवी इंडस्ट्रीज में दिया गो कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह समझते हैं कि पूंजीवाद को नष्ट कर देना चाहिये। श्रीमन्, मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक

[श्री हरगोविन्दसिंह]

बड़े भारी सोशलिस्ट ने कहा कि सोशलिज्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है ? वह है, जो दो किताब पढ़कर सोशलिस्ट होता है। सबसे बड़े दुश्मन सोशलिज्म के वह हैं जो टू बुक्स सोशलिस्ट होते हैं, तो इनमें से बहुतों की गणना उन्हीं में से हैं।

तो श्रीमन्, जब देश संकट से गुजर रहा हो, उसको उत्पादन शक्ति एक नीचे स्तर पर हो तो यह आवश्यक है कि इन दोनों में संतुलन किया जाय और उसी संतुलन से ही देश की उत्पादन शक्ति बढ़ सकती है। रूस की कसम खाने वाले या चीन की कसम खाने वाले आज यह देख सकते हैं कि रूस ने अपने कारखाने को तोड़ा नहीं, चीन तो आज भी कारखाने बढ़ाता चला जा रहा है। सवाल तो इतना ही है कि कारखाने का मालिक कौन हो ? इतना ही तो सवाल होता है ? अगर एक व्यक्ति उसका मालिक होता है तो उसको हम एक पूंजीपति की संज्ञा देते हैं। लेकिन अगर उस पूंजीपति के मुनाफे को हम काट देते हैं---वह शायद सारे देश में बहुत कम कर दिया गया है और जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनको हम सुविधाएं देते हैं, उनके वेतन का एक कानून बना देते हैं, उनके बोनस का कानून बना देते हैं। तो श्रीमन्, यह देश के लिये, देश के भविष्य के लिये और उसकी उत्पादन शक्ति के लिये श्रेयस्कर है। किसी सोशलिस्ट ने, किसी कम्युनिस्ट ने यह नहीं कहा है, श्रीमन्, जरा विषयान्तर कर रहा हूं---बल्कि मार्क्स ने तो यह कहा है, अगर इनकी परिभाषा भी मान लें, कि जब पूंजीवाद बहुत बढ़ जायगा, अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो अपने आप सोशलिज्म हो जायगा। उसने तो यह कहा है, लेकिन राजनारायण जी बड़े फिलासफर इस युग में पैदा हुए हैं जो कहते हैं कि मार्क्स ने गलत कहा.....

श्री राजनारायण---आप मसझ लीजिये कि ऐंजिल्स ने उसे १८५५ में ठीक कर दिया।

श्री हरगोविन्दसिंह---देश की उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि एक ओर तो काटेज इंडस्ट्री बढ़ायें, ताकि बेकारी दूर हो और दूसरी ओर वह चीजें जो बाहर से मंगानी पड़ती हैं उनके लिये बड़े बड़े कारखानें भी खोलें। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो काटेज इंडस्ट्री से नहीं बन सकती है, जैसे पैट्रोल। इसके लिये तो हैवी इंडस्ट्री की ही जरूरत पड़ेगी। आप मुझे क्षमा करेंगे मैं जरा बहक गया था।

श्री अध्यक्ष---आपने बहकने वालों का जवाब दिया है।

श्री हरगोविन्दसिंह---ऐग्रीकल्चर के बारे में मैं बताऊं कि हमारा आउटपुट बढ़ा है और यह योजनाओं के फलस्वरूप बढ़ा है, इसलिये यह नहीं कह सकते कि योजना को नहीं चलाना चाहिये।

कहा गया कि यह सब पूंजीपतियों के लिये है। ४९७ करोड़ का ब्रेकअप करें तो.....

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, मंत्री जी ने तो बड़ा समय ले लिया और हम लोगों को कम ही मिलता है।

श्री अध्यक्ष---वह सब का जवाब दे रहे हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह---७१.२२ करोड़ प्लान आइटम पर है। इसमें अब ऐडीशनल टैक्सेज से हम ५ करोड़ से कुछ ऊपर मांग रहे हैं। १२ करोड़ रुपया इसमें ऐसा है जो रेवेन्यू से मीट करना पड़ता है जो कि सेकेन्ड प्लान में स्कीमें चल रही हैं और खत्म नहीं हुई हैं और जिनकी बाबत १२ करोड़ रुपया और हमने अपने ऊपर लिया है। तो ५ करोड़ से ऊपर जो रुपया और लिया है उसका ब्रेकअप अगर देखें तो २७.४१ रेवेन्यू ऐक्सपेंडिचर है जिससे कोई वापसी नहीं होती। लेकिन ४३.८१ कपिटल ऐक्सपेंडिचर है और

वह कैपिटल ऐक्सपेंडिचर शुभ लक्षण है, क्योंकि इतना जो रखा गया है इससे हमको कुछ आमदनी होगी। हमको ही नहीं, उन लोगों को भी आमदनी होगी जिनके लिये वह बनाया गया है---इर्रीगेशन है, पावर है, रोड्स हैं। तो इन सब चीजों से उनको सुविधा होगी।

माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि कैपिटल ऐक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिये, ऐसी मदों में रुपया लगाना चाहिये जिससे कुछ आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो, आमदनी बढ़े। तो मैं बताना चाहता हूं कि यह तो इस बजट में रखा गया है।

अब अगर कोई प्लान न हुआ होता तो काफी हमारे पास सरप्लस होता। कहा गया कि इस गवर्नमेंट को यह आदत पड़ गयी है कि हर साल डेफिसिट बजट पेश करती है जो आखिर में सरप्लस हो जाता है। जरा आप देखें कि अन्तर १ करोड़ रुपये का इतने बड़े बजट में है। अन्दाजा लगाने में अगर गलती की तो १ करोड़ रुपये का सरप्लस हो गया। तो जहां विकास का कार्य इस तेजी से हो रहा है, जहां इतना बड़ा बजट इंवाल्व हो, वहां यह कहना कि जान-बूझ कर हम ऐसा करते हैं, यह बात समझ में नहीं आती।

श्रीमन्, यह भी कहा गया कि नीयत इसलिये खराब होती है हमारी डेफिसिट बजट बनाने के लिये ताकि हमें टैक्स लगाने का मौका मिले। तो पहली जो दो पंचवर्षीय योजनायें थीं उनमें भी क्या कोई टैक्स लगाया गया था? तब भी आखिर डेफिसिट बजट पेश किया गया था। आप देखें कि हुआ क्या। १९६०-६१ के बाद बजट में १३०.९ करोड़ हम रेवेन्यू रिसीट एक्सपेक्ट करते थे और अब उसके बजाय प्रोवाइड किया १४५.६३ करोड़। तो हम १५ करोड़ बढ़ गये। यही लोग यह कह सकते हैं कि १५ करोड़ एक्सपेक्टेड रिसीट में हम बढ़ायेंगे एक वर्ष के अन्दर, इस गरज से कि हम टैक्स लगायेंगे। अब टैक्स की जो बात कही गयी तो हर चीज के आंकड़े मेरे पास हैं। मुझे अफसोस है कि मेरे पास समय नहीं है, वर्ना देश के सभी प्रान्तों के आंकड़ों को हमने मंगाया है, उनको मैं पेश करता। लेकिन जो माननीय सदस्य उनको देखना चाहें वह देख सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय---मेरा प्रस्ताव है कि एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री अभी तक बजट पर बोले नहीं हैं, इधर उधर की बात करते रहे। अब वे आंकड़े निकाल रहे हैं। एक घंटे में वे उनको पेश कर देंगे।

श्री हरगोविन्दसिंह---मैं उनको दावत दे रहा हूं कि वे उनको मेरे पास आ कर देख लें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि साइक्लोस्टाइल कराके उनके पास भिजवा दें तो वह उनके पास हमेशा प्रेजेंट रहेगा और उनके पास एक सबूत भी रहेगा।

श्री हरगोविन्दसिंह---मैं बटवा तो देता, लेकिन मुझे अफसोस तो इस बात का है कि इतनी मोटी किताब नीले कवर की जो यह है उसके आंकड़े जब यह नहीं मानते तो मेरे साइक्लोस्टाइल किये हुए आंकड़े को कैसे मानेंगे?

एक बात रिबेट की कही गयी। इर्रीगेशन रेट्स कब बढ़ाये गये थे? तब बढ़ाये गये थे जब इंडेक्स नंबर ६८ सीरियल्स का था। १९५३-५४ से बढ़ाये गये थे.....

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---समझ में नहीं आया।

श्री हरगोविन्दसिंह---अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं? तो उस समय ये इर्रीगेशन रेट्स बढ़ाये गये थे। श्रीमन्, जब इंडेक्स बढ़ा तो अवस्था यह थी। सौभाग्य से उस वक्त मैं भी कैबिनेट में था। कैबिनेट के सामने यह प्रश्न आया कि यह जो सस्ती हो रही है इससे तो किसान लुट जायगा। लिहाजा गवर्नमेंट ने यह तय किया कि हमें मारकेट में जा करके १० रुपये मन के हिसाब से गेहूं खरीदना चाहिये

[श्री हरगोविन्दसिंह]

जिससे १० रुपये मन के नीचे कीमत न जाने पावे। अब वह इंडेक्स हुजूर देखें तो इस वक्त १०३ हो गया है और फिर भी यह कहा जाता है कि रिबेट वापस न लिया जाय। श्रीमन्, आखिर यह है क्या ? कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ गयी, ईंटों के दाम बढ़ गये, नहर खोदने की जो मजदूरी होती है उन मजदूरों की मजदूरी बढ़ गयी, हर एक चीज बढ़ गयी लेकिन अगर नहरों से पानी आप लेते हैं तो वह सर्विसेज हैं, टैक्स नहीं है। इसलिये उसके घटाने और बढ़ाने का सवाल नहीं होता। दूसरे प्रदेशों में यह रेट लिया जाता है और नहरें खोदने का बेटरमेंट लेवी भी लगाया गया है, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ। केवल २ करोड़ रुपये का रिबेट था, वह वापस किया गया है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---गौतम जी का जवाब दीजिये ।

श्री हरगोविन्दसिंह---वह पूछेंगे तो मैं दे लूंगा। आप हमारे और उनके बीच में क्यों आते हैं। यह कहा गया है कि यू० पी० में सबसे ज्यादा टेक्सेशन है। यह ग्राफ है। इसमें उड़ीसा को छोड़कर और सब प्रान्तों में टैक्सेशन यू० पी० से पर केपिटा से ज्यादा है।

श्री राजनारायण---आमदनी के भी आंकड़े बताइये ?

श्री हरगोविन्दसिंह---मैंने टैक्सेशन के बारे में कहा, आमदनी से क्या सम्बन्ध है? तो मैं यह कह रहा था कि कोई ऐसा प्रान्त नहीं है जो अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की पूर्ति के लिये टैक्स न लगा रहा हो। लेकिन यह सौभाग्य की बात है और इस सरकार के लिये गौरव और गर्व की बात है कि वह केवल ५ करोड़ का ही टैक्स लगा रही है।

सेल्स टैक्स की भी बात कही गयी है। सेल्स टैक्स में हमारा प्रान्त ऐसा है जो सबसे ज्यादा एक्जेम्प्शन दिये हुए है और जो सबसे कम टैक्स के रेट लेता है।

श्री अध्यक्ष---आप पांच के बाद कितना समय और लेना चाहते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

श्री टीकाराम पुजारी---व्यवस्था का प्रश्न। श्रीमन्, उस रोज भी मंत्री जी बोले और आज भी कह रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आता। हम इस पर क्या विचार करें, यह मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष---इसके लिये अवस्थी जी के स्कूल में आप पढ़िये। (हंसी)

श्री हरगोविन्दसिंह---तो श्रीमन्, मैं अब अधिक समय नहीं लेना चाहता। किसी तरह से देखा जाय, जो बजट इस भवन के सामने प्रस्तुत है वह बड़ा ही संतोषजनक है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण, जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने अपील की है, उसी दृष्टिकोण से इस बजट को देखेंगे।

गौतम जी को फिगर्स में शायद कुछ परेशानी हुई है कि स्टाफ तो कम हुआ, लेकिन डीयरनेस एलाउंस कैसे बढ़ गया और कंटिन्जेंसी कैसे बढ़ गया। तो कंटिंजेंसी तो बढ़ा है विकास कार्यों के बढ़ने से। डियरनेस इसलियें बढ़ गया कि जब श्रीमान् गौतमजी कैबिनेट में थे तो उन्होंने डियरनेस एलाउन्स दिया था। वे डियरनेस एलाउन्स जो बजट ईयर है उसमें नहीं था बल्कि सप्लीमेंटरी डिमांड में रुपया मांगा गया था। अबकी इस बजट में वह प्रोवाइड कर दिया गया है, इसलिये डियरनेस एलाउन्स ज्यादा है।

श्री मोहनलाल गौतम---श्रीमन्. . . . . .

श्री अध्यक्ष---क्या कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—पर्सनल नाम लेकर कहा है इसलिये मेरी मजबूरी है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा होता अगर वित्त मंत्री जी इन फैक्ट्स को देख कर जवाब देते।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप जवाब दे रहे हैं। आपको मिस्कोट किया है क्या ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैं वही कह रहा हूं। सिर्फ यही कह देने से काम नहीं चलेगा। मेरे जो सवालात थे.....

श्री अध्यक्ष—मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मोहनलाल गौतम—उसका जवाब तो नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—आपका जवाब देना उनके लिये लाजिमी नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जवाब दे देने दीजिये, ऐसे नगण्य आदमी नहीं हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—५५ फीसदी जब स्टाफ रह गया तो उस पर डियरनेस एलाउन्स ८८ कैसे हो गया ?

श्री अध्यक्ष—अच्छा। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थागित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२९ मार्च, १९६१

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

सूची (अ)

वृत्त का नाम	डिवीजन	प्रति एकड़ प्लान्टेशन का खर्चा
(१) पश्चिमी वृत्त	देहरादून सहारनपुर कालागढ़ लैन्सडाउन रामनगर	साधारणतया प्लान्टेशनों को लगाने का खर्चा प्रति एकड़ लगभग २०० रुपया है जिसमें स्पेशल पारक्यूपाइन तारबाड़, कांटेदार तारबाढ़ का खर्चा प्लान्टेशनों के देख भाल के लिये नियुक्त स्टाफ का खर्चा भी शामिल है ।
	तराई-भावर ..	फलदार वृक्ष लगाने का खर्चा २ रुपया प्रति वृक्ष है ।
	हलद्वानी	
(२) टेहरी-गढ़वाल वृत्त	चकराता ..	साधारण तौर पर प्लान्टेशनों लगाने का प्रति एकड़ खर्चा १०० रुपया से १५० रुपया के बीच होता है ।
	टोन्स ..	
	यमुना ..	
	उत्तर काशी ..	फलदार वृक्ष लगाने का खर्चा २ रुपया प्रति वृक्ष है ।
	टेहरी ..	
(३) पूर्वी वृत्त	पीलीभीत उत्तरी खीरी दक्षिणी खीरी .. बहराइच .. गोंडा .. गोरखपुर ..	पूर्वी वृत्त में प्लान्टेशन लगाने का खर्चा प्रति एकड़ निम्न प्रकार होता है :— साल प्लान्टेशन ४०० रुपया प्रति एकड़ । सागौन प्लान्टेशन २०० रुपया प्रति एकड़ । अन्य प्लान्टेशन २०० रुपया प्रति एकड़ । प्लान्टेशन लगाने का खर्चा इसलिये अधिक है कि यहां बहुत प्लान्टेशन उगाये जा रहे हैं जिनमें ट्रैक्टरों द्वारा जुताई की जा रही है और गुड़ाई भी अधिक की जाती है ।
(४) दक्षिणी वृत	मिर्जापुर ..	साधारण तौर पर प्लान्टेशनों का खर्चा प्रति एकड़ ७० रुपया से ८० रुपया के बीच होता है । यहां छोटे छोटे प्लाटों में प्लान्टेशन लगाये जाते हैं, क्योंकि भूमि के पहाड़ी तथा ऊंची नीची होने के कारण बड़े आकार के वृक्षों के प्लान्टेशन नहीं उगाये जा सकते हैं । इसलिये खर्चा कम होता है ।
	सोन बांदा वाराणसी बुन्देलखंड दुद्धी	

वृत्त का नाम	डिवीजन	प्रति एकड़ प्लान्टेशन का खर्चा
(५) मुख्यालय वृत्त	अवध गोमती-राप्ती एफौरेस्टेशन	साधारण तौर पर प्लान्टेशनों का खर्चा प्रति एकड़ ८० रुपया से ८५ रुपये तक होता है। खर्चे के रेट में कमी का कारण यह है कि यहां मिट्टी तैयार करने में खर्चा कम पड़ता है और देख-भाल के लिये स्टाफ की भी कम आवश्यकता पड़ती है।
(६) कुमायूं वृत्त	नैनीताल .. उत्तरी अल्मोड़ा पश्चिमी अल्मोड़ा उत्तरी गढ़वाल दक्षिणी गढ़वाल दक्षिणी अल्मोड़ा	साधारण तौर पर प्लान्टेशनों का खर्चा प्रति एकड़ १२० रुपया से १६० रुपया तक भूमि की बनावट मोटर सड़क से दूरी, मजदूरों की दरों के अनुसार पड़ता है। फलदार वृक्ष लगाने का खर्चा २ रुपये प्रति वृक्ष होता है।
(७) (लैन्ड) भूमि प्रबन्धक वृत	रोहिलखंड .. उत्तरी दोआब दक्षिणी दोआब ब्रज भूमि बिजनौर	विभिन्न प्रकार की विधियों के अनुसार प्लाण्टेशन लगाने का खर्चा निम्न प्रकार होता है— (१) बोआई विधि– ६५ रुपया प्रति एकड़। (२) रोपाई करके मय मिट्टी के गोलों के साथ ८५ रुपया प्रति एकड़। (३) टोकरियों द्वारा पौधे ले जाकर १०१ रुपया प्रति एकड़। इसके अतिरिक्त अगर प्लान्टेशनों में तारबाढ़ भी की जाय तो तारबाढ़ लगाने का खर्चा इस प्रकार और बढ़ जाता है— (१) बाउन्ड्री ट्रन्चेज में तारबाढ़ लगाने का खर्चा लगभग १५ रुपया प्रति जरीब होता है। (२) अगर कांटेदार तारों मे लकड़ी के खम्भों में तारबाढ़ की जाय तो खर्चा लगभग ४२ रुपया प्रति जरीब होता है। (३) अगर कोनेदार लोहे के खम्भों पर कांटेदार तार लगा कर तारबाढ़ की जाती है तो खर्चा ९६ रुपया प्रति जरीब आता है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

सूचना

	रु०
१—रोड डेकिंग स्थापित करने पर व्यय..	५,०५,७५१ (अनावर्तक)
२—रोड डेकिंग के रख रखाव एवं कार्य संचालन पर व्यय ..	२७,९०७ (आवर्तक)
३—स्टाफ क्वार्टरों के रख रखाव पर व्यय	२,५२६ (आवर्तक)
४—रेलवे पुल के रख रखाव पर व्यय का एक भाग जो राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा	३६,७५७ (आवर्तक)

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

जिला नैनीताल में अन्तरिम जिला परिषद् ने जिन सड़कों को बनवाने की सिफारिश की थी उनकी सूची इस प्रकार है—

नव-निर्माण के लिये

१—कालाडुंगी-बाजपुर १५ मील।
२—हल्द्वानी-कालाडुंगी-रामनगर सड़क २२ मील।
३—काठगोदाम-शक्ति फार्म-सितारगंज २५ मील।
४—बेतालघाट-गरजिया सड़क २० मील।
५—हल्द्वानी-टनकपुर सड़क ४६ मील वाया चोरगलिया।
६—तल्ला-रामगढ़ धूरारी सड़क वाया नथुआ खां २२ मील।
७—सितारगंज-चौरगलिया सड़क १८ मील।
८—चाफी-पदमपुर खानस्यू २१ मील।
९—किच्छा-दराऊ-शिमला सड़क १० मील।
१०—कालाडुंगी-बैलपड़ाव कोटा ३३ मील।
११—सितारगंज-अमरिया ५ मील।
१२—बिजईपुर-खानस्यू २२ मील।
१३—कोसी-खजुआ सड़क १० मील।
१४—ओखकण्डा-खानण्स्यू सड़क १५ मील।
१५—काशीपुर-अलीगंज सड़क १० मील।

आधुनीकरण और सुधार के लिये

१—खटीमा-सितारगंज सड़क।
२—बरेली-अल्मोड़ा सड़क को ४१ मील से ५८ मील तक चौड़ा करना।
३—रानीबाग-भीमताल सड़क ७ मील को चौड़ा करना।
४—सरगा-खेत पहाड़पानी सड़क का मेटालिंग और पेन्टिंग।
५—रामगढ़-मुक्तेश्वर सड़क ५ मील का सुधार और चौड़ा करना।

जिला पीलीभीत में अन्तरिम जिला परिषद् ने जिन सड़कों के बनवाने की सिफारिश की थी—उनकी सूची इस प्रकार है

१—विसालपुर-पूरनपुर वाया देवरियाकलां।
२—विसालपुर-बरेली सड़क, देहुआ पर पुल के साथ।
३—पूरनपुर-धानाराघाट।
४—अमरिया-सितारगंज।
५—विसालपुर-मीरानपुर कटरा।
६—बारखेरा-देवरिया कलां।
७—जहानाबाद-रीछा।
८—बैलहा-खजुरिया।
९—खमरिया-कानाकोल।

सुधार के लिये

१—पीलीभीत-पूरनपुर सड़क।
२—बरेली-टनकपुर सड़क के ४०, ४२ मील।

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८—३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर)

सन् १९६० की बुन्देलखन्ड विकास प्रदर्शनी की आय तथा व्यय का व्यौरा निम्न है—

आय

	रु०	नये	पैसे
१—झांसी डिवीजन की लोकल बाडीज द्वारा अनुदान ..	४,८०१		६३
२—मादक आयुक्त द्वारा अनुदान	१००		००
३—मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी द्वारा अनुदान ..	२५०		००
४—बिक्री टिकट मुशायरा	३,२५३		९८
५—बिक्री टिकट कव्वाली	२,१५०		७५
६—बिक्री टिकट संगीत सम्मेलन	३४,७७६		००
७—बिक्री टिकट कवि सम्मेलन	१,०२४		५०
८—बिक्री टिकट चैरिटी शो	१०,९१८		००
९—बिजली की खपत व्यापारिक दुकानों से	१०,१३२		६८
१०—व्यापारिक दुकानों से किराया	३०,१६८		९८
११—वापसी अग्रिम धनराशि	३५०		००
योग ..	९७,९२६		५२

व्यय

	रु०	न०	प०
१—प्रदर्शनी, व्यापारिक, व विभागीय स्टालों के बनाने पर ..	१३,८२६		८८
२—विविध व्यय	२,२१४		६०
३—परिवहन पर	१,०१४		८१
४—संगीत सम्मेलन	३५,८०४		५५
५—प्रचार पर	२,६२६		७५
६—बिजली की फिटिंग और उसकी खपत पर	१९,८९२		९५
७—सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर	१,९९६		६२
८—डिवीजनल आतिशबाजी प्रतियोगिता पर इनाम आदि ..	८१२		६२
९—कव्वाली पर	२,५०५		४७
१०—कवि सम्मेलन	२,५७७		२३
११—मुशायरा	३,५८८		९९
१२—चैरिटी शो	६,१२८		२८
१३—मद्यनिषेध	१३१		००
१४—पंडाल	१,४५०		००
१५—विविध प्रतियोगिताओं के इनामों पर	२,०७२		५०
१६—चक्षु औषधालय झांसी को अनुदान	४,०००		००
योग ..	१,००,६४३		२४

विधान सभा प्रदेश

समाचार-पत्रों को दिये गये विज्ञापन

समाचार पत्र	विज्ञापनों की संख्या	विषय
१—"लोकराज" साप्ताहिक, दिल्ली ..	१	संगीत सम्मेलन
२—'दैनिक' "वर्तमान", कानपुर	२	चैरिटी शो
३—दैनिक "सैनिक", आगरा	२	चैरिटी शो
४—दैनिक नवप्रभात, "ग्वालियर	१	प्रदर्शनी के विषय में
५—"संगीत" मासिक 'पत्रिका', हाथरस ..	१	संगीत सम्मेलन
६—दैनिक "नव भारत टाइम्स", दिल्ली ..	१	चैरिटी शो
७—झांसी न्यूज	२	एक संगीत सम्मेलन का और एक सांस्कृतिक कार्य-क्रम का।
८—"इनकिशाफ" साप्ताहिक उर्दू, झांसी	१	संगीत सम्मेलन
९—"हिन्द केसरी" साप्ताहिक, झांसी ..	२	एक प्रदर्शनी का और दूसरा संगीत सम्मेलन का।
१०—दैनिक "जागरण" झांसी	३२	प्रतिदिन का कार्य क्रम।
११—दैनिक "भास्कर" झांसी	२०	प्रतिदिन का कार्यक्रम।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर)

संख्या १

प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में हरिजन कल्याण हेतु केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धनराशि का विवरण

वर्ष	योजना	प्राप्त धनराशि	धनराशि जो खर्च नहीं की जा सकी
		रु०	रु०
१९५३–५४	१—अस्पृश्यत निवारण हेतु प्रचार कार्य ।	२,२०,०००	४,८७०.००
१९५४—५५	१—प्रचार कार्य ..	१,७८,०००	..
	२—आर्थिक उत्थान ..	१,५०,०००	२,०९०.१३
	३—स्वास्थ्य, घरों का प्रबन्ध तथा अन्य योजनायें ।	१,६२,०००	..
	योग ..	४,९०,०००	२,०९८.१३
१९५५–५६	१—प्रचारकार्य ..	१,०८,०००	..
	२—आर्थिक उत्थान ..	२,३०,०००	२७,०५०.००
	३—स्वास्थ्य, घरों का प्रबन्ध तथा अन्य योजनायें ।	३,६२,०००	..
	योग ..	७,००,०००	२७,०५०.००
	बड़ा योग ..	१४,१२,०००	३४,०१८.१३

विधान सभा उत्तर प्रदेश

संख्या २

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में हरिजन कल्याण हेतु केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धनराशि का विवरण ।

वर्ष	योजना	प्रदेशीय योजनाओं पर प्राप्त धनराशि	केन्द्रीय संचालित योजनाओं पर
		(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)
१९५६-५७	१--शिक्षा ..	२.३०५	..
	२--आर्थिक उत्थान ..	१.७१५	१.९२५
	३--स्वास्थ्य, घरों का प्रबन्ध तथा अन्य योजनायें ।	३.९५३	४.९८७
	योग ..	७.९७३	६.९१२
१९५७-५८	१--शिक्षा	३.२०८	..
	२--आर्थिक उत्थान ..	१.८७	७.८८
	३--स्वास्थ्य, घरों का प्रबन्ध तथा अन्य योजनायें ।	१.७१७	३.३१
	योग ..	६.७९५	११.१९
१९५८-५९	१--शिक्षा	९.४०	..
	२--आर्थिक उत्थान ..	१.६८	७.६२
	३--स्वास्थ्य, घरों का प्रबन्ध तथा अन्य योजनायें ।	२.३५	११.५८
	योग ..	१३.४३	१९.२०
१९५९-६०	१--शिक्षा ..	१२.८७	१.१०
	२--आर्थिक उत्थान ..	१.४३	७.७३
	३--स्वास्थ्य, घरों का प्रबन्ध तथा अन्य योजनायें ।	२.७४४	१३.३१
	योग ..	१७.०४४	२२.१४

वर्ष	योजना	प्रदेशीय योजनाओं पर प्राप्त धनराशि	केन्द्रीय संचालित योजनाओं पर
		(रु० लाखा में)	
१९६०–६१	१—शिक्षा	१२.९४	..
	२—आर्थिक उत्थान ..	१.४९	२८.८२ लाख रुपये की मांग केन्द्रीय सरकार से की है। उनकी स्वीकृत अभी प्राप्त नहीं हुई है।
	३—स्वास्थ्य, घरों का प्रबन्ध तथा अन्य योजनायें।	४.३७	..
	योग ..	१९.००	..
	बड़ा योग ..	६४.२४२	..

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३४ पर)

विधान सभा की वर्तमान बैठक के ६ठें मंगलवार के लिये निर्धारित

(आचार्य दीपंकर के तारांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर)

प्रश्न

१२—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि हिण्डन नदी पर बिनौली बरनवा (मेरठ जिला) के पास पुल बनाने की योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह पुल कब तक बनना शुरू हो जायगा?

उत्तर

१२—प्रथम भाग—बिनौला के पास बिनौली–सरधना सड़क पर हिण्डन नदी के ऊपर पुल निर्माण की योजना स्वीकृत की जा चुकी है ।

द्वितीय भाग—उसका आगणन बन जाने तथा स्वीकृत कर दिये जाने के बाद ।

गिरधारीलाल,

सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० ५ एल० ए०—१९६१–८४५ ।